खण्ड-167, अंक-3
बुधवार, 17 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(7 मार्च, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 167 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ७ मार्च, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०६)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राज़ाराम शर्मा, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसुन्दर पांडय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री

लुत्फ़अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रविक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलालदास, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ७ मार्च, १९५६

तारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा के तांबा, पीतल कुटीर उद्योग धंधों को सहायता देने के लिये प्रार्थना

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा के तांबा, पीतल कुटीर उद्योग धंधों को अब तक हर साल कितनी सहायता दी जाती है ?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बनारसीदास)---सन् १९४९-५० में ३,००० रुपये की आर्थिक सहायता दी गई।

*२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या अल्मोड़ा जिले के पीतल, तांबा कुटीर उद्योग कोआपरेटिव सोसायटी ने सरकार के पास इस धन्धे को प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता देने के हेतु कोई पत्र भेजा है? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसीदास---(अ) जी हां।

(ब) इस पर विचार हो रहा है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९-५० के बाद से कोई आर्थिक सहायता इस कुटीर उद्योग को नहीं दी गयी?

श्री बनारसीदास---जी नहीं। केवल इस वक्त दो पत्र विचाराधीन हैं जो कि वहां की सहयोगी समितियों की तरफ से आये हैं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९४९-५० में जो आर्थिक सहायता दी गयी वह किस को दी गयी?

श्री बनारसीदास---यह वहां के गौरीशंकर को दी गयी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार को विदित है कि यही व्यवसाय वहां इंटीरियर में बहुत स्थानों पर होते हैं और अगर आर्थिक सहायता मिल सके तो बहुत विकास हो सकता है?

श्री बनारसीदास---जी हां, यह सही है कि यह व्यवसाय वहां पर होता है और इसके लिए दो प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं और यदि और प्रार्थना-पत्र आयेंगे सहायता के लिए तो उन पर भी विचार किया जायगा।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सोसाइटी ने कब प्रार्थना-पत्र दिया था?

श्री बनारसीदास---यह ठीक तिथि तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन हाल ही में वह आया है और जांच वगैरा इसकी हो गयी और जब दूसरी कमेटी इसकी होगी तो इस पर निर्णय किया जायगा।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सोसाइटी कब स्थापित हुई थी और इसको कोई आर्थिक सहायता अब तक नहीं दी गयी?

श्री बनारसीदास---इसके लिए तो सूचना जिले से प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन जहां तक प्रार्थना-पत्र का सवाल है यह उन्होंने पहली मर्तबा ही यहां दिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या तांबा, पीतल कुटीर उद्योग के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी कुछ रुपया रखा गया है?

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तमाम कुटीर उद्योगों के लिए काफी धनराशि रखी गयी है और आशा की जाती है कि उन उद्योग धंधों को अधिक मात्रा में विकसित करने का प्रयास किया जायगा।

आगरा में सीमेण्ट फैक्टरी खोलने का सुझाव

*३--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या सरकार को मालूम है कि आगरा के समीप सीमेंट फैक्टरी लगाने के उपयुक्त साधन प्रस्तुत हैं?

श्री बनारसीदास--सीमेन्ट बनाने योग्य लाइमस्टोन और दूसरे साधन आगरे के पास नहीं पाये जाते।

*४--श्री देवकीनन्दन विभव--यदि हां, तो क्या सरकार आगरा में एक सीमेंट फैक्टरी बनाने पर विचार करेगी?

श्री बनारसीदास--प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि राजस्थान में जिप्सम और लाइमस्टोन काफी तादाद में पाया जाता है और आगरा राजस्थान के बार्डर पर है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, यह बात तो सत्य है।

आजमगढ़ जिलान्तर्गत रसूलपुर और परशुरामपुर राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों के भवनों का विस्तार

*५--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत रसूलपुर और परशुरामपुर राजकीय एलोपैथिक अस्पताल के पास भवन नाकाफी हैं?

श्री बनारसीदास--जी हां।

*६--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त दोनों अस्पतालों के भवनों का निर्माण और विस्तार कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री बनारसीदास-- दोनों स्थानों पर अस्पतालों के भवन निर्माण का प्रश्न द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है।

*७--श्री रामसुन्दर पांडेय क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि रसूलपुर अस्पताल के आसपास के निवासियों ने कुछ रुपया सरकार को अस्पताल बनवाने के लिये दिया था? यदि हां, तो कब और कितना?

श्री बनारसीदास--रसूलपुर निवासी श्री भुवनेश्वरी प्रसाद नारायण सिंह (भूतपूर्व जमींदार) ने रसूलपुर में राजकीय चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये ५,००० रु० नकद तथा निःशुल्क भूमि देने का जनवरी-फरवरी, १९४९ में वचन दिया था। इसमें से उन्होंने १९५२ में निःशुल्क भूमि की सरकार के नाम रजिस्टरी करा दी तथा २,००० रु० नकद आजमगढ़ सरकारी खजाने में जमा कर दिया। शेष ३,००० रु० के बदले में गत अगस्त में उन्होंने ३,००० रु० के जमींदारी उन्मूलन बांड जमा किये हैं। उनसे कहा गया है कि वे इन बांडों के बदले में या तो ३,००० रु० नकद दें या यदि कोई अन्तरिम मुआविजा उन्हें सरकार से मिलने वाला है तो उसमें से उक्त ३,००० रु० की धनराशि को सरकार के नाम कटाने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह दोनों अस्पताल कब से खुले हैं?

श्री बनारसीदास—दोनों अस्पतालों को काफी समय खुले हुआ है। सन् ५० से पहले से ही ये चल रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि परशुरामपुर अस्पताल के भवन निर्माण के लिए सन् १९५२ के पहले अनुदान स्वीकृत हो चुकी थी और वह रुपया अधिक अन्न उपजाओ स्कीम में खर्च कर दिया गया ?

श्री बनारसीदास—यह बात तो सत्य नहीं है कि अन्य मद के अन्दर खर्च किया गया। यह सही है कि १५,००० रुपया वहां की मरम्मत के लिए स्वीकृत किया गया था, बिल्डिग कुछ कच्ची और कुछ पक्की थी, लेकिन उसमें काफी नुकसान हो गया। इसलिए यह सोचा गया कि यह १५,००० रुपया उसमें गलत रूप से व्यय हो जायगा। इसलिए नया एस्टीमेट मांगा गया और आशा है कि जो वित्तीय वर्ष आने वाला है उसमें वह स्वीकार किया जायगा।

दोईवाला चीनी मिल को सप्लाई किये जाने वाले गन्ने के मूल्य के संबंध में सरकारी आश्वासन

*८—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि दोईवाला चीनी मिल क्षेत्र में स्थित गन्ना काश्तकारों ने दिसम्बर, ५५ के मध्य में १४–१५ दिन तक उक्त मिल को गन्ना सप्लाई नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—(क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तराई के गन्ने के मूल्य में दो आना प्रतिमन की कमी के विरोध में यह सप्लाई बन्द की गयी थी।

*९—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या यह सही है कि सरकार ने दोईवाला चीनी मिल क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को कोई आश्वासन दोईवाला मिल की जांच व स्थिति के संबंध में दिया है ? यदि हां, तो उक्त आश्वासन का आशय क्या है ?

श्री फूलसिंह—इस विषय का संबंध भारत सरकार से है। भारत सरकार के आदेश (तार) संख्या एफ० ८/३०/५५ एस० वी० दिनांक ३० नवम्बर, १९५५ से, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, स्थिति स्पष्ट हो जायगी।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २२० पर)

*१०—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या उक्त आश्वासन नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र पर भी लागू होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री फूलसिंह—(क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि दोईवाला चीनी मिल से संबंधित गन्ने के काश्तकारों ने अपनी केन सप्लाई तब शुरू की जब भारतीय सरकार ने यह आश्वासन दे दिया कि उनके फैक्ट्री जोन के संबंध में जांच की जायगी और अगर उनके क्षेत्र की पेराई अच्छी तरह न हुई तो दो आने मन की कटौती स्वीकार नहीं की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हाँ, इस प्रकार की विज्ञप्ति अवश्य केंद्रीय सरकार ने निकाली थी। उसके बाद गन्ना उत्पादकों ने गन्ना देने का कार्य प्रारम्भ किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उस विज्ञप्ति का संक्षिप्त विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह---उसमें यह लिखा है कि अगर जांच करने पर यह मालूम होगा कि ९.६ से जितनी उचित मात्रा में रिकवरी होनी चाहिये उतनी कम नहीं है तो काश्तकारों को और दाम दिलवाने का अधिकार सरकार को रहेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या अब तक जो गन्ना पेरा जा चुका है और चीनी हुई है उसको देखते हुये अब उस दो आने मन की कटौती को बन्द कर देने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री फूलसिंह---एक्सपर्ट्स लोग जांच करने गये हैं और जांच करवा रहे हैं। मगर उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आयी।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या यह सत्य है कि दोईवाला शुगर मिल में सहारनपुर से दिये जाने वाले गन्ने पर दो आने मन कम करने की मांग की है और सरकार उस पर विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक इस सरकार का संबंध है उसके पास तो कोई ऐसी इत्तला है नहीं, क्योंकि इस मिल के मालिक ने कुछ बातें केंद्रीय सरकार से डायरेक्टली ही की हैं और यदि कुल बातचीत में उन्होंने ऐसा क्लेम किया है तो ऐसा संभव हो सकता है।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार को ज्ञात है कि पथरी और दोईवाला स्टेशन से गन्ना दिया जाता है उस गन्ने की जांच हो रही है कि निकासी कितनी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी जांच का रिजल्ट तो आया नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को सूचना मिली है कि काशीपुर फैक्ट्री में जो रिकवरी आजकल हो रही है वह ९.६ से ज्यादा है और अगर ऐसी बात है तो क्या प्रदेशीय सरकार केंद्रीय सरकार को यह कहेगी कि दो आने कटौती काशीपुर के हेतु न की जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो बात सत्य है कि जितनी उम्मीद लगाई जाती थी कि रिकवरी काशीपुर में गन्ने की इस वर्ष होगी उससे कहीं अधिक रिकवरी गन्ने की हो रही है। मिल के मालिक स्वयं मुझसे मिलने आये थे और उन्होंने मुझे इस बात की सूचना दी थी कि वह दो आने की कटौती जो कि रिकवरी कम होने के कारण निर्धारित की गयी है कदाचित उसे काटना न पड़े और गन्ना उत्पादकों को जो दो आने अब तक काटे जा रहे हैं वह मिल देने के लिये बाध्य होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी रिकवरी के आधार पर गन्ने का मूल्य दो आने मन घटाया गया था ?

श्री फूलसिंह---रिकवरी तो ९.६ है, १ रुपया ७ आने तो दाम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या काशीपुर फैक्ट्री के मिल मालिक महोदय की माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत होने के बाद प्रदेशीय सरकार केंद्रीय सरकार को यह लिख देगी कि काशीपुर के लिये दो आने मन की कटौती नहीं होनी चाहिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह तो सारी रिकवरी का जो विषय है वह तो रोजमर्रा लिखा जाता है कि आज इतनी रिकवरी हुई और कल इतनी हुई। तो उसकी बुनियाद के ऊपर जो पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं उस बिना पर मिल के मालिक को दो आने लौटाने पड़ेंगे यदि रिकवरी उस निर्धारित फीगर से अधिक हुई जो कि पहले रखी गयी थी।

आजमगढ़ जिले के मझवारा क्षेत्र में कुष्ट रोग की रोकथाम

*११---**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को विदित है कि आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील के मझवारा क्षेत्र में कोढ़ रोग तेजी से फैलता जा रहा है ?

श्री बनारसीदास---यह सत्य है कि आजमगढ़ जिले में घोसी तहसील के मझवारा क्षेत्र में कुष्ट रोगियों की संख्या अधिक है।

*१२---**श्री झारखंडे राय**---यदि हां, तो क्या सरकार की ओर से इस रोग के फैलाव के कारणों का पता लगाया गया है? यदि हां, तो वे कारण क्या हैं?

श्री बनारसीदास---(१)इस संबंध में सिविल सर्जन तथा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसर को लिखा गया है।

(२) कारण विश्वस्त सूत्र से ज्ञात नहीं है। आम तौर से यह कहा जा सकता है कि कोढ़ की बीमारी की वृद्धि जिस वातावरण में मनुष्य रहता है उस स्थान को गंदगी, पौष्टिक पदार्थों की कमी तथा बीमारी के रोकने के विषय में सुव्यवस्थित तरीकों की कमी इत्यादि कारणों से है।

*१३---**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार बतायेगी कि रोग की रोकथाम के लिये उसने क्या क्या उपाय किये हैं और उनके क्या परिणाम हुये?

श्री बनारसीदास---जिला प्लानिंग विभाग द्वारा घोसी तथा मझवारा में कुष्ट रोगियों की चिकित्सा के लिये केंद्र खोले गये हैं।

श्री झारखंडेराय---क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की ओर से कुष्ट रोगियों की कुल संख्या का पता लगाने की कोई चेष्टा की गयी है? यदि हां, तो वह संख्या क्या है?

श्री बनारसीदास---अभी इसका कोई ठीक तरह से सर्वे तो नहीं किया जा सकता है कि प्रवेश के अन्दर कोढ़ियों की संख्या कितनी है। इस बात की कोशिश जरूर है कि पता लगायें कि हमारे यहां कितने कोढ़ी हैं।

श्री झारखंडे राय---क्या स्वाथ्य मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की ओर से उस क्षेत्र में कुष्ट रोग के फैलने के मूल कारणों का पता लगाने की कोई व्यवस्था की जायगी?

श्री बनारसीदास---जहां तक घोसी क्षेत्र का सवाल है, वहां पर एक विशेषज्ञ, डाक्टर गंगूली को भेजा गया था कि वहां के कारणों पर गौर करें और उसके बाद सिविल सर्जन को सलाह दें।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि जो दो कुष्ट केंद्र खोले गये हैं उनमें कितने रोगियों की व्यवस्था है?

श्री बनारसीदास---वहां पर अभी कोई शैय्या तो नहीं कायम की गयी है। वह तो कुछ चन्दा जमा करके और कुछ नियोजन विभाग की ओर से ऐसी व्यवस्था की गयी है कि रोगियों की देखभाल करने के बाद उनको दवायें दी जा सकें आउटडोर पेशेंट की हैसियत से।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा और घोसी तहसील में इस रोग को दूर करने के लिये कितना रुपया व्यय किया है?

श्री बनारसीदास---वहां पर चन्दे से और नियोजन विभाग से करीब ३० हजार रुपया इसके लिये रखा गया है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार ने इस बात का पता लगाय है कि कोढ़ियों की अधिक संख्या होने का किसी पार्टी से संबंध है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

गरीब गर्भवती स्त्रियों को दूध वितरण की व्यवस्था

*१४--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में गरीब स्त्रियों को जिनके बच्चा पैदा होने वाला हो दूध दिये जाने के लिये पिछले बजट में जो धनराशि मंजूर की गई थी उसके वितरण का क्या तरीका रक्खा गया है ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बलदेवसिंह आर्य)--इस स्वीकृत धन के अन्तर्गत निम्नलिखित पांच नगरों तथा जिलों के चुने हुये ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती स्त्रियों तथा माताओं को जो कि नीचे लिखे प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आती हैं, १/२ सेर प्रतिदिन दूध देने की योजना है।

नगर १--लखनऊ,
२--कानपुर,
३--इलाहाबाद,
४--आगरा,
५--बनारस,

जिला १--गोरखपुर
२--गाजीपुर,
३--बुलन्दशहर,
४--सहारनपुर

प्रतिबन्ध ये हैं :--

(१) गर्भवती स्त्रियां बच्चा पैदा होने से १ १/२ महीने पहिले और ११/२ महीने बाद तक १/२ सेर दूध प्रति दिन ले सकती हैं यदि,

(अ) उनके पुरुषों की मासिक आय १०० रु० प्रति मास से कम है,

(ब) उनकी शारीरिक दुर्बलता के कारण दूध आवश्यक है, तथा

(स) उन्होंने अपना नाम शिशु कल्याण केंद्र में लिखा दिया है और उन्होंने केंद्र से उपर्युक्त अवस्थाओं को ध्यान में रखते दुग्ध वितरण कार्ड उपलब्ध कर लिया हो ;

(२) स्त्रियों को दूध केंद्र पर ही पीना होगा और किसी भी अवस्था में घर न ले जाने दिया जायगा।

(३) यह दूध चुने हुये केंद्रों पर ही उपलब्ध हो सकता है।

*१५--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--अब तक इस धनराशि में से कितना खर्च किया गया और कितनी स्त्रियों को सहायता मिली ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--अभी सही सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। मार्च के बाद दी जा सकेगी।

*१६--श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या सरकार इस योजना को सम्पूर्ण प्रदेश में प्रसारित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--यह योजना अभी प्रयोग के लिये प्रारम्भ की गई है; अगले वर्ष और बढ़ाई जायेगी।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी इस सूचना के प्राप्त न हो सकने के कारणों पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह योजना जो मैटरनिटी सेंटर्स बहुत से स्थानों पर जिले जिले में फैले हुये हैं, उनसे संबंध रखती है और अभी सिविल सर्जन से इन तमाम बातों के संबंध में बातें करने का प्रयत्न किया गया था। अभी उनके पास पूरी सूचना नहीं थी, इसीलिये देरी हुई।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में कितनी सफलता मिली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो प्रथम ही प्रयास है और चूंकि इसमें अपने घरों से स्त्रियों को मैटरनिटी सेंटर्स पर आना पड़ता है, इसलिये प्रारम्भ में जितनी संख्या में आशा की जाती है उतनी स्त्रियां नहीं आ रही हैं। लेकिन आशा की जाती है कि ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ता जायगा और साधन उपलब्ध होंगे और इसका प्रसार होता जायगा त्यों-त्यों इसकी प्रगति देखने को मिल सकेगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन स्थानों का चुनाव किस आधार पर किया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो प्रथम प्रयास था और कुछ शहरी क्षेत्रों में जहां जहां मैटरनिटी सेंटर्स थे और जहां हम व्यवस्था रख सकते थे उन स्थानों को हमने छांट लिया। हमारा ध्येय है कि सारे प्रदेश में यह योचना चालू हो जाय। लेकिन यह एक पायलेट योजना की तरह से है कि ज्यों-ज्यों सफलता होती जायगी त्यों-त्यों प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर इसको संचालित करने की चेष्टा की जायगी।

श्री बाबूनन्दन--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बच्चा पैदा होने के बाद स्त्रियां बीमारी की हालत में केंद्र पर नहीं आ सकेंगी, उनके लिये क्या व्यवस्था की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह बात तो इसमें सोचने की और देखने की है और इसीलिये जैसा कि मैंने कहा कि स्त्रियां अभी उतनी संख्या में नहीं आ पा रही हैं जितनी कि आशा की जाती है। इसकी जांच हो रही है और उसके बाद इन तमाम बातों पर पूरी तरह से विचार करेंगे और इसके नियमों में या तरीके में यदि परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो वह करेंगे। जो योजना हमने चलाई है उसमें मोटे तौर से जो बातें रखी जा सकती थीं उनको हमने रखने का प्रयास किया है और उन नियमों के तहत में हमने इस योजना को चलाने का प्रयास किया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--क्या माननीय खाद्य मंत्री इस स्कीम के मातहत ऐसे कोई नियम बनायेंगे कि जिनके द्वारा जच्चा-बच्चा अस्पतालों में जो प्रसव वहां होते हैं उस पीरियड में उन जच्चाओं को उन्हीं अस्पतालों में दूध मिल जाया करे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, यह बात विचाराधीन है और कुछ स्थानों पर यह बात की भी गई है।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिन केंद्रों में दूध का वितरण होता है उस दूध में पाउडर मिल्क भी शामिल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह तो मैं नहीं बता सकता हूं कि शामिल है या नहीं लेकिन पाउडर मिल्क भी, जहां तक इस विभाग का संबंध है, उसमें, मिल्क में शामिल किया जाता है। लेकिन हमारे यहां से इस स्कीम के लिये आदेश यह गये हैं कि देहात में जो दूध मिल सकता है वही दूध इन स्थानों में स्त्रियों को दिया जाय।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि महिलाओं के कम आने का कारण यह है कि इस योजना का ज्ञान अभी अधिक जनता को नहीं हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हो सकता है कि किन्हीं स्थानों पर पूरी सूचना अभी न प्रसारित हुई हो। मैंने तो स्वयं बताया कि प्रारम्भ में यह योजना इस प्रदेश में चन्द स्थानों में चलाई गई है और इसका प्रसार यदि अभी नहीं हुआ है तो उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा और यह योजना अधिक प्रगतिशील होती जायगी और अधिक संख्या में स्त्रियां आयेंगी और उससे अधिक से अधिक फायदा उठाने का प्रयत्न करेंगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत जो दूध मिलता है वह ठंडा होता है या गरम और वह चीनी मिला होता है या बिना चीनी का ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोशिश यह है कि शहरों में जहां डेयरी इत्यादि हैं तो वहां बोतलें जो आती है वह बोतलें दूध से भर कर स्त्रियों को वैसे ही दे दी जाती हैं और उस स्त्री से जिसे यह बोतल दी जाती है यह उम्मीद की जाती है कि जैसा दूध है वह उसे पी कर बोतल वापस लौटा देगी।

श्री नरेन्द्रसिंह खिष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अगले साल इस योजना को कितने जिलों में बढ़ाया जाने वाला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तक जिलों का निश्चय नहीं किया गया है लेकिन धनराशि रखी है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सूबे के सबसे गरीब दुद्धी परगने में इस योजना को बढ़ाने की कृपा की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अवश्य ही जो बहुत गरीब क्षेत्र हैं उनमें इसे लागू करने की चेष्टा करेंगे। लेकिन इसकी व्यावहारिकता को देखकर ही इसको लागू करने की चेष्टा की जायगी। व्यावहारिकता इस पर निर्भर करती है कि वहां कितने मैटरनिटी सेंटर खुले हुये हैं और कितने फासले पर हैं। यदि उनका फासला ऐसा है कि जहां स्त्रियां पहुंच सकती हैं तो अवश्य उन स्थानों पर इसकी व्यवस्था की जायगी।

*१७-१९—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)—[११ अप्रैल, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

गाजीपुर जिले में तेल व इत्र के व्यवसाय को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रोत्साहन

*२०—**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में तेल तथा इत्र के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये वह सहायता देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री बनारसीदास—

(अ) जी हां।

(ब) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में शिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र खोलने का विचार है। इसके अतिरिक्त ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है।

श्री वामलासिंह—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले में ब्रिटिश सरकार द्वारा एरोड्रोम बनाये जाने के कारण वहां के चमेली, गुलाब और बेला के पेड़ बर्बाद कर दिये गये थे और अब जनता में उनको फिर से बोने और बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी योजना रखी गई है कि जो एक पुराना उद्योग गाजीपुर जिले का है इसको विकसित किया जाय। योजना तीसरे वर्ष के बाद द्वितीय पंचेवर्षीय योजना में लागू की जायगी और उस पर धन इत्यादि व्यय किया जायगा ताकि वह सुगन्ध वाले पेड़ जो कि नष्ट किये जा चुके हैं वहां फिर से बोये जा सकें और उनके द्वारा यह उद्योग फिर से विकसित किया जा सके।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार इत्र के कारोबार को कुटीर योजना के अन्तर्गत लेने का विचार कर रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इत्र के रोजगार को आजकल भी प्रदेशीय सरकार संचालित करने का इन्तजाम कर रही है। उसके ऊपर रिसर्च इत्यादि हरकोर्ट बटलर इन्सटीट्यूट, कानपुर में हो रही है और वहां कुछ रिसर्च का कार्य इस सम्बन्ध में हुआ है। तो जहां तक प्रदेशीय सरकार का सम्बन्ध है, वह उस रोजगार को अधिक प्रगतिशील बनाने की चेष्टा कर रही है।

श्री कमला सिंह—क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले की मिट्टी कन्नौज की मिट्टी से टेस्ट में बहुत अच्छी निकली है और इत्र और तेल की हालत को देखते हुए सरकार इस जिले में कितना धन किस तरह से खर्च करेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अब मिट्टी वहां की कैसी है और कैसी नहीं है, इसका ज्ञान तो मुझे नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया इस उद्योग-धन्धे को उठाने के लिये, उसे तरक्की देने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तीसरे वर्ष में कार्य प्रारम्भ होने वाला है। उस कार्य के प्रारम्भ होने के तहत में कुछ इस उद्योग के जो पेड़ इत्यादि हैं या इसके लिये जो भी उद्योग पेड़ इत्यादि के लगाने का होने वाला है वह सब कार्य उसी योजना के तहत में होगा और कुछ ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित किया जायगा जो कि आधुनिक ढंग से इस उद्योग को विकसित करने में समर्थ हो सकें।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो इत्र बाहर से आता है उसको रोकने के लिये सरकार क्या ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे इस उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वैसे तो बाहर से आने वाले इत्र आदि के विषय में प्रदेशीय सरकार को कोई अधिकार नहीं है। केन्द्रीय सरकार की स्वतः यह नीति है कि अपने देश के उद्योग धंधों को विकसित करने के लिये ऐसी चीजों को और ऐसे साधन को बाहर से न आने दे जो चीजें यहां पर समुन्नत की जा सकती हैं या विकसित की जा सकती हैं।

श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या यह सही है कि गाजीपुर शहर के आस-पास गुलाब और चमेली की खेती ज्यादा होती है और यहां के गुलाब और चमेली के फूल बाहर के देशों को भेजे जाते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बाहर के देशों को भेजे जाते हैं यह तो मैं नहीं जानता। इतना जानता हूं कि चमेली इत्यादि यहां पर काफी मात्रा में उत्पन्न होती है और यह रोजगार बहुत जमाने से यहां का एक उन्नत रोजगार रहा है और चमेली इत्यादि का तेल हमारे प्रदेश के और अपने देश के बहुत स्थानों पर यहां से जाता है।

*२१-२२—**श्रीमती चन्द्रवती** (जिला बिजनौर)—[११ अप्रैल, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

बिजनौर जिले के सरकारी अस्पताल के भवन की मरम्मत के लिये अनुदान

*२३--श्रीमती चन्द्रवती--क्या स्वास्थ्य मंत्री सूचित करेंगे कि बिजनौर जिले के सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग की मरम्मत के लिये २५,००० रुपया दिया गया है ?

श्री बनारसीदास--जी हां ।

श्रीमती चन्द्रवती--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह २५ हजार की रकम जो दी गई है वह वहां के अस्पताल की मरम्मत के लिए बहुत ही कम है और वहां क्वार्टर्स बनने की बहुत जरूरत है ?

श्री बनारसीदास--इस वक्त तो माननीय सदस्या का प्रश्न यह था कि रुपया दिया गया है या नहीं। जहां तक इस २५,००० रुपए का प्रश्न है, उससे ४०० रुपया अधिक ही मंजूर किया गया है, जहां तक क्वार्टर्स का सवाल है यह सही है कि वहां जरूरत है, उस पर अलग से विचार होगा ।

आजमगढ़ जिले में हसेपुर सनूप ग्राम समाज को कूप-निर्माणार्थ दिये गये धन के दुरुपयोग की शिकायत

*२४--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ तहसील फूलपुर के ग्राम समाज हसेपुर सनूप को नियोजन विभाग द्वारा दी गयी सरकारी सहायता से सिंचाई के कितने पक्के कुयें बने हैं ?

श्री फूलसिंह--एक ।

*२५--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतायेगी कि उक्त ग्राम समाज में सरकारी धन जो कुवां बनवाने को मिला था, उसके दुरुपयोग होने की दरख्वास्त अधिकारियों को मिली है ?

श्री फूलसिंह--जी हां, पर जांच से ज्ञात हुआ है कि सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं हुआ है ।

*२६--श्री उमाशंकर (अनुपस्थित)--यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री फूलसिंह--प्रश्न हीं नहीं उठता ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय नियोजन मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि नगद रुपया कब दिया गया था और उसका उपयोग कब किया गया ?

श्री फूलसिंह--लगभग ४०० रुपए का सामान दिया गया था, नकद रुपया कभी नहीं दिया गया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या नियोजन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति ने दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो किसने ?

श्री फूलसिंह--यह तो मैं उत्तर में कह चुका हूं कि दरख्वास्त आयी थी लेकिन जांच करने पर वह निराधार साबित हुई ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह सहायता रुपए के रूप में दी गई थी या सामान के रूप में ?

श्री फूलसिंह--सामान के रूप में दी गई थी ।

नोट--तारांकित प्रश्न २४-२६ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में टेक्निकल सहायकों की ट्रेनिंग की स्कीम

*२७--श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)--क्या सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यों की पूर्ति के लिये रुड़की व लखनऊ में (technical) व्यक्तियों को ट्रेन्ड करने के लिये कोई नई योजना बनाई है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, टेक्निकल सहायकों की शिक्षा के लिए रुड़की यूनिवर्सिटी तथा सिविल इन्जीनियरिंग स्कूल, लखनऊ, में ओवरसियर कोर्स के ढंग पर नौ महीने की अवधि की नई कक्षायें खोली गई हैं, तथा राजकीय टेक्निकल स्कूल, लखनऊ, के डिप्लोमा क्लास में एडीशनल सेक्शन अगले वर्ष खोला जायगा ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय वर्क्स सुपरवाइजर यूनियन के अध्यक्ष का कोई आवेदन-पत्र गत नवम्बर में उनकी सेवा में आया था ? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में उन्होंने क्या निर्णय किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे तो ऐसे पत्र की याद है नहीं ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो टेक्निकल एजूकेशन की व्यवस्था सिविल इंजीनीयरिंग कालेज में और रुड़की विश्वविद्यालय में की गई है उनकी क्लासेज शुरू हो गई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, कुछ अवश्य शुरू हो गई हैं ?

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या इन विद्यार्थियों को कोई स्टाइपेंड भी दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--कुछ को दिया जाता है ।

श्री रामदास रविदास (जिला फैजाबाद)--स्टाइपेंड किस आधार पर दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुत--प्रिंसिपल इत्यादि देखते हैं और एक कमेटी होती है जो इस बात का ज्ञान प्राप्त करके कि आया अमुक विद्यार्थी पढ़ने में योग्य है और गरीब है, सिफारिश करती है और ऐसे व्यक्तियों को वजीफा दिया जाता है ।

श्री रामदास रविदास--क्या हरिजनों के लिये कोई विशेष सुविधा रहती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जहां तक मुझे हरिजनों के बारे में ज्ञान है, वह तो यह है कि हरिजन विभाग तो स्वत: ऐसे तमाम व्यक्तियों को किसी न किसी तरह से स्कालरशिप या और सहायता देकर मदद करता है ।

*२८-२९--श्री लक्ष्मणराव कदम--[११ अप्रैल, १९५६, के लिये स्थगित किये गये ।]

पश्चिमी जिलों में, विशेषकर हरिद्वार व सहारनपुर में, सीमेण्ट की कमी

*३०--श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या सरकार यह बतायेगी कि सितम्बर मास में नियोजन मन्त्री ने विधान सभा में जो आश्वासन दिया था कि सरकार पश्चिमी जिलों में सीमेंट की कमी को दूर करने का प्रबन्ध करेगी उसकी पूर्ति हो गई है ?

श्री बनारसीदास--जी हां, कमी दूर करने का प्रयत्न किया गया है ।

*३१—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या सरकार बतायेगी कि सितम्बर, अक्तूबर तथा नवम्बर महीनों में मेरठ कमिश्नरी को कितना सीमेंट दिया गया और वह कोटे से कितना कम था ?

श्री बनारसीदास—सितम्बर, अक्टूबर तथा नवम्बर महीनों में मेरठ कमिश्नरी को कुल ७९८२ टन सीमेन्ट दी गयी जो वहां के ५५५९ टन के कोटे से कहीं अधिक थी।

*३२—**श्री दीनदयालु शास्त्री**—क्या सरकार बतायेगी कि सहारनपुर जिले विशेषता हरद्वार में सीमेंट उपलब्धि का वह क्या प्रबन्ध कर रही है ?

श्री बनारसीदास—सहारनपुर जिले को वहां के ११८९ टन के कोटे के अतिरिक्त २२० टन सीमेंट का विशेष कोटा अर्द्धकुम्भ मेले के लिये दिया गया है तथा सीमेन्ट कम्पनियों को इस कोटे को सर्व प्राथमिकता पर भेजने का आदेश दे दिया गया है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि पिछले ४ महीने से सहारनपुर जिले में और विशेषकर हरिद्वार में सीमेन्ट के उपलब्ध कोटे में फिर कमी हो गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह हो सकता है कि वहां सीमेंट उस मात्रा में लोगों को प्राप्त न हो जिसमें उसकी आवश्यकता है। लेकिन निर्धारित कोटे से तो वहां अधिक सीमेंट भेज दी गई है। अर्द्धकुम्भ मेले के लिये कुछ विशेष कोटा दिया गया है, हरद्वार के लिये।

श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या माननीय मंत्री जी को विश्वास है कि हरिद्वार के लिये जो विशेष कोटा नियत किया गया है, वह अर्द्धकुम्भ से पहले वहां पहुंच जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उसके पहुंचने के लिये ही तो केन्द्रीय सरकार से बहुत लिखा-पढ़ी करके बाद यह स्पेशल कोटा उनसे लिया गया क्योंकि ऐसा समझा जाता था कि यदि केन्द्रीय सरकार इस समय इस विशेष कोटे को नहीं देगी तो हमारे बहुत से कार्य जो कि चल रहे थे, रुक जावेंगे। इसलिये केन्द्रीय सरकार ने कुछ कोटा दिया है परन्तु उससे भी हमारी योजनायें पूरी होने वाली नहीं हैं। हमारे विभाग ने तथा स्वयं मैंने और दूसरे मंत्री जी ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और बराबर हम उनसे आग्रह करते रहे हैं कि हमें इन विशेष परिस्थितियों में अधिक कोटा दिया जाय।

*३३-३५—**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)—[११ अप्रैल, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

*३६—**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—[११ अप्रैल, १९५६, के लिये स्थगित किया गया।]

बलिया जिले में सामुदायिक विकास विभाग, रतनपुरा, से ट्रैक्टर खरीदने के लिये दी गयी तकावी की वापसी

*३७—**श्री गंगाप्रसाद सिंह** (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि जिला बलिया में कुछ व्यक्तियों से इस वर्ष एकमुश्त रुपया वापिस ले लिया गया है जिनको कि सामुदायिक विकास विभाग रतनपुरा से ट्रैक्टर खरीदने के लिये दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने ट्रैक्टर खरीदने के लिए तकावी ऋण लिया था, ऋण लेने के उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्दर उसका उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया। इसलिए वह रुपया वापस ले लिया गया।

कानपुर में मद्य-निषेध के उपरान्त टिञ्चर जिंजर की विक्री में वृद्धि

*३८—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या सरकार को पता है कि मद्य-निषेध योजना के बाद से कानपुर में टिंचर जिन्जर की बिक्री तिगुनी और चौगुनी से अधिक बढ़ गई है ?

मादक-कर मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—टिंचर जिंजर की बिक्री बढ़ जाने की शिकायतें सरकार के पास आई हैं परन्तु उनकी तुलनात्मक मात्रा बतलाना कठिन है ।

*३९—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या मन्त्री जी कृपा कर बतायेंगे कि मद्य-निषेध की योजना के पहिले कानपुर में कितनी टिंचर जिंजर की दूकाने थीं और इस समय कितनी हैं ?

श्री गिरधारी लाल—मद्य निषेध के पहले कानपुर की टिंचर जिंजर की दूकानों की संख्या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । इस समय कानपुर में इस दवा को बेचने के लिए U. P. Drugs Rules, 1945, के अन्तर्गत २२१ लाइसेन्स हैं ।

*४०—श्री रामदुलारे मिश्र—क्या यह सही है कि टिंचर जिंजर में शराब का जैसा नशा आता है और इससे लोगों के स्वास्थ्य में काफी धक्का लगता है ? अगर हां, तो क्या सरकार टिंचर जिन्जर की बिक्री रोकने की व्यवस्था पर विचार करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां, सरकार ने इस प्रकार की दवाइयों का दुरुपयोग रोकने के लिए नियम बना दिये हैं जो २९ जनवरी, १९५६, के सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुके हैं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मद्य निषेध योजना के बाद से कानपुर में टिन्कचर जिन्जर के लाइसेंस अधिक बढ़ने के क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारी लाल—यह तो साफ है कि जब से वहां प्राहीबीशन हुआ है ऐसी चीज को लोग नाजायज तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और उन्होंने किया होगा। लाइसेंस बढ़ने का यही कारण है ।

श्री रामदुलारे मिश्र—२२१ लाइसेंस जो बतलाये गये हैं इनमें कितने डाक्टरों को हैं ?

श्री गिरधारी लाल—जितने भी लाइसेंस हैं सब कैमिस्ट्स ड्रगिस्ट्स और डाक्टरों के पास ही हैं ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या टिन्चर जिन्जर के साधारण प्रयोग पर कोई रोक की व्यवस्था सरकार ने की है ?

श्री गिरधारी लाल—आइन्दा को यह होगा कि जितने डाक्टरों के नुस्खे हुआ करेंगे उन पर यह चीज दी जाया करेंगी ।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार को मालूम है कि जैसे इस टिन्चर का प्रयोग होता है वैसे ही मैथीलेटेड स्प्रिट का भी प्रयोग होता है ?

श्री गिरधारी लाल—हां, यह हो सकता है ।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार इसकी रोक-थाम की कुछ चेष्टा कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—इसकी बहुत काफी चेष्टा हमेशा हुई है, अब भी हो रही है और आगे भी होगी । पहली बात तो यह है कि रैक्टीफाइड स्प्रिट के अन्दर कुछ दवाइयां ऐसी मिलाई गई हैं जो मानव समाज के लिये उपयुक्त न हों । फिर भी लोग किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं । अगर कोई शिकायत सरकार की नोटिस में आती है तो जितनी भी मुनासिब कार्यवाही होती है वह करते हैं ।

श्री रामदुलारे मिश्र—क्या सरकार के पास ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि जिन लोगों को औषधि निर्माण के नाम पर लाइसेंस दिये गये हैं वे अधिकांश लोग चोरी से बेचते हैं?

श्री गिरधारी लाल—मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री के सीमेंट का मूल्य तथा फैक्ट्री के हिसाब की जांच रिपोर्ट

*४१—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री मिर्जापुर से निकलने वाला सीमेंट बाजार में अन्य फैक्टरीज द्वारा उत्पादित सीमेंट से अधिक कीमत पर बेचा जाता है? यदि हां, तो इस अधिक कीमत होने का क्या कारण हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—भारत सरकार ने युद्धोपरांत ऊंची लागत पर स्थापित फैक्टरियों द्वारा उत्पादित सीमेंट का मूल्य अपेक्षाकृत पुरानी फैक्टरियों के सीमेंट के मूल्य से उच्चतर दर पर निश्चित किया है।

*४२—श्री तेजप्रताप सिंह—सरकार इस सीमेंट की कीमतों को अन्य सीमेंट की कीमतों के समकक्ष लाने के लिये कौन से कदम उठा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फिलहाल यह प्रश्न नहीं उठता।

*४३—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकार मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री के हिसाब की जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रक्खेगी अथवा उस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातों को बतायेगी?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री के हिसाब की जांच में जो मुख्य-मुख्य बातें कही गई हैं उनका एक विवरण, तत्संबंधी उत्तर के साथ, माननीय सदस्य की मेज पर रक्खा है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २२१ पर)

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सीमेंट चुर्क फैक्ट्री से निकलता है उसका प्रति टन के हिसाब से क्या उत्पादन कास्ट पड़ता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तो कास्ट बताया नहीं जा सकता क्योंकि अभी तक उसका कास्टिंग नहीं लग पाया है। सारे कैपीटल की कास्ट लगाकर ही यह निर्णय लिया जा सकता है लेकिन अभी तक पूरी कैपीटल कास्ट कागजात में तैयार नहीं हो पायी है। कई फर्मों से जहां से उसकी मशीनरी खरीदी गई है वहां से यह मालूम नहीं हो पाया है कि उनका कितना रुपया और देना बाकी है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ५४-५५ की बैलेंस शीट अभी तक तैयार हुई है या नहीं? यदि हो गयी है, तो कितना मुनाफा या घाटा हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी बैलेंस शीट के रूप में कागजात तैयार नहीं हो पाये हैं। अभी जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया, कागजात तैयार नहीं हो पाये हैं क्योंकि कई विदेशी फर्मों से जिनसे मशीनरी आदि खरीदी गयी थी, उनसे लिखा-पढ़ी हो रही है। अभी कल वहां के डाइरेक्टर मेरे पास आये थे, उन्होंने बताया कि प्राइस वेल्यूज का क्लाज जो एग्रीमेंट में था जिसमें यह तय हुआ था कि कुछ समय के बाद कितनी कीमत होगी, वे तमाम बातें विचाराधीन हैं। उनके ऊपर कतई निर्णय नहीं हो पाया है। अतः बैलेंस शीट जैसी चीज जो दूसरी कंपनियों में होती है, तैयार नहीं हुई है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री की सीमेंट महंगी होने का एक कारण यह भी है कि उसकी मशीनरी महंगी आयी है जिनका बीअर एन्ड टीअर ज्यादा है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---लड़ाई के जमाने में जहां-जहां फैक्ट्रियां लगी हैं, उनको अधिक दाम जरूर देना पड़ा है। ट्रावनकोर में जो फैक्ट्री इस जमाने में लगी है उसका प्राइस स्ट्रक्चर भी ज्यादा है इसलिये वहां की सीमेंट का दाम भी ज्यादा रक्खा गया है। यह इसलिये रक्खा गया है कि उनको भी जिन्दा रहने का एक मौका मिल सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि और सीमेंट फैक्टरियों का जो सीमेंट बाजार में आता है, उसमें और चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के सीमेंट की कीमतों में कितना अन्तर है?

श्री फूलसिंह---ज्यादा से ज्यादा १२ रुपया प्रति टन।

श्री गेंदा सिंह---इस समय चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के सीमेंट की कीमत किस आधार पर है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---केंद्रीय सरकार ने जो ओवरआल स्ट्रक्चर बना रक्खा है कि इतनी कीमत लगी होगी उसके ऊपर वह कीमत तय करती है। जितनी कैपीटल कास्ट लड़ाई के जमाने में फैक्टरियों के लगाने के कारण उन्हें ज्यादा लगी हुई प्रतीत हुई उसी से केंद्रीय सरकार कीमतों का निर्णय करती है और उसी आधार पर इस फैक्ट्री के बने हुए सीमेंट की कीमत का निर्णय किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या उस रिपोर्ट में यह भी शिकायत की गई है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री में २३ बड़े-बड़े अधिकारी हैं जब कि ऐसी प्राइवेट कंपनी में ११ अधिकारी ही रक्खे जाते हैं? यदि हां, तो इस शिकायत के निराकरण के लिये सरकार ने क्या किया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह भी शिकायत वास्तविकता से परे है और आडीटर महोदय ने यह शिकायत इसलिये की कि उन्हें बाहर की और फैक्टरियों का अधिक ज्ञान नहीं है। इसमें कुल २३ अधिकारी हैं। बाहर की फैक्ट्रियों में जो इस प्रदेश में या प्रदेश के बाहर लगी हुई हैं उनके सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का उन्होंने हिसाब लगाया है जो वहीं फैक्ट्री के तहत में काम करते हैं। लेकिन हमारा तजुरबा और ज्ञान यह है कि जो फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं वे फैक्ट्रियों के अन्दर तो रहते नहीं हैं, उनके दफ्तर कलकत्ता या बंबई में होते हैं और वहां अपने तहत में कलकत्ता या बम्बई में अधिकारी रखते हैं, उस संख्या को उन्होंने इसमें शामिल नहीं किया है, नहीं तो वे ऐसी बात न कहते कि २३ व्यक्ति इसमें ज्यादा रख लिये गये हैं। इसके अतिरिक्त ३-४ व्यक्ति उन्होंने वे भी इसमें सम्मिलित कर लिये हैं जो एग्रीमेंट के तहत फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जिनकी अवधि निर्धारित है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो स्टाफ सेंट्रल एक्साइज का था और पी० डब्ल्यू० डी० का था उनसे बिजली, पानी और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का किराया क्यों नहीं वसूल किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---कुछ तो ऐसे अधिकारी थे जिनके विषय में यह निर्णय नहीं हुआ था कि वे रजीडेंस और बिजली पानी फ्री पायेंगे। कुछ के विषय में अब निर्णय हो चुका है और उस निर्णय के बाद उनसे किराया आदि वसूल किया जा रहा है और कुछ के मामले अभी विचाराधीन हैं। जहां तक कि मेसर्स हेनरी पूली से संबंधित व्यक्तियों का संबंध है, उनके एग्रिमेंट में यह बात है कि उन्हें फ्री रेजिडेंस इत्यादि दी जायगी।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का आय-व्ययक का जो लेखा है वह उसी प्रकार तैय्यार किया जाता है जिस तरह से अन्य सरकारी आय-व्ययक का लेखा तैयार किया जाता है या जैसे ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज का आय-व्ययक का लेखा तैयार किया जाता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त मेरे आदेश इस प्रकार के हैं कि जिस प्रकार से कम्पनियों का आय-व्ययक का लेखा तैयार किया जाता है वैसे ही इसके भी हिसाबात तैयार किये जायं और इस बात की चेष्टा की जा रही है और इस फैक्ट्री के डायरेक्टर ने कल ही बताया था कि वे इस बात की आशा करते हैं कि जिस प्रकार से हिसाब कम्पनियों के रक्खे जाते हैं वैसे ही हिसाब रख कर अप्रैल तक मुझे पूरे तौर से इस बात की सूचना दे सकेंगे कि कुल कितना धन इस फैक्ट्री के ऊपर व्यय हुआ, कितना डेप्रिसियेशन हुआ और कितना इसके चलने में व्यय होगा। जैसा कि सूचना में बताया गया है, बहुत से विभागों ने इस फैक्ट्री को लगाने में कार्य किया है। दुर्भाग्य से क्योंकि हमें पहले अनुभव नहीं था इस फैक्ट्री को लगाने के लिये एक व्यक्ति के सुपुर्द इसे नहीं किया। डी० एम० पी० डब्ल्यू० डी०, एलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सबको अलग-अलग उनके काम सुपुर्द किया जिससे कि जैसे कि और फैक्टरीज में होता है कि एक व्यक्ति के तहत में सारे कार्य होते हैं वैसे इसमें कार्य नहीं हो सका। यह मेरे ख्याल से अनुभवहीनता के कारण हुआ है। अगर पब्लिक सेक्टर में और कोई कार्य चालू होगा तो जो नया अनुभव हमारे अधिकारियों को हुआ है उसकी बुनियाद पर कदाचित् ऐसी भूलें आयन्दा नहीं हो सकेंगी।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या यह सच है और प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का जो सीमेंट है वह अधिक पावरफुल है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हां, हमें विशेषज्ञों ने यही सूचना दी है कि चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का सबसे बढ़िया सीमेंट समझा जाता है।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि मेसर्स हेनरी पूल के स्टाफ को जो फ्री एकमोडेशन देने का एग्रिमेंट था तो उसमें बिजली पानी का चार्ज न देने की भी बात थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे डिटेल्स नहीं मालूम हैं लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, कि ये सारी सुविधायें उनको दिये जाने का वचन दिया गया था।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि मेसर्स हेनरी पूल कम्पनी के जो कर्मचारी सीमेंट फैक्ट्री में हैं तो उनका वेतन प्रादेशिक सरकार देती है या हेनरी पूल कम्पनी देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उनसे तो परसेंटेज बेसिस पर तै हुआ है और इसलिये जो तनख्वाहें हैं वे तो उनके हिसाब में ही करटेल होती हैं।

श्रीमती चन्द्रवती--क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो चुर्क सीमेंट फैक्ट्री का सीमेंट है वह सरकार द्वारा बनाये गये डैम्स पर खर्च किया जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--फैक्टरी की स्थापना इसी कारण हुई थी कि रिहन्द डैम बनने वाला था जिसमें बहुत सीमेंट व्यय होगा। तो अब रिहन्द डैम बनने जा रहा है और बहुत अधिक मात्रा में इसका सीमेंट इसी कार्य में इस्तेमाल होने जा रहा है।

बभनान शुगर मिल (जिला बस्ती) में गन्ना हड़ताल

*४४--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बभनान (जिला बस्ती) शुगर मिल में गत २१ दिसम्बर, १९५५, से गन्ना हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री फूल सिंह--जी नहीं, हड़ताल नहीं चल रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या जिस समय यह प्रश्न किया गया था और जिस तिथि के मन्तव्य से यह प्रश्न किया गया था उस समय गन्ना उत्पादकों और मिल-मालिकों में संघर्ष चल रहा था ?

श्री फूलसिंह—यह प्रश्न की तारीख तो मैं नहीं बता सकता लेकिन एक समय हड़ताल हुई थी और वह दो-तीन दिन चलकर समाप्त हो गई।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उस हड़ताल के क्या कारण थे और किस आधार पर उसका निराकरण हुआ?

श्री फूल सिंह—वहां केन सोसाइटी ने नियमानुसार २ पैसा फी मन कटौती निश्चित की थी, उस पर कुछ लोगों ने काश्तकारों को भड़का कर वह हड़ताल कराई थी लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि वह कटौती उन्हीं के लाभ के लिये खर्च होगी तो वह हड़ताल समाप्त कर दी गई।

लखनऊ आदि नगरों में कोयले की कमी के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायण दत्त तिवारी ने भेजा है वह इस प्रकार है:—

"प्रदेश के कानपुर लखनऊ आदि अनेक शहरों में कोयले की अत्यन्त कमी के कारण अनेक कारखानों के बन्द हो जाने की सम्भावना तथा कोयले का इस्तेमाल करने वाली शहरी जनता को इस कमी के परिणामस्वरूप होने वाली कठिनाइयों से उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये आज सदन अपनी कार्यवाही स्थगि करता है।"

यह प्रश्न महत्व का तो है, लेकिन वाकयात कहां तक सही हैं, यह मैं नहीं कह सकता, वह कहां तक निश्चित है, वह इसकी निश्चितता के बारे में बतायें और अरजेंसी के बारे में भी कृपया बतायें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, आप को तथा इस सदन के माननीय सदस्यों को विदित ही है कि पिछले कई दिनों से कानपुर और लखनऊ शहर और दूसरे बड़े नगरों में कोयले की अत्यन्त कमी हो गई है। इसके अलावा कानपुर में जो कई प्रमुख मिलें हैं उन्होंने अपनी मिलों को इसी कारण से बन्द करने का नोटिस दे दिया है। जब मैं इधर कानपुर के लोगों से, और वहां से आने वाले सदन के सदस्यों से मिला तो उन्होंने मुझे जानकारी करायी, और आप को भी जानकारी होगी कि कानपुर में वास्तव में विषम परिस्थिति पैदा हो गयी है। लखनऊ में भी जो लोग कोयले का इस्तेमाल करते हैं, आम जनता को भी इधर बहुत दिनों से परेशानी हो रही है। तो यह ख्याल था कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से कह कर इस संबंध में इस स्थिति का निराकरण कर पायेगी। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी इस संबंध में ठोस कदम केंद्रीय सरकार की ओर से या प्रदेशीय सरकार के कहने से नहीं उठाया गया। यह विषय वैसे तो शायद सीधे केंद्रीय सरकार से संबंधित है, लेकिन प्रदेशीय सरकार की वितरण की जिम्मेदारी अवश्य है। इस संबंध में प्रदेशीय सरकार ने क्या किया? क्योंकि हम सीधे भारत सरकार के पास नहीं जा सकते, प्रदेशीय सरकार के द्वारा यह जनता या कारखाने वाले जा सकते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि प्रदेशीय सरकार की जिम्मेदारी है और यह बहुत महत्व का विषय है। मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि मुझे आप आज्ञा दें कि मैं इसका प्रस्ताव कर सकूं और इस पर वाद-विवाद हो सके। आज जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का विवाद है, इसलिये सिविल सप्लाईज का प्रश्न आ नहीं सकता। सिविल सप्लाईज का बजट बहुत दिन बाद आने वाला है, इसलिये मैंने यह काम—रोको प्रस्ताव रखने का विचार किया।

नियोजन मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जहां तक उन वाकयात का संबंध है जिनका वर्णन अभी माननीय सदस्य ने किया उनमें तो कुछ तथ्य है लेकिन कोयले वितरण का कार्य बहुत कुछ वैगंस मिलने की पोजीशन से संबंध रखता है। वैगंस इत्यादि केंद्रीय सरकार देती है और इसलिये प्रदेशीय सरकार को केंद्रीय सरकार पर वितरण के सिलसिले

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

में आश्वित रहना पड़ता है, प्रदेशीय सरकार को ज्योंही इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि कोयले की कमी है, त्यों ही हमारे अधिकारियों ने कोल कमिश्नर को कंटेक्ट किया। कोल कमिश्नर ने उत्तर दिया कि आपको वैगंस की ठीक व्यवस्था नहीं हो रही है और इसलिये कोयला ठीक समय से पहुंच नहीं रहा है। तुरन्त ही मैंने आदेश यह दिया कि केंद्रीय सरकार के रेलवे बोर्ड से प्रदेशीय सरकार के अधिकारीगण सम्पर्क करें और उनसे इस बात का आग्रह करें कि रेलवे विभाग के अधिकारी वैगंस की शीघ्र ही व्यवस्था करें जिससे कि ऐसी अवस्था न उत्पन्न होने पाये कि मिलें आदि बन्द हों। तो यह तो रहा उस कार्य का विवरण जो प्रदेशीय सरकार ने अब तक किया है। मैं समझता हूं कि इस सारे वितरण की जिम्मेदारी इस मानी में कि अगर वैगंस केंद्रीय सरकार न दें तो केंद्रीय सरकार की है। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेशीय सरकार इस कार्य में पूरी जागरुक है और ऐसा प्रयास कर रही है जिससे यह समस्या जो अभी हमारे बीच में उठ खड़ी हुई है दूर हो और कोयला काफी मात्रा में उन नगरियों को मिल सकें, जिन्हें वह वैगंस न होने के कारण अब तक प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—जहां तक वितरण के बारे में प्रश्न है मुख्यतया केंद्रीय सरकार से इसका संबंध प्रतीत होता है। जिस हद तक प्रदेशीय सरकार से इसका सबंध है, वह इस वक्तव्य के बाद स्पष्ट हो जाता है, कि उन्होंने जितनी लिखा पढ़ी या उसकी तजवीज करनी थी वह सब तजवीज उन्होंने करके केंद्रीय सरकार को लिख दिया है। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आवश्यकता नहीं रहती यानी अरजेंसी नहीं रहती कि इसके ऊपर आज ही वाद-विवाद हो। निश्चित तो है ही। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि यह प्रश्न निश्चित है और महत्व का भी है। लेकिन अरजेंसी इसलिये नहीं है क्योंकि निश्चय इसके विषय में केंद्रीय सरकार को करना है और जब तक उनके विभाग का सप्लाई विभाग का बजट आयेगा तब तक मैं समझता हूं कि जो कुछ कार्यवाही सरकार द्वारा की गई है उसका फल भी सामने स्पष्ट हो जायगा। इसलिये सरकार द्वारा स्पष्टीकरण हो जाने के बाद में आज इस बात की इजाजत नहीं देता कि यह कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं केवल एक जानकारी चाहता था कि केन्द्रीय सरकार ने या रेलवे बोर्ड ने माननीय मंत्री जी को क्या उत्तर दिया, यह मंत्री जी के भाषण से स्पष्ट नहीं हुआ। वही मैं जानना चाहता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—रेलवे बोर्ड से कल क्या बातचीत हुई, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी मैं अपने सचिव से बात नहीं कर सका हूं। इसलिये मैं अभी यह सूचना नहीं दे सकता हूं, दोपहर के बाद दे सकूंगा।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, किसी वक्त आप सूचना दे दें।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के लिये आय-व्ययक में अनुदानों के लिये प्रस्ताव आयेंगे। इसमें दोनों अनुदान एक ही साथ ले लिये जायं।

कई सदस्य—हां, एक ही साथ ले लिये जायं।

श्री अध्यक्ष—तो फिर दिन भर यही चलेगा।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)––अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२––सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (लेखा शीर्षक : २५––सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत ३,१५,३६,४०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १३––कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक : २५––सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,९०,११,३०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, यों तो सामान्य प्रशासन जिसके अन्तर्गत ये दोनों मांगें आती हैं और विभागों की तरह एक विभाग है और उसका बजट भी एक प्रकार से विभागीय बजट है और छोटा सा बजट है। हमारे ८५ करोड़ के बजट में मुश्किल से ६, साढ़े ६ करोड़ का बजट है, पर इसमें सन्देह नहीं है कि इसका महत्व रुपये से आंका नहीं जा सकता जो इसके लिये मांगा जाता है। क्योंकि एक दृष्टि से इसका सम्बन्ध सभी विभागों से है और यदि सामान्य प्रशासन सुचारु रूप से संचालित हो तो निश्चय ही उसका प्रभाव सभी वभागों पर और प्रदेश के सामुदायिक जीवन पर अच्छा पड़ेगा। अब यदि इस व्यापक दृष्टि को ले लिया जाय तो फिर इस सम्बन्ध में जो वाद-विवाद होगा उसका स्वरूप वही हो जायगा जो राज्यपाल महोदय के सम्बोधन या बजट के सामान्य वाद विवाद का होता है जो कि मैं समझता हूं किसी का भी अभीष्ट नहीं होगा। कम से कम मैं अपनी तरफ से वैसी गलती नहीं करना चाहता, और कुछ खास-खास बातें जो कि इन दोनों अनुदानों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखती हैं, उनकी ही चर्चा करूंगा, वह भी बहुत ब्योरेवार नहीं, थोड़े में ताकि कम से कम समय लग सके। उसके बा आखिर में यदि कोई आवश्यकता हुई तो कुछ और निवेदन करने का यत्न करूंगा।

इन अनुदानों के भीतर दो उप-विभाग हैं। उप-विभाग इसलिये कहता हूं कि सेक्रेटेरियट जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन, एस० ए० डी० ए० में आ जाते हैं। परन्तु उनका महत्व बहुत बड़ा है और कई दृष्टियों से किसी भी दूसरे विभाग से कम नहीं है। एक तो स्टैटिस्टिक्स (संख्या) विभाग। यह बतलाने की जरूरत न होनी चाहिये कि इस विभाग का काम और इसका महत्व बढ़ता जा रहा है और ज्यों-ज्यों हमारा सेकेंड फाइव ईयर प्लान उसके आगे तीसरा, चौथा पांचवां होता जायगा त्यों-त्यों इसका महत्व और बढ़ता जायगा। आज कल स्पेशलाइजेशन का जमाना है इसका नतीजा यह है कि कई विभागों को कुछ हद तक अपने यहां से स्टेटिस्टिक्स का काम करना ही पड़ता है, श्रम विभाग है, प्लानिंग विभाग है, शिक्षा विभाग है, ऐग्रीकल्चर विभाग है, सभी के यहां पर कुछ न कुछ प्लानिंग का महकमा है। लेकिन इन सब के अलग होने से कहीं न कहीं, किसी न किसी स्टेज पर इंटीग्रेशन की, कोआर्डिनेशन की, एक जगह मिलाने की जरूरत होगी अन्यथा परिणाम यह होगा कि कभी-कभी एक विभाग से निकले हुए आंकड़े कुछ दूसरा अर्थ देंगे और दूसरे विभाग के आंकड़े कुछ दूसरा अर्थ देंगे। तो यह भी एक साइंस है, इसके कायदे हैं कि किस तरह से काम प्लानिंग का होना चाहिए, किस तरह से उनको मिलाना चाहिये। वरना ऐसा होता है, मैंने अखबारों में पढ़ा था और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट में बहस करते हुए किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि स्टेटिस्टिक्स की सूरत लिपिस्टिक जैसी है। लिपिस्टिक उस लाल-लाल चीज को कहते हैं जो महिलायें लगाया करती हैं। उन्होंने कहा था कि यदि लिपिस्टिक का उपयोग ठीक-ठीक किया जाय तब तो उससे चेहरे का सौन्दर्य बढ़ जाता है लेकिन गलत तरीके से उपयोग करने से चेहरा और भी वीभत्स हो जाता है। इसी तरह स्टेटिस्टिक्स

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

का भी हाल है। बहरहाल इस बात से मैं सहमत हूं कि स्टेटिस्टिक्स का, आंकड़ों का ठीक-ठीक उपयोग न हो तो उनसे बिल्कुल अनर्थ हो सकता है, बिल्कुल उल्टा सीधा अर्थ हो सकता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि जो भिन्न-भिन्न विभाग हैं अपने अपने स्थान पर काम करते हैं उन सब को मिला कर स्टेटिस्टिक्स की ऐसी सूरत दी जाय कि जिससे जो प्रदेश की अवस्था है उसका सही चित्र सामने आ सके और पूरे तौर से आ सके अन्यथा उनसे एक विकृत चित्र बनेगा। तो एक तो इस दृष्टि से भी स्टेटिस्टिक्स विभाग को काफी संगठित करने की जरूरत है और इसके लिए कई अफसर बढ़ाये जा रहे हैं और जिलों में भी कई आदमी बढ़ाये जा रहे हैं। कुछ हद तक इसमें गवर्नमेंट आफ इंडिया का भी सहयोग प्राप्त है। दूसरे कई काम ऐसे हैं जिनको कि हम लोग और गवर्नमेंट आफ इंडिया का स्टेटिस्टिक्स विभाग, दोनों मिल कर करते हैं जैसे स्थानिक सर्वे हो रहा है। विस्तार से मैं इसका जिक्र नहीं करता हूं। सर्वे की जरूरत कितनी अधिक है। कोई दैवी मुसीबत आ जाती है, जैसे बाढ़ आ गई, पाला पड़ गया। अब कहा जाता है कि तीन आने का नुकसान हुआ। किसी ने कहा कि चार आने का नुकसान हुआ। अब इस तीन-चार आने के नुकसान की बाबत किसी सरकारी अहलकार की कोई और राय हो सकती है, काश्तकार किसी और दृष्टि से उसको कह सकता है। तो जब तक कोई आब्जेक्टिव बेसिस नहीं है कि यह सोलह आना होता क्या है, तब तक इसको ठीक तरह से तौला कैसे जा सकता है? इसलिये गवर्नमेंट आफ इंडिया और हम मिल कर एक सर्वे कर रहे हैं ताकि हम लोग एक आब्जेक्टिव स्टैन्डर्ड ठिकाने से बना सकें। तो इन सब कारणों से भी स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का काम बहुत बढ़ रहा है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि बहुत बड़ी एक मशीन आने की बात है जिसके लिए रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया है लेकिन यह मशीन हमारी होगी। उस मशीन की भी जरूरत थी क्योंकि एक तो यों कि वह काम जल्दी करती है और दूसरे मशीन गल्ती नहीं करती। आदमी से गलतियां हो सकती हैं कई कारणों से लेकिन मशीन से गलती नहीं हो सकती। तो हम ऐसा समझते हैं कि स्टेटिस्टिक्स के मुहकमे का काम बहुत जरूरी है और सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि उसको ठीक ढंग से चलना चाहिए, सुसंगठित रूप से होना चाहिए।

दूसरा विभाग जिसके लिए मैंने अभी कहा है, वह है सूचना विभाग। वह भी इस वक्त इन्हीं दोनों मुहकमों के अन्तर्गत, इन्हीं दोनों अनुदानों के अन्तर्गत आता है जिन्हें मैंने पेश किया है। सूचना विभाग आज कल के जमाने में कितने महत्व की चीज है उसकी बाबत कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। एक बात मैं जानता हूं। यह कभी-कभी शंका उत्पन्न हो सकती है कि सूचना विभाग का उपयोग किन्हीं राजनैतिक कामों के लिए किया जाय और यह मैं कह सकता हूं कि किसी के मन में वह शंका पैदा हो सकती है और कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है ऐसी शंका का पैदा होना। एक ही बात हो सकती है। जहां तक सम्भव हो, मनुष्य रोकथाम कर सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो अनिवार्य होती हैं। उदाहरण के लिए कहीं भी इस बात की सूचना दी जाय कि ५ मील लम्बी नहर बनी। बनी या नहीं बनी, यह दूसरी बात है, लेकिन मान लिया जाय कि ५ मील नहर बनी, तो यह तो सूचना की बात हुई। अब यहां तक भी सूचना की बात हो सकती है कि नहर बनी तो आप से आप तो बनी नहीं उसे बनाया होगा किसी ने। तो यह भी कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने ५ मील नहर बनायी। अब इसके आगे जरा राजनीति की जगह पैदा हो सकती है। कोई शख्स कह सकता है या तर्क लगा सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने नहर बनवाई तो चूंकि कांग्रेस गवर्नमेंट है इसलिए यह कांग्रेस का प्रोपेगेंडा हो गया। अगर कोई शख्स डेलीबरेटली सरकारी रूप से इस किस्म का प्रोपेगेंडा करता है तो वह गलत चीज है, मगर किसी

के तर्क या इनफ़रेंस करने से तो कोई उसको रोक नहीं सकता। जो आब्जेक्टिव चीज़ है वह सामने आनी चाहिये और इसमें सभी माननीय सदस्यों को दिलचस्पी होनी चाहिये कि हमारे प्रदेश में क्या-क्या काम हुए उनको हमारी जनता जाने। यह बहुत जरूरी है और कोई शख्स यह कहे कि ५–७ वर्ष से जब से यह शासन आया तब से कोई काम हुआ ही नहीं तो उसके दो माने होते हैं। एक तो यह कि इतने दिनों तक जो भी काम करने वाले गवर्नमेंट के सदस्य हैं या असेम्बली के सदस्य हैं उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया और देश का रुपया नष्ट होते देखते रहे और देश को तबाही के रास्ते पर ले गये, जो कि गलत लांछन होगा—गवर्नमेंट और असेम्बली दोनों के सदस्यों पर। ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। जनता को अवश्य इसकी जानकारी होनी चाहिये कि क्या-क्या काम हुए। यह कहना कि देश में कोई काम नहीं हुआ यह तो देश के लोगों को हतोत्साह करना है। यह वही सोच सकता है जो कि देश को बहुत ही गिरावट के रास्ते पर ले जा सकता है। पांच मील सड़क सरकार ने बनायी यह प्रोपेगेन्डे की बात हो सकती है और लेजिटिमेट हो सकती है और कोई यह कहे कि इतने ही समय और रुपये में १० माइल बन सकती थी तो यह कहने का अगर किसी को अधिकार है तो यह भी एक शख्स को कहने का अख्तियार है कि इतने समय और इतने रुपये में ५ मील से अधिक नहीं बन सकती थी। लेकिन ५ मील नहर बनी, यह चीज जनता के सामने जरूर आनी चाहिये, यही अभीष्ट है। अगर आलोचना करनी है तो जनता को एनलाइटेंड करके ही की जा सकती है, लेकिन असली बात को लोगों की आंख से छिपा कर कोई आलोचना करना चाहें तो वह बेकार है और साथ ही समर्थन भी बेकार है। चाहे समर्थन हो या आलोचना हो, दोनों के लिए आवश्यक है कि जनता के लिए शिक्षा होनी चाहिये और जनता के सामने फैक्ट्स होने चाहिये फिर जनता निश्चय करे कि फैक्ट्स कम हैं या ज्यादा हैं। इस काम के लिए अनेक साधनों से काम लिया गया है। अगर सब लोग पढ़े-लिखें होते तो अखबारों और पोस्टरों से काम लिया जा सकता था। दूसरे देशों में भी विजुअल, आडियो और अन्य साधनों सिनेमा, ड्रामे इत्यादि जो भी तरीके होते हैं उनसे काम लिया जाता है। हमारे देश के पास इतना रुपया नहीं है, लेकिन फिर भी जितने साधन और रुपया हमारे पास है, उससे हमने काम लिया और बजट में इन सब चीजों के लिए रुपया रखा गया है और गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी हमें रुपया मिला है। पिछले साल के बजट के मुकाबिले में इस साल इसमें ९ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो कि सर्वथा उचित है।

अब बजट की और कुछ बातों का थोड़े में जिक्र करना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर यहां बहस हुई और उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन ने जिन बातों का जिक्र किया था उसमें दो एक बातें खास थीं। एक तो यह शिकायत है कि हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और हम काम कर नहीं सकते। उसका एक कारण यह है कि उनके पास स्थान कम हैं और दूसरा यह कि उनके पास एक-एक नौकरी के लिए ५–५ सौ, हजार-हजार आदमी आते हैं, उनको कहां बैठालें। कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जगह मांगते हैं और कभी कहीं से। दो-दो तीन-तीन दिन की जगह १२-१२ दिन लग जाते हैं। तब तक लोगों को इलाहाबाद में टिका रहना पड़ता है और बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो अबके बजट में हमने इस प्रकार का प्रबन्ध किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक हाल बन जाय जिसमें एक हजार आदमी बैठ जायं और साथ ही धूप और पानी से रक्षा हो सके। साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर भी तीन की जगह चार कर दिये गये हैं और अब भी उनको शिकायत है कि कांस्टीटयूशन

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

के मुताबिक ५ हो सकते हैं वह होने चाहिये, नहीं तो जो चुनाव करने होंगे एक-एक, दो-दो करके उसमें हमें दिक्कत जरूर होगी। बहरहाल, इस वक्त हमने यह कर दिया है जिसका करना मैं जरूरी समझता हूं।

इसमें हमारे माननीय सदस्यों को दिलचस्पी जरूर होगी, क्योंकि यह सवाल कई बार उठा कि जो सब-डिवीजनल आफिसर्स हैं वह सदर में न रह करके हेडक्वार्टर पर रहा करें और यह उचित है। उसमें जो दिक्कत रही है वह इस बात की रही है कि इमारत की कमी थी। फिर भी मैं यह बतलाना चाहता हूं कि कुल २१७ सब-डिवीजनल आफिसर्स हैं, उनमें से १९ रेजिडेंशियल हैं और ५१ हेडक्वार्टर्स पर, इस प्रकार ७० हो गये। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा २१ ऐसी जगहें हैं जहां सब-डिवीजन का हेडक्वार्टर है और उसके लिए इमारत मिल सकती है। उनके लिए भी आर्डर हो रहे हैं कि वह उस जगह चले जायं। अब ९१ हो गये। बाकी रहे १२६। उनको सब-डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर भेजने में दिक्कत हो रही है और वह मकानों की कमी की वजह से। एक चीज और हो सकती है। कुछ सब-डिवीजन्स पास-पास हैं तो इस तरह के करीब ४० सब-डिवीजन्स मिल सकते हैं। मिलाये जाने से ४० के बदले २० का नम्बर घट जायगा, आधे रह जायंगे। इसमें अभी हम फाइनल नहीं हैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी अगर सब डिवीजंस मिला दी जायंगी तो दिक्कत हो जायगी और लोगों को शिकायत हो सकती है कि हमको बहुत दूर से आना पड़ेगा, फिर भी अन्य बातों का ख्याल करके ४० नहीं तो कुछ तो जरूर मिलाये जा सकते हैं। इससे आसानी होगी और इमारतें बनाने की बात कम हो जायगी और जितनी इमारतें बननी होंगी, वह तीन-चार साल के अन्दर बन जायंगी और ज्यों-ज्यों इमारतें बनती जायंगी वे अपने हेडक्वार्टर्स पर पहुंचते जायेंगे।

एक आइटम इसमें है जिसकी तरफ जरूर कई माननीय सदस्यों का ध्यान जायगा। इसमें यह है कि पी० सी० एस० में एक स्पेशल काडर बनाने की बात रखी गयी है १,००० से १,२०० तक की। कुछ लोगों का ख्याल हो सकता है कि इस तरफ कि वह शायद ठीक नहीं है। लेकिन इसकी न्यायता जो है वह मैं माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहता हूं। इस वक्त और जितनी प्रांविशियल सर्विसेज हैं उनमें सब में ही क्लास २ और क्लास १ है। एजूकेशन डिपार्टमेंट में है, फारेस्ट में है ऐग्रीकल्चर और इंजीनियर्स में है, सब में है। जुडीशियल में दूसरे नाम से है—हायर जुडीशियल सर्विस वहां है और काफी हाई परसेंटेज उनमें क्लास १ और क्लास २ के लोगों का है। लेकिन जो प्रांविशियल एक्जीक्युटिव सर्विस है इसमें कोई क्लास बना है ही नहीं। यह इत्तफाक की बात है। अपने भाग्य से कुछ लोग आई० ए० एस० में आ जाते हैं, लेकिन जो आई० ए० एस० में आते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, पर जो आ ही नहीं सकते उनकी संख्या अधिक है और इसी से अन्दाज हो सकता है कि इस वक्त एजूकेशन डिपार्टमेंट ने २३ परसेंट क्लास १ में है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में २९ परसेंट, ऐनीमल हस्बैंडरी में ६४ परसेंट, इंजीनियर्स में ४२ परसेंट, जुडीशियल में ३२ परसेंट और सिविल सर्विस वाले ८ परसेंट हैं। सब आई० ए० एस० मिला करके टोटल ८ परसेंट ऐसे हैं जो क्लास १ में जा सकते हैं। तो कुछ काम करने वालों के लिए उत्साह दिलाने की बात होनी चाहिये और उसी टैलेंट और दर्जे के आदमियों को दूसरे आदमियों के साथ मौका होना चाहिये। तनख्वाह ज्यादा नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी क्लास १ की तनख्वाह १,२०० रुपये पर रुकती है और इसमें भी हम १,२०० ही रख रहे हैं। तो यह चीज है। इसमें कुछ भ्रम होता था इसलिये मैंने समझा कि यह ठीक बात मालूम होती है कि इसमें भी कुछ आदमियों को काम करने का मौका दिया जाय, उनका भी उत्साह बढ़े।

दो एक और चीजें हैं सर्विसेज के सम्बन्ध में जिनकी मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। एक तो शेडचूल्ड कास्ट के उम्मीदवारों की बाबत है। अभी तक उनको उम्र के सम्बन्ध में और लोगों की अपेक्षा तीन वर्ष का कन्सेशन रहता है। अब उनको ५ वर्ष का कन्सेशन दिया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर वे किसी सर्विस के लिये तीन बार बैठें और न चुने जायं तो फिर तीसरी, बार के बाद नहीं बैठ सकते थे। लेकिन अब उनके लिये यह कर रहे हैं कि तीन-चार बार की कोई शर्त नहीं रहेगी। जो मैक्सिमम एज है उसके अन्दर रहते हुये वे जितनी बार कोशिश कर सकते हों, करें। अब यह कर दिया है।

कुछ ऐसी बातें हैं जिनका एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशेन्सी से बहुत ज्यादा सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में दो-तीन बातें हम कर रहे हैं जिनका सदन के सामने जिक्र करना चाहता हूं। एक तरफ तो एकोनामी का जिक्र आता है। जरूर एकोनामी अच्छी चीज है और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बतलाया था, एक एकोनामी कमेटी बैठी हुई है। वह जो एकोनामी हमको बतलायेगी जरूर, उस पर विचार करके काम करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं एकोनामी नहीं होती है इसलिये सेक्रेटेरियट में एक खास सेक्शन उसके लिये खोला गया है। एक स्पेशल आफिसर, रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर इसके लिये मुकर्रर किया गया है। माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि आज से ५० वर्ष पहले एक पाइक स्कीम बनी थी। उसमें यह था कि वह सब जितने जिलों में आफिसेज होते हैं उनमें स्टाफ की जांच करे कि कहां कितने स्टाफ की जरूरत है, कहां कमी की जाय और कहां बढ़ाया जाय। उस कमेटी को बने आज ५० साल हो गये और ५० वर्षों की कौन कहे, केवल पिछले ६, ७ वर्षों में बहुत काफी परिवर्तन हो गया है लेकिन उस पाइक स्कीम में कोई परिवर्तन हुआ है, वह जैसी की तैसी है। तो हम लोगों ने समझा कि ५० वर्ष की स्कीम बहुत पुरानी हो गयी, अब फिर से देखना चाहिये कि भिन्न-भिन्न दफ्तरों में कितना स्टाफ होना चाहिये, कहां बढ़ाने की जरूरत है, कहां घटाने की जरूरत है। वह स्कीम करीब-करीब तैयार हो गयी है। सब कमिश्नरों वगैरह से बैठ कर डिसकश कर लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वह स्कीम लागू हो जायगी। उससे फायदा यह होगा कि काम एफिशेन्सी के साथ होगा, स्टाफ के लोगों की भी शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा और पब्लिक को भी आसानी होगी। साथ ही एक और चीज है। अंग्रेजों के शासन की एक नीति थी, यह तो मैं नहीं कह सकता कि उनकी वह नीति ठीक थी या गलत थी, लेकिन उससे बहुत सा फालतू काम बढ़ता है। मुझे एक काम दिया गया लेकिन मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो सकता था इसलिये मेरे ऊपर एक और अफसर रख दिया गया और उसके ऊपर निगरानी रखने के लिये एक दूसरा अफसर उसके ऊपर रख दिया गया। उनका काम खुद काम करना नहीं था बल्कि दूसरों के काम को देखना था। लेकिन अब हमारे काम को देखें कैसे? खुद आकर तो बहुत कम देखते हैं, इसलिये रिपोर्ट मुझको जरूर भेजनी चाहिये चाहे उसको कोई पढ़े या न पढ़े। उसमें समय बर्बाद होता था, पैसा खर्च होता था कागज की छपाई वगैरह में। तो इसलिये अब हम इसकी भी जांच करा रहे हैं कि उसमें से कितने फार्म ऐसे हैं जो बहुत जरूरी हैं। यह भी देखने में आया है कि बहुत से फार्म ऐसे हैं जो बिल्कुल व्यर्थ हैं। वे भी छांटे जा रहे हैं। जब दफ्तरों का रिआर्गेनाइजेशन होगा तो उसके साथ साथ बहुत से काम जो बेकार हो रहे हैं, वे खत्म हो जायंगे। इससे भी ऐडमिनिस्ट्रेशन में एफिशेन्सी आयेगी।

एक और चीज है। अधिकारों में कुछ ऐसी बात थी कि बहुत से अधिकार सेक्रेटेरियट में ही रह जाते थे, यों समझिये कि मिनिस्टरों के पास रह जाते

—

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

थे। उसके बाद हेडस् आफ डिपार्टमेंट के पास। इसका नतीजा यह होता था कि छोटे-छोटे काम नीचे से घूमते-घूमते जब तक ऊपर न आयें तब तक नहीं हो सकते थे। यह भी आजकल के जमाने के लिये गलत चीज है और जो हमारी डिसिप्लीनरी इंक्वायरी कमेटी बैठी थी उसने भी सलाह दी थी और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पावर ऊपर से नीचे वालों को दी जाय। इसका नाम चाहे विकेन्द्रीयकरण हो या जो कुछ भी होता हो। कल एक लफ्ज डैमोक्रेटाइजेशन आया था। हम यही समझ रहे हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन में ऊपर से नीचे वालों को पावर डेलीगेट होनी चाहिये और हम इस बात की जांच भी कर रहे हैं कि कितनी पावर्स ऊपर से नीचे वालों को दी जा सकती है ताकि काम वहीं खत्म हो जाय। नीचे से बारबार ऊपर काम आने की जरूरत न हों और वहीं खत्म हो जाय।

जहां यह सब हो रहा है तो फिर कभी-कभी यह सवाल भी उठता है और यह सब बातें होती हैं कि दुबारा कमिश्नर्स क्यों रखे जा रहे हैं। यह तो पुराना सवाल हो गया है और कमिश्नर्स फिर से स्थापित हो गये हैं, गो यह चीज पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी नई चीज है और इसके लिये जिक्र करने की जरूरत है। कमिश्नर्स के फंक्शन्स में कोई फर्क नहीं हुआ है। कल एक सवाल बहस के दौरान में यहां उठा था कि हमारे यहां अच्छे आफिसर्स या अनुभवी आफिसर्स है या नहीं ? मैं एक मिनट के लिये भी यह नहीं कहता हूं कि जो हमारे अफसर हैं वह अच्छे नहीं है। पहले जमाने से यदि हम मुकाबला करे तो हमें मालूम होगा कि कितनी लम्बी सर्विस के बाद पहले जमाने में एक अफसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता था और आज हम देखे कि कितनी थोड़ी सर्विस के बाद ही एक आदमी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होने का मौका मिलता है बल्कि हमारे यहां पुलिस और फौज में कप्तान और कर्नल वगैरा लोग हो गये। अगर पहले का जमाना होता तो इतने ऊंचे ओहदों पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन स्वत्रतंता प्राप्त होने के बाद और बहुत से आफिसर्स के हटने से उनको मौका मिल गया लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से काम किया है। लेकिन फिर भी अनुभव होना दूसरी चीज होता है, इस दृष्टि से भी कमिश्नरों के होने की आवश्यकता है।

दूसरी एक बात और यह है कि कमिश्नरों के न रहने से यह बड़ी दिक्कत होने लगी थी कि हर छोटा-छोटा काम जो कलेक्टर के यहां होता था वह सब का सब गवर्नमेंट के पास सीधा आता था। इसका नतीजा यह होता था कि सेक्रेटेरियट में बहुत सा काम जमा हो जाता था। यहां से काम के निकलने में देर तो लगती ही है, इसलिये कमिश्नरों के होने से यह आसानी हो जायगी कि कई छोटे-छोटे काम जो यहां आते हैं उनके यहां आने की आवश्यकता नहीं होगी और वहीं जल्दी से जल्दी निबटा दिये जाया करेंगे। हमने इधर प्लानिंग का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, हम अपने प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का एक नया ढांचा बना रहे हैं। आगे चल कर चाहे यह विभाग तोड़ दिया जाय और यह एन० ई० एस० ब्लाक्स और कम्यूनिटी प्रोजेक्टस न रहे। लेकिन इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है बल्कि सारे देश के शासन का ढांचा बन रहा है। इसलिये हम सब लोग मिल कर इसको बनाने की कोशिश करें। क्या ढांचा बनेगा, इसको हम अभी से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एक ढांचा बन रहा है और इसको उचित गाइडेंस भी मिलना चाहिये। अगर इसको अनगाइडेड छोड़ दिया जाय, तो न जाने यह किधर चला जायगा। एक बात और है कि जिलों में जो हमारे कलेक्टर्स हैं वही इस प्लानिंग के काम को देखते हैं। अगर हम और आप अपना कोई काम करते हैं तो हमको आपको काम में गलती नहीं मालूम होती है। अगर गलती मालूम हो तो फिर क्यों करें ? इसलिये आज जरूरत है कि कोई अफसर जिसे अपने जिले से संबंध है उसके काम को देखने के लिये ऐसे शख्स की

जरूरत है, जो दो तीन जिलों का काम देखता हो, वह आदमी कह सकता है कि इस तरह से काम किया जाय और ऐसा काम उस जिले में हो रहा है, अगर इसी तरह से यहां भी किया जाय तो अच्छा होगा। इसलिये कमिश्नरों के रखने से यह हो सकता है कि कलक्टरों को गाइडेंस उनके काम में दे सकता है वरना उनको अपनी गलती मालूम नहीं हो सकती है।

तीसरे यह भी ठीक है कि अभी तक हमारे सामने कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन एक ढांचा जरूर है और उसको गाइड करना है कि किस तरह से हमारे शासन का रूप जा रहा है। अब हमारे यहां ५१ जिले हैं, उनके कलेक्टरों को यहां बुलाना बड़ा मुश्किल है। इसलिये कमिश्नरों को जो ६–७ होते हैं, बुलाना आसान है और उनको इंस्ट्रक्शन दे देने से वह आसानी से सब जगह पहुंच सकते हैं। इसलिये मौजूदा जमाने में ऐसा ही समझ में आता है कि ऐसे अफसर होने की जरूरत है जिसको दूसरे जिलों का भी अनुभव हो। इसीलिये कमिश्नरों की जरूरत है और ज्यों-ज्यों काम बढ़ा है त्यों-त्यों कमिश्नरों की संख्या भी बढ़ी है और इसीलिये इन्हें रखना पड़ा है। इससे हमारा ऐसा ख्याल है, विश्वास है कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफीशियेन्सी में निश्चय ही मदद मिलेगी।

एक-दो बातों का और जिक्र करना चाहता हूं। वह यह है कि कुछ खर्च आपके एलेक्शन के लिये रक्खा गया है ५० लाख रुपये का। जो अगला जनरल एलेक्शन होने वाला है उसके लिये यह ५० लाख रुपया नहीं है, उस के लिये तो साढ़े ४१ लाख रुपया है, और जो बाकी का रुपया है, वह इसलिये है कि शायद हमारे यहां बाई एलेक्शन हों, एलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हों या एलेक्टोरल रोल आदि का काम हो। उन सब के प्रबंध के लिये यह रुपया है। पिछली मर्तबा ७७ लाख रुपया रखा गया था जिसमें से २७ लाख रुपया बैलेट बाक्सेज का था। इस बार रुपया तो खर्च करने की जरूरत नहीं रही, बाकी रहा ५० लाख रुपया, तो पिछली बार एलेक्शन पर ५० लाख रुपया खर्च हुआ था, लेकिन अब की बार हमारा ख्याल है कि यह काम साढ़े ४१ लाख रुपये में हम कर ले जा सकेंगे और यह थोड़ी सी बचत हो सकेगी।

एक हिन्दी का मसला है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को हिन्दी के मसले में काफी दिलचस्पी होगी और होना चाहिये। उत्तर प्रदेश में हिन्दी में जो कुछ काम हुआ है और जो कुछ हम करने की कोशिश करते रहे हैं, वह समय-समय पर माननीय सदस्यों के सामने आता रहा है, इसलिये मैं इसका ज्यादा डिटेल के साथ जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी प्रदेशों, बिहार और मध्य प्रदेश की सरकार से हमने यह तय कर लिया है कि हमारे और उनके बीच में जो चिट्ठी-पत्री हुआ करेगी वह सब हिन्दी में हुआ करेगी। एक चीज है और वह यह कि हिन्दी की बाबत मुसीबत यह रही है कि बहुत से विषयों पर उसमें किताबें नहीं है या बहुत कम हैं। किताबों के जो पब्लिशर हैं उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी में शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं है और इसलिये अगर हम किताबें छपवावें तो उनको लेगा कौन? इसके अलावा यूनिवर्सिटी का कहना यह है कि जब बाजार में किताबें ही नहीं है तो हम क्या करें? हम पढ़ावें किस आधार पर? तो यह एक प्रकार का ऐसा विशश सर्किल हो गया है कि जिसमें हम घूम रहे हैं। वह कहते हैं कि किताबें नहीं है और यह कहते हैं कि उनकी खपत नहीं है। तो इस चीज को खत्म करने के लिये इस काम की गवर्नमेंट को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। आप लोगों को याद होगा कि पारसाल हमने १ लाख रुपया विभिन्न विषयों पर हिन्दी की किताबों के लिये रखा था, इस वर्ष हमने इस काम के लिये २५ लाख रुपया रखना तय किया है। ५ लाख रुपया इस साल में है। हिन्दी में जो कठिन सब्जेक्ट है, उन

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पर लिखी हुई किताबों के लिये पुरस्कार के रुप में देने के लिये इस साल के बजट में हमने ६ लाख रुपया रखा है और इस तरह से हम अगले पंच वर्ष में ३० लाख रुपया खर्च करने वाले हैं ताकि हिन्दी का साहित्य हर तरह कि किताबों से अच्छी तरह से भर जाय और यह शिकायत न रहे किसी को कि खरीदने वाले नहीं हैं या किताबें नहीं है, या यूनिवर्सिटी में यह विषय कैसे पढ़ाया जाय, आदि। यह हमने उचित समझा और इस लिये ऐसी व्यवस्था की गई है। अभी लैंग्वेज कमीशन आ रहा है। वह तारीख १३ को यहां पहुंचेगा, उसमें मेरी भी गवाही होगी और दूसरे लोगों की भी गवाही होगी। हमको ऐसी आशा करनी चाहिये कि लैंग्वेज कमीशन के सामने जो गवाहियां होंगी और उसका जो काम होगा उससे हिन्दी की तरक्की ही होगी।

हिन्दी के साथ, इसका जिक्र करते समय एक बात और कहना चाहता हूं कि हमको उर्दू से कोई द्वेष नहीं है। इस बात में किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिये। उर्दू से हमारी दुश्मनी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। वह भी हमारे प्रदेश की भाषा है और उसके लिये शिक्षा के क्रम में काफी प्रबन्ध है। यदि उसकी शिक्षा के संबंध में कोई शिकायत हो तो वह गवर्नमेंट के नोटिस में लाई जा सकती है। हां, एक बात का हमने जरूर विरोध किया है और वह यह कि उर्दू को जो रीजनल लैंग्वेज बनाने की बात होती है वह संभव नहीं है। रीजनल लैंग्वेज वहां होती है जहां उनको बोलने वालों का एक अलग प्रदेश हो, जैसे मद्रास है, वहां तैलगू और कन्नड़ अलग-अलग भागों में बोली जाती है, एक हिस्से में तैलगू बोली जाती है और दूसरे में कन्नड़, तो वहां यह बात मानी जा सकती है। इसी प्रकार असमी और बंगाली भी अलग-अलग भागों में बोली जाती है, वहां वह रीजनल लैंग्वेज के तौर पर मानी जा सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ पहाड़ी हिस्सा तो ऐसा होगा कि जहां उर्दू का रिवाज नहीं है वरना हर जिले में कुछ न कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, और काफी तादाद में होंगे जो कि उर्दू जानते होंगे और हिन्दी भी जानते होंगे। कोई एक रीजन यहां नहीं बनाया जा सकता कि जहां केवल उर्दू जानने वाले लोग हों या केवल हिन्दी जानने वाले लोग हों। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार लैंग्वेज के आधार पर दो रीजन की बात करना यह उत्तर प्रदेश के लिये घातक है और इसलिये इसका हमने बराबर विरोध किया है।

अब मैं एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं जिसे सुन कर उनको और हम सब लोगों को सन्तोष होगा। मैं खास तौर से ऐसा समझता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी को जरूर संतोष होगा। आज से पहले जब इन चीजों का जिक्र यहां पर चला था तो कुछ लोगों ने भुखमरी का जिक्र बाढ़ के जमाने में यहां पर किया था, तो वह तो जिक्र हो चुका और उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन अभी ७,८ दिन हुये माननीय गेंदासिंह जी ने कुछ लोगों का खत मेरे पास भेजा, जो कुछ लोगों ने उनके पास भेजा था, उसको उन्होंने मेरे पास भेज दिया। उस खत के अन्दर बहुत जरूरी चीज है, इसलिये मैं उसको पढ़ देना चाहता हूं। उस में यह लिखा है कि "सेवा में निवेदन है कि बाढ़पीड़ित कटाव एरिया का जानमियां की औरत, टोला किशुनवा तथा रामपुर ढाप खाने बिना मर गई, आज दस रोज हुआ, और एक मु० मरसिया जौज भूखल अहीर, टोला किशुनवा अहिर टोली वो मु० लखपतिया, टोला किशुनवा, कचहरिया टोला, जिसको कोई मौजूदा वारिस नहीं है, खाने बिना आज कल में मर जाने वाली है। हम लोग सूचना देते हैं कि फौरन् मौके का जांच करा करके उन सबों के जीवन की रक्षा का प्रबन्ध किया जावे। मेरा ख्याल है कि जब ऐसा खत आया तो स्वाभाविक है कि चिन्ता हो। उन्होंने इस खत को मेरे पास भेज दिया। इस खत के ऊपर १६ आदमियों के अंगूठे के निशान मौजूद हैं और इसमें लिखा है २, १ रोज में मर जाने वाली है। इस जमाने में उन लोगों को यह फुरसत रही है कि इतने लोगों का अंगूठा लगवाया जाय लेकिन इन लोगों ने उनकी जान बचाने की कोशश नहीं की। जिन लोगों को इन दो औरतों में दिलचस्पी रही जो कि दो दिन के अन्दर मरने वाली थी,

उनके लिये उन्होंने कोई फिकर नहीं की। बहरहाल, जो कुछ हो, यह ऐसी बात थी जिसकी जांच कराना जरूरी थी। वहां जांच हुई, और, जिन १६ आदमियों ने इसके ऊपर अंगूठा लगाया था, उनमें से ७ आदमी वहां पर मौजूद थे और उसमें वहां की पंचायत के प्रेसीडेंट साहब भी मौजूद थे। इसमें एक औरत जानमियां का देहान्त जरूर हुआ। बहरहाल यह कोई फ्लड का जमाना नहीं है। फरवरी का महीना है। वह औरत ६५ वर्ष की थी और लावारिश नहीं थी। उनके पास उनकी लड़की रहती है खेदिनी उसकी उमर ४० वर्ष की है। उनके साथ उनका देवर भी रहता है। उसका नाम मुरली था। इनके पास एक भैंस थी। अभी ३ महीने पहले उस भैंस के बच्चा हुआ था। अगर इस प्रकार की मुसीबत थी कि वह उसका दूध नहीं पी सकती थी तो उस भैंस को बेचा जा सकता था। २६ तारीख को १५ सेर अनाज उसके लड़के को दिया गया था और इसी तरह से १० सेर अनाज पानमियां को दिया गया था जो कि उसका देवर है। इसी तरह से कोई बालचन्द पड़ोसी हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि एक सेर चावल उसने उसके मरने के एक दिन पहले उसको दिया था। यह ६५ वर्ष की बुढ़िया थी। वह एक मेडिकल आफिसर को भी साथ ले गये थे उसका नाम श्री महेन्द्र एम० बी०, बी० एस० हैं जो पडरौना शुगर मिल की डिस्पेंसरी के इन्चार्ज हैं। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है जो मरसिया के बारे में है :

"I have today examined Mst. Marchhia W/o Bhukhal, Kishonc Tola. Apparent age about 80 years. No anemia. Tongue moist, clear and of good colour. Pulse 80 per minute and of good volume. Respiration 24 per minute. Lungs show signs of chronic bronchitis. Answers questions intelligently and in good tone."

"In my opinion Mst. Marchhia shows no signs of starvation but shows signs of senility with chronic bronchitis."

(Sd) B. P. MAHINDRA,
M. B. B. S.

लखपतिया के बारे में भी उनकी रिपोर्ट है जिसमें वह करते हैं कि:

"I have examined Mst. Lakhpatia. her apparent age is about 80 years. The individual is partially deaf and has loss of eye sight. She answers questions in good tone and is mentally alert. Pulse rate is 70 per minute. General condition fair for her age. She has kyphosis. No signs of starvation seen. Tongue clear and of good colour. No anemia present."

(Sd) B. P. MAHINDRA.

मर्सिया के साथ उसके दो लड़के रहते हैं और लखपतिया के साथ भी दो लड़के रहते हैं। यह दोनों ही लावारिश नहीं हैं। इन लोगों के कोई मरने की बात नहीं है। भगवान इनको चिरायु करे। यह जानकर इनकी चिन्ता भी दूर होगी और हम लोगों की चिन्ता भी दूर होगी और गेंदासिंह जी की चिन्ता भी दूर होगी। उन लोगों ने जो खत लिखा है, उनको इन लोगों को जरूर लिखना चाहिये कि इस तरह की बातें बिना जांच के न लिखा करें तो अच्छा है।

अन्त में मुझे एक ही बात कहना है। वह चीज ऐसी है जिसका जब जिक्र आ जाता है, एक बड़ी भयानक चीज सामने आ जाती है, सोशलिज्म की। सोशलिज्म की एक बड़ी लम्बी-चौड़ी व्याख्या है और उसका कई तरह से कई बार जिक्र हो चुका है। मैं और उसका जिक्र छेड़ना नहीं चाहता। सरकारी नौकरों की बाबत इस सदन में सभी लोगों ने हमदर्दी दिखाई। उनको भी इससे खुशी हुई होगी और हमें भी होती है। इस बात का जिक्र तो

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

माननीय वित्त मंत्री जी ने कर ही दिया कि ज्यादा तनख्वाह पाने वाले इतने कम लोग हैं कि कम तनख्वाह पाने वालों को उनकी तनख्वाहों को कम करने से कोई लाभ नहीं होगा। किसी तरह का कोई फायदा नहीं हो सकता। खाली ऐसी बात रह जायगी जोकि एक मशहूर रौकफैलर के किस्से में आती है। एक अमीर आदमी रौकफैलर था। उसके पास दो मेरे जैसे कच्चे सोशलिस्ट पहुंच गये। उन्होंने उनको सलाह दी कि उनको ज्यादा पैसा रखने का कोई अधिकार नहीं था। वह उनकी बातों को सुनते गये और हिसाब लगाते गये। और अंत में उन्होंने अपना जेब से दो-दो पैसे निकाल कर दोनों साहबों के सामने रख दिये। उन्होंने कहा कि यह क्या? उसने जवाब दिया कि मेरे पास जितनी संपत्ति है और यहां की जितनी आबादी है उस के हिसाब से यही आता है कि मैं २-२ पैसा सब को दे दूं। तो आप अपने हिस्से के दो-दो पैसे ले जाइये। बाक़ी और जो लोग आयेंगे वे भी ले जायेंगे।

इसी प्रकार बड़ी तनख्वाह पाने वाले जो थोड़े से लोग हैं, अगर उनकी तनख्वाह कटाई जाय तो छोटी तनख्वाह पाने वाले इतने अधिक लोग हैं कि उनको उससे कोई फायदा नहीं होगा, अब छोटी तनख्वाह पाने वालों के लिये यह कोशिश की जा सकती है कि उनकी तनख्वाह ज्यादा हो। अब इसके लिये और बातों को भी ध्यान में रखना होगा। किसी भी आदमी के फेमिली में आमतौर पर साढ़े तीन, साढ़े चार लोग समझे जाते हैं। एक फैमिली में स्त्री, पुरुष और एक दो बच्चों के अलावा पैरेंट्स में से भी कोई न कोई अवश्य होता है। अब साढ़े चार आदमियों की फ़ैमिली वाले की इनकम क्या रखी जाय? उसके लिये ऐसी फिगर्स आती हैं कि आज की परिस्थिति में सब के लिये उतना हम कर नहीं सकते, हां, किसी हद तक उनकी इनकम बढ़ाने की बात सोची जा सकती है। इसके अतिरिक्त उन लोगों को अधिक एमिनिटीज देने की ओर हमारा ध्यान गया है और वह हमने शुरू भी कर दिया है। पिछले साल हमने पे को बढ़ाया और इस साल भी आधा डीअरनेस फिर हमने कुछ लोगों की पे में जोड़ा है। भले ही उनको आज कोई फायदा न हो, तो भी जब वे रिटायर होंगे तो उनकी पेंशन और प्रावीडेंट फंड में असर पड़ेगा। अगर सस्ता हो गया तो उनके उस डीअरनेस के कम होने की कोई बात न रहेगी और उस हद तक उनकी तनख्वाह कम नहीं हो सकती। मेडिकल साइड में भी लोगों को मुफ्त दवायें अस्पताल से देने के लिये हर जगह लिखा जा रहा है ताकि उनको मोल की दवायें न खरीदना पड़ें। जहां तक एजूकेशन की बात है, आपने बजट में देखा होगा कि हमने प्राइमरी क्लासेज की फीस की आधी कर दिया है। जब शिक्षा मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत करेंगे तो वे बतलायेंगे कि अगले साल में हम बाक़ी आधी को भी माफ कर देंगे। इससे हम यह अन्दाजा देखना चाहते हैं कि खर्चा कितना पड़ता है। मोटे तौर पर ही हमारा अन्दाजा है। इससे सरकारी नौकरों को भी अवश्य फायदा होगा। दूसरी तरफ ऊपर से एक्सपेरीमेंट किया जा रहा है। छोटी तनख्वाह वालों के बच्चों के लिये इंटरमिडियेट की शिक्षा में सहूलियत दी गई है। उसका अन्दाजा हो जाने पर हम ९-१० वीं कक्षा में भी इस सहूलियत को देने की बाबत विचार करेंगे। यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं कि कोई भी आदमी रुपया इसलिये नहीं चाहता कि वह जमा करे, लेकिन गरीब आदमी रुपया इसलिये चाहता है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, उनकी दवा-दारू कर सके। यद्यपि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि उनकी तनख्वाहों को अधिक बढ़ा सकें, फिर भी हम उनकी एमीनिटीज को बढ़ा रहे हैं, शिक्षा और दवाओं के लिये उनको एमिनिटीज प्रदान कर रहे हैं। गरीब और अमीर के बीच और बड़ी और छोटी तनख्वाह वालों के बीच जो खाई है, यदि हमने उसको पूरी तरह से पाटा नहीं है, तो इस प्रकार से जो हमने कदम उठाया है, उसको सोशलिज्म का कदम कहा जाय या न कहा जाय, लेकिन उस तरफ ले जाने वाला अवश्य कहा जा सकता है। इस समय प्रदेश की जो सूरत है, जिन कामों पर रुपया लगाया

आ रहा है, उस वक्त थोड़ी बहुत रकम के लिये, एक दो लाख के लिये यह कहना कि उससे बहुत बड़ा परिवर्तन हो जायगा, मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपनी मांगों को पेश करता हूं। आशा है यह सदन इन दोनों मांगों को स्वीकार करेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या १२ व १३ में मैं एक-एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कहा, इस विभाग का सम्बन्ध सारे प्रदेश की जनता से है और करीब-करीब शासन के सभी अंगों को यह छूता है।

श्री अध्यक्ष---रोज १५ मिनट रहते हैं। आज २० मिनट रखे देता हूं जो आप के लिये काफी होंगे।

श्री गेंदासिंह---बहुत अच्छा। मैं चाहता तो नहीं कि उन सभी अंगों पर रोशनी डालूं लेकिन यह आवश्यक है कि मुझे उनकी तफसील में जाना चाहिये। जिस तरफ कि माननीय मंत्री जी ने संकेत किया उनकी ओर अगर मैं ध्यान न दूं तो मेरी गुस्ताखी होगी। मैं अवश्य चाहूंगा कि जो कुछ भी थोड़े से शब्दों में मैं कह सकूं कहूं। यह जो सामान्य प्रशासन है, जिसके द्वारा कि हम प्रदेश की ६ करोड़ ३२ लाख जनता से सम्बन्ध रखते हैं, इसका न सिर्फ शासन से ही बल्कि लेजिस्लेचर से और दूसरे विभागों से भी सम्बन्ध है। प्रजातांत्रिक शासन पद्धति में जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा महत्व है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। यह तो बड़ी सीधी बात है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आते हैं वे लोग कोई ५ वर्ष के लिये नहीं आते। अगर वे उचित ढंग से काम करते रहें तो ५५ वर्ष में इस वक्त के कानून के हिसाब से रिटायर होते हैं। हम लोगों की और मिनिस्टर साहबान की अवधि ५ साल की है। इसलिये इस दृष्टि से उनका और भी अधिक महत्व हो जाता है। इसीलिये, प्रजातांत्रिक पद्धति में जहां कि नौकरशाही को एक बड़ी ताक़त मिलती है, उसकी सीधी-सीधी जिम्मेदारी जनता के प्रति नहीं होती है, मिनिस्टर और लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी होती है, तो फिर लेजिस्लेचर और मिनिस्टर जो हैं, उसके ऊपर चेक लगाने का सिद्धांत भी स्थिर होता है। जहां पर कि प्रजातांत्रिक शासन पद्धति काफी विकसित हो चुकी हो वहां पर लेजिस्लेचर को जितनी ताकत मिलती है, हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि वह ताकत आज हमें नहीं है। जो भावनायें आज प्रदर्शित की जाती हैं, और मुल्कों में जहां प्रजातांत्रिक शासन पद्धतियां चालू हैं, वहां जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग आते हैं, खास तौर से शासन की तरफ से उनकी लेजिस्लेचर के प्रति वे भावनायें नहीं हैं।

अब इसका कारण एक मैं निवेदन करूं आप से। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ दिलाना चाहता हूं। पब्लिक सर्विस कमीशन का सही माने में जो रूप है इस वक्त, वह उस रूप में काम नहीं कर रहा है, और उसके लिये उत्तरदायित्व हम सरकार को ही दे सकते हैं। जो अभी नई नियुक्ति हुई, मैं बहुत ही तकलीफ के साथ उसके ऊपर अपना असंतोष जाहिर करूंगा। मैं इस बात को किसी भी हालत में मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी रखता है, कल वह इस स्थान पर आकर वह बिल्कुल उसी ढंग से कार्य करेगा, जिससे शासन के कार्य में किसी के साथ भी पक्षपात न हो सके। यह मैं समझने में असमर्थ हूं। पहली रात को, हमारे राधा कृष्ण जी अग्रवाल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे और सुबह को, जब उनकी नियुक्ति के विषय में हमने अख़बारों में पढ़ा एक पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर की हैसियत से हो गई, तो उससे मुझे कष्ट हुआ और उसके बाद फिर हम यह भी

[श्री गेंदासिंह]

देखते हैं कि फ़ैक्ट्स फाइन्डिगं कमेटी में यू० पी० सी० सी० के प्रेसीडेंट श्री मुनेश्वरदत्त उपाध्याय रखे जाते हैं। लेकिन हमारे सारे सदन में जो और दूसरे विचार रखने वाले माननीय सदस्य हैं उनमें से किसी को फैक्ट फाइन्डिग कमेटी में रखने की सरकार ने आवश्यकता नहीं समझी। यह दोनों घटनायें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध साधारण शासन से है। यदि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन भी ऐसा हो जाय जिस पर सारे प्रदेश का भरोसा न हो और जनता यह न समझे कि वह पक्षपात से ऊपर है तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो सकती। मैं श्री राधाकृष्ण जी अग्रवाल से थोड़ा-सा वाकिफ हूं, मैं उनके व्यक्तित्व पर हमला नहीं करता, लेकिन जहां तक न्याय का तकाजा है और उसकी आवश्यकता है, वहां यह भी जरूरी है कि लोग यह समझें कि न्याय हो रहा है, इतने प्रदर्शन की भी आवश्यकता है कि लोग समझें कि न्याय हो रहा है, इसकी आवश्यकता जहां देखी जायगी तो यह कहना पड़ेगा कि यह नियुक्ति उचित नहीं है। एक नौजवान आदमी जो कांग्रेस कमेटी का मंत्री हो और जो चाहता था कि कांग्रेस के खून को प्रदेश के रंग और रेशे रेशे में भर दूं, वह एक रात में पब्लिक सर्विस कमीशन की कुर्सी पर बैठ कर एक दम बदल जायगा यह समझ में आने वाली बात नहीं है। मनुष्य में दुर्बलता होती है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी स्वीकार करते हैं और मैं भी स्वीकार करता हूं, लेकिन इस तरह की नियुक्ति करते समय नियुक्ति यह समझ कर की जाय कि जिस पर जनता का विश्वास बढ़ हो।

इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्टों पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन की और दूसरी कमेटियों की रिपोर्ट आती हैं, वह, अव्वल तो बहुत देर में आती हैं और उसके बाद उन पर विचार का भी मौका नहीं मिलता और उसके बाद फिर उनकी कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती। हमारी पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी है, वह भी एक तरह से हमारे एक्जीक्यूटिव पर एक तरह का चेक है, लेकिन हम नहीं जानते कि कभी भी हमने यहां उस रिपोर्ट पर विचार किया हो। उस पर भी विचार होना चाहिये, आखिर किस प्रकार से एकोनामी या मितव्ययता की बात सोची जा सकती है। वह लोग जो व्यय करते हैं, वह कैसे समझ सकते हैं कि व्यय कहां तक उचित हुआ है। सदन को भी उस पर विचार करने का मौका मिलना चाहिए ताकि वह उस पर विचार कर सके और उसकी प्रतिक्रियाओं को जानने के बाद शासन में अपने को ठीक से ढाल सके। तो मैं यह कहूंगा कि जहां तक कमेटियों की कार्यवाही का सवाल है. उन पर सदन को जल्दी से जल्दी विचार का मौका मिलना चाहिए ताकि यह सदन अपनी राय उन पर व्यक्त कर सके। इस मामले में मैं समझता हूं कि सरकार पिछड़ी रही है और उसने सदन का विश्वास प्राप्त करने की अधिक चेष्टा नहीं की है।

यह कोई नई बात नहीं है कि आज यहां का शासन समूचे अधिकारों को छीनना चाहता है। ऐसा हमारे देश में ही नहीं है, इंगलैंड में, जो प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का जन्मदाता है, वहां भी बादशाह की हुकूमत में और पार्लियामेंट में अधिकारों की छीनाझपटी होती थी और वहां की पार्लियामेंट को उस समय कई वर्षों तक लड़ना पड़ा था और वहां अधिकारों के संरक्षण के लिये उस समय कई कानून बनाने पड़े थे। मैंने आप का और मंत्री महोदय का ध्यान कई बार सदन में, जो हमारे प्रश्नों की दुर्दशा होती है, लाया था और माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय कहा भी था कि नियमों के अनुसार उत्तर देने चाहिये लेकिन किस तरह नियमों के अनुसार उत्तर आते हैं। शार्ट नोटिस क्वेश्चन का तो कुछ मिल जाता है जिसमें विशेष ध्यान दिलाया जाता है, लेकिन जो तारांकित प्रश्न हैं वह तो दो दो, तीन तीन, चार-चार और ६-६ महीने तक पड़े रहते हैं और उन पर उत्तर नहीं आता, हाउस प्रोरोग हो जाता है और सारे सवाल डूब जाते हैं, तो यह भी एक चेक है, एक रुकावट है, एक्जीक्यूटिव के इन कामों के होने में जो वह इस तरह से अनुचित देर करते हैं, सरकार के बनाये हुये नियमों के विरुद्ध करते हैं तो फिर इन सवालों से हमारे हकों की हिफाजत हो सकती थी, लेकिन नहीं।

क्यों नहीं सवालों के जवाब जल्दी आते हैं ? अगर हम यहां सवाल करते हैं तो जिले के शासन अधिकारियों का यह रुख है कि वह समझ लेते हैं अगर सवाल किया गया तो उसके उल्टा करना चाहिए। उनका यह रुख है। उनका यह रुख नहीं है कि अगर हम यहां आकर सवाल करते हैं तो अपने घर में जाकर करते हैं। यह हमारी बड़ी सख्त शिकायत है। एक्जीक्यूटिव के लोगों को उससे सहानुभूति का रुख रखना चाहिए। हम नाराज हो कर जाते हैं तो सिविल डिसओबिडिएंस नहीं करते, सत्याग्रह नहीं, हम यहाँ आकर प्रश्न करते हैं, तो प्रश्न करने के बाद उनका रुख जरा सहानुभूति का होना चाहिये न कि ऐसा होना चाहिये कि हम मजबूर हो कर उस शासन से असंतुष्ट हो कर ऐसे कदम उठाएं जो न हमारे लिये उचित है और न उनके लिये उचित है। मैं प्रश्नों के सम्बन्ध में आप से अवश्य कहना चाहता था।

मैं यह जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बीच में जो यह रुख अख्तियार किया कि हमारे गैर सरकारी प्रस्तावों पर या बाढ़ और दूसरी चीजों पर, जब कभी हम लोगों ने आग्रह किया, तो उन्होंने उस की बहस से इन्कार नहीं किया। लेकिन उसी के साथ मैं यह कहूंगा कि जहां उनका यह रुख है, वहां उनके अधिकारियों का रुख यह है कि वह हमारे विचारों को पसन्द नहीं करते। इसके लिये उन्हें प्रयत्न करना चाहिये कि उनकी धारणा उन्हीं की तरह की बनाएं। मैं यह भी निवेदन करूं कि केवल इतना ही नहीं, माननीय मुख्य मंत्री जी के विचारों से ही काम चल जाता है, माननीय मुख्य मंत्री जी तो एक सिम्बल हैं। सारे शासन के, सारी इकाई अगर उनके विचारों के विरुद्ध जा रही है, तो मजबूरी हो जायगी इस शासन के चलाने में। मैं कहता हूं कि इस वक्त करीब-करीब ऐसी अवस्था है। तो अध्यक्ष महोदय, इस अवस्था से हमको दूर भागना चाहिये और हमें कोशिश करनी चाहिये कि हम इस अवस्था से जितनी जल्दी पिंड छुड़ा लें उतना ही अच्छा है।

जुडीशियरी के सम्बन्ध में मैं जरूर कहना चाहता हूं। यह कहा गया और मैं मानता हूं कि जिले से ऊपर और दूसरी जगह जुडीशियरी बिलकुल इंडिपेंडेंट है। लेकिन आज सब से ज्यादा जुडिशियरी का काम जो मैजिस्ट्रेटों तक होता है उनको कहां स्वतंत्रता है। वह तो सभी कलेक्टरों के अधीन हैं। कलेक्टरों के अधीन उनकी तरक्की, तनज्जुली, बरखास्तगी, बहालगी सब हैं। ये सारी चीजें क्यों नहीं जजों के अधीन होतीं जिसके अधीन जुडीशियल मैजिस्ट्रेटों को होना चाहिये। उसी प्रकार न्याय पंचायतों का मामला है। अभी तक हम फैसला नहीं कर पाये हैं कि किस तरह से न्याय पंचायतों की नामजदगी में पायेंगे। कानून में नामजदगी का अख्तियार दे रखा है। अगर उनकी नामजदगी होने वाली है तो पूरी तरह से उसका जुडिशियरी से सम्बन्ध होना चाहिये ताकि उसके ऊपर न्याय की मोहर लग सके और किसी को शक न हो कि सरकार और शासन अपनी सुविधा के अनुसार और इस न्याय विभाग को भी जैसा चाहती है वैसा बनाती है।

अध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कमेटियों की कुछ अधिक उपयोगिता नहीं। आज भी दो-एक मिनिस्टरों को छोड़ कर बाक़ी मिनिस्टरों के बारे में यह मेरी राय है कि उसको कुछ परेशान करने वाली चीज समझते हैं और जितनी जल्दी उससे पिंड छूट जाय इस फिक्र में रहते हैं। यह बात जरूर है कि बुलाते हैं और बुलाने के बाद जल्दी से जल्दी उनके सामने कागज आयें, मेम्बर पढ़ न सकें, मैं नियत पर हमला नहीं करता। लेकिन ऐसा हमारा अनुभव है कि इस तरह से मेम्बरों को अधिक सुविधा देने की बात स्टैंडिंग कमेटियों में नहीं होती। इसका परिणाम यह होता है कि स्टैंडिंग कमेटियां बेकार सी हो गयी हैं। उन स्टैंडिंग कमेटियों की अधिक बैठकें हों और उनमें जो कुछ भी कानून आने वाले हों, उन पर पूरी तरह चर्चा हो, स्टैंडिंग कमेटी की राय ली जाय और उसके मुताबिक अगर मिनिस्टर साहबान चलने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सी कमियां रफा हो सकती हैं, जो बातें हमें रोज झगड़े में डालती हैं।

[श्री गेंदासिंह]

ला ऐण्ड आर्डर के सिलसिले में मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, ला ऐण्ड आर्डर जो है, वह, सबसे पहले मैं एक बात चाहता हूं कि उसके माने तो यह हैं कि सब की जान-माल की रक्षा हो। लेकिन इसको हमारा शासन अधिक लाभदायक और अधिक कीमती नहीं समझने लगा है। मैं यह कहूंगा कि आखिर अगर ऐसी बात होती तो सारे भारतवर्ष में सन् १९५३ में जितने कत्ल हुये हैं उनमें सब से अधिक कत्ल उत्तर प्रदेश में हुये। उत्तर प्रदेश में १६०७ कत्ल हुये, मद्रास में ९१७, बिहार में ८६७, मध्य प्रदेश में ६१९। मैं यह मानता हूं कि जैसा किसी भाई ने कहा कि आबादी भी तो हमारी ज्यादा है। हमारा बजट भी तो बहुत लम्बा है, हमारा शासन भी तो बड़ा ताकतवर है, हमारे मुख्य मंत्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द हैं, गृह मंत्री भी वही हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसी हालत में हमको क्या करना चाहिये? जहां एक तरफ कत्ल की यह तादाद है वहां दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूं कि डकैती और-और जो जुर्म हैं उनकी तादाद दूसरे सूबों से कुछ कम है। मैं सन् १९५३ पर ही बेस कर रहा हूं। लेकिन मैं इस सिलसिले में संख्या की तरफ, जो संख्या विभाग की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही, जाता हूं। हमको ऐसा लगता है कि जो कत्ल होते हैं उसको छिपाना आसान नहीं होता है, लेकिन चोरी को, बर्गलरी को, सेंध लगाने को, इनको तो छिपाना आसान हो सकता है। मैं यह कहूंगा कि आज भी पुलिस का यह रवैया है कि वह क्राइम्स को छिपायें और वह इसलिये छिपाते हैं, अगर न छियायें, तो ऊपर के अफसर उनको नालायक समझते हैं। जो जिस जिले में सही माने में क्राइम दिखाये तो उस अफसर को नालायक समझा जाता है। इसलिये कोई भी अफ़सर यह नहीं चाहता कि हम सच्चे ढंग पर अपने कागजात तैयार करें। तो यह बात देखने की है कि हमारे सामने सच्चा चित्र सारे सूबे का हो। जैसे कत्ल का है उसी तरह चोरी का, डाके का, सेंध लगाने का, उसी तरह जितने बल्वे और चाहे जो कुछ भी हो, आवे। तो हम देखेंगे और माननीय सदस्य कहेंगे कि इसमें जन संख्या का हिसाब लगाया कि नहीं और कत्ल और बल्वे जो हुए, उसमें जन-संख्या के हिसाब से ज्यादा होना चाहिये। यह इसमें हिसाब नहीं, कत्ल में जन संख्या का हिसाब है।

अध्यक्ष महोदय, टैम्पोरेरी सर्विस में भारी सेना है। इसमें मैं मानता हूं कि कुछ कोशिश की गई है लेकिन टेम्पोरेरी सर्विस वाले बड़े खतरनाक हैं। यह लोग अध्यक्ष महोदय, इस बात की कोशिश करते हैं कि, वह जायज, नाजायज तरीके से किस तरह से किसी खास मिनिस्टर या किसी आदमी, के लौयल बनें। मैं चाहता हूं कि अगर इनकी संख्या कम कर दी जाय तो बहुत सी बुराइयां दूर हो जायं। टेम्पोरेरी कम से कम रखे जायं, और उसी के साथ-साथ जो लोग अयोग्य हों, उनको कतई न रखने की कोशिश की जाय। एक बात मैं और जरूर कहूं कि जहां प्रेरणा लोगों को मिली है कुछ रुपया इकट्ठा करने की वहां यह प्रेरणा सरकार से नहीं मिल रही है कि ईमानदार बनें, एफ़ीशियेंट बनें तो हमारी तरक्की हो जाय। मैं अब नहीं जानता कि क्यों यह प्रेरणा नहीं मिलती है, मैं तो दे नहीं सकता, यह प्रेरणा उधर से मिल सकती है। यह प्रेरणा अगर उधर से मिले कि ईमानदार होने में तरक्की हो सकती है, एफ़ीशियेंट होने में, जन सेवक बनने में तरक्की हो सकती है, तो हो सकता है कि हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी यह इच्छा हो सकती है कि वे हमसे ज्यादा सर्विस कर सकें। लेकिन ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिये मिनिस्टर साहबान से। मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि मिनिस्टर साहबान जो हैं, वह केवल धरहरे पर खड़े हो कर बोलते हैं। तुम त्याग करो, तुम तपस्या करो, लेकिन, हम जो हैं, वह नहीं तपस्या करेंगे, हम वह रास्ता नहीं पकड़ेंगे। तुम वह रास्ता पकड़ो। यह दुनिया में कभी नहीं हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वजह है कि ट्रावनकोर-कोचीन का मिनिस्टर पांच सौ रुपये में काम चला सकता है तो यहां के मिनिस्टर पांच सौ रुपये में गुजारा नहीं कर सकता? माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी तनख्वाह हम कम कर सकते हैं। तो उनकी तनख्वाह हम कम न करें इसलिये कि उससे

हम छोटे लोगों को दे नहीं पायेंगे, यह कोई दलील नहीं है। यह बात कहकर जमीन की सीलिंग आज नहीं मुकर्रर हो रही है। यही जवाब मिलता है कि जमीन इतनी नहीं है, इसलिये बटवारा नहीं कर सकते। चूंकि रुपया कम है इसलिये जितना रुपया देते हैं उतना ही देते रहेंगे। घर में जब खूराक की कमी होती है, खूराक नहीं रहती, तभी झगड़ा होता है, तो जहां कमी है, वहीं तो बटवारे की बात आती है। जहां कमी नहीं है, वहां तो बटवारे का सवाल उठता ही नहीं।

मैं दो एक बातें और निवेदन करना चाहूंगा हिन्दी और भाषा के सम्बन्ध में। मुख्य मंत्री जी ने कहा, मैं बिलकुल उनकी राय से सहमत हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी के प्रति तो हमारी कोई हमदर्दी नहीं है लेकिन उर्दू के प्रति हमारी हमदर्दी जरूर है। हिन्दी को आप धनी बनाना चाहते हैं, हिन्दी को समूचे भारत में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, ठीक है, हम इससे सहमत हैं। जबर्दस्ती हिन्दी को हम लादना नहीं चाहते। जबर्दस्ती लादने का परिणाम बुरा होता है। लेकिन हिन्दी को अगर हम धनी बना दें। मुख्य मंत्री जी ने कुछ इधर संकेत किया और बताया कि २५ लाख रुपया वह खर्च करने जा रहे हैं, २५ लाख ही नहीं हम इससे और रुपया खर्च करने को कहेंगे लेकिन कम से कम इतना जरूर करें कि हिन्दी को धनी बनायें और हिन्दी को धनी बना कर सारे देश में उसको लोकप्रिय आप बनायें, यह मुनासिब बात होगी।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)––अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश ५१ जिलों का एक प्रकार का यूनियन है और यदि हमें यह देखना है कि जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की एफिशियेंसी कहां पर और कहां तक पहुंची है तो हमें इस ओर ध्यान देना पड़ेगा कि इस प्रदेश के जो ५१ ये अंग हैं वहां क्या हाल है और न कि लखनऊ में जो कि उसका केन्द्र है, वहां क्या हाल पाया जा रहा है। इस ओर जो कुछ हम लोगों की शिकायत रही है वह कल भी और पहले भी सरकार के सम्मुख पेश की जा चुकी है और इस अवसर पर मंत्री महोदय को सर्वप्रथम इस बात के लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज भी इस बात की घोषणा की कि वे अधिकारों के डेलीगेशन के पक्ष में हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहां लखनऊ की सरकार से हर जिले में, जो इस सरकार की तरफ से उसके नुमाइन्दे बैठे हैं और जिनको एक बार गवर्नमेंट के कांशंस कीपर कहा गया था, उनके पास जो आर्डर्स जाते हैं उनको एक तो शीघ्रातिशीघ्र उनके पास पहुंचना और पहुंचने के बाद उन पर कार्यवाही करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने सुझाव दिया कि वह सोच रहे हैं कि किस रूप से और कहां तक डेलीगेशन आफ पावर्स किया जा सकता है, उस पर उनका पहले से ही ध्यान है। इस सम्बन्ध में मैं सर्वप्रथम उनसे यही कहूंगा कि हालांकि डेलीगेशन वह कर रहे हैं किन्तु साथ ही साथ वह यह न समझें कि डेलीगेशन से ही और केवल मात्र एक्जीक्यूटिव के एक अफसर से दूसरे अफसर पर डेलीगेट करने से ही समस्या हल होगी। डेलीगेशन के साथ-साथ डेमोक्रेटाइजेशन करना आवश्यक है और यह दोनों अलग-अलग बातें हैं। यदि सरकार अपने सेक्रेटरी से अपने कमिश्नर के हाथ में कुछ अधिकार सौंप देती है तो वह केवल मात्र डेलीगेशन हुआ किन्तु डेमोक्रेटाइजेशन तब होगा, जब यहां से कमिश्नर के पास अधिकार सौंपने के साथ-साथ वहां भी उस कमिश्नर के लेवेल पर सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे कि वहां पर जनता का सम्पर्क कमिश्नर के साथ और सरकार के नुमाइन्दे के साथ रहे। तब वास्तव में और तभी केवल मात्र डेमोक्रेटाइजेशन भी हो पायेगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक कमिश्नरों का प्रश्न है मैं तो हमेशा से इस पक्ष का रहा हूं कि वह स्थान बहुत उपयोगी और शासन की दृष्टि से लाभदायक है और उसका रहना अत्यावश्यक है। यदि और कोई कारण इसके लिये न हो तो यह तो है कि लखनऊ जो केन्द्र इस प्रदेश का है वह इसके फार स्केटर्ड डिस्ट्रिक्ट से बहुत

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

दूर है और सरकार की नेकनामी या बदनामी जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की केवल एक अधिकारी पर ही रहती है। माननीय मंत्री महोदय, हमारे चाहे कितने काबिल हों, और यह सरकार और उसके मंत्री कितने ही लोकप्रिय हों, किन्तु यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसा व्यक्ति हो जो जनता को अपने साथ लेकर न चल पावे, जो अनुभवशील न हो, या किसी कारण से उससे ठीक कार्य नहीं होता हो तो सरकार की बदनामी होगी और होती रहेगी। इसलिये यह डेलीगेशन आफ पावर्स और साथ ही साथ डेमोक्रेटाइजेशन का विचार है, यह उत्तम है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि इसको दृढ़ रूप दिया जाय और दिखावे मात्र की चीज न रहने दी जाय और कमिश्नरों के हाथों में कुछ कार्य सौंपा जाय और इसके लिये मुख्य मंत्री महोदय कोई न कोई तरीका निकालें और उनकी जानकारी से उनके अनुभव से कोई न कोई तरीका अवश्य ही निकल आवगा। यह भी आवश्यक है कि कमिश्नरों के लेविल पर जनता के प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है। मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि हम यहां पर बैठकर जितना कार्य कर सकते हैं उससे कहीं अधिक हम डिस्ट्रिक्ट या कमिश्नर के लेविल पर कार्य कर सकते हैं। यदि इस काय के लिये संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक हो, तो इसको मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही उचित समझता हूं।

मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कहना चाहता हूं। यह न समझा जाय कि मैं अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ हूं क्योंकि हमारे यहां बहुत परिवर्तन हो चुके हैं, बार-बार कई नये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स आये गये, और मेरा विचार तो शुरू से यह है और मैं आशा करता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय इस असेम्बली का जीवन काल समाप्त होने से पहले कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में करके दिखलायेंगे। जहां तक उन्होंने रिआर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में जिक्र किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और यह आशा करता हूं कि इसकी रिपोर्ट, यदि बहुत कांफीडेंशल न हो, तो वह सदस्यगण को सरकुलेट कर दी जाय।

अब मैं सिविल सर्वेन्ट्स के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। चर्चा बहुत होती है, विशेषकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में बहुत कहा जाता है। मैं समझता हूं कि यदि किसी को "चोर-चोर" कहा जाय तो वह कभी न कभी चोर बन ही जायगा। इसी प्रकार यदि किसी सिविल सरवेंट को यदि वह बुरा है, और बारबार उसको बुरा कहा जाय, तो स्वभावतः वह अपने को सुधारने की चेष्टा न करेगा, मगर, जहां तक सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट का प्रश्न है, यह मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद यह ज्ञात होता है कि उसको अब उतनी स्वतंत्रता नहीं है और उसका उतना सम्मान नहीं होता, जितना कि सम्भवतः होना चाहिये। पहले भी इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा चुका है और हम सबकी यही आशा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की स्वतंत्रता को, उसके विचारों को और उसके सम्मान को हर एक रूप से कायम रखना चाहिये और उसकी अवहेलना कभी भी नहीं होनी चाहिये।

सिविल सर्वेन्ट्स की तनख्वाह काटने का प्रश्न हमेशा उठाया जाता है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कहा मैं समझता हूं कि वह उचित और सही है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मित्र गेंदासिंह जी से सहमत नहीं हूं। मैं उनका विचार पूरी तरह से समझ नहीं पाया। उनका विचार पहले भी था और इस बार भी शायद उन्होंने हलकी जबान में प्रकट किया कि बड़ी तनख्वाहों में से काटा जाय, लेकिन इसको काटकर क्या किया जाय इसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया।

श्री गेंदासिंह—छोटों को दे दी जाय।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उससे सब छोटों को क्या कुछ मिलेगा इसका क्या उत्तर आपके पास रहेगा। मैं तो सोशलिज्म के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानता नहीं हूं। उधर विद्वान सोशलिस्ट बैठे हैं, इधर प्रैक्टिसिंग सोशलिस्ट बैठे हैं, किन्तु इतना मैं अवश्य समझता हूं

कि चाहे सोशलिज्म हो, चाहे और कोई इज्म हो, उसका प्रैक्टिकल होना आवश्यक है। यदि गेंदा-सिंह जी का सुझाव प्रैक्टिकल है तो मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे। किन्तु प्रैक्टिकल है या नहीं, इसकी जांच करते समय यह देखना आवश्यक है कि क्या उससे किसी हद तक इनीशियेटिव और उत्साह में बाधा तो नहीं पहुंचेगी। चन्द एक हमारे यहां सिविल सर्वेन्ट्स हैं जो कि पुराने आई० सी० एस० काडर के हैं। यदि गेंदा सिंह जी यह समझते हैं कि उनकी तनख्वाह काटने से और सिविल सर्वेन्ट्स के उत्साह में कमी नहीं आयेगी, और ऐसा करने से कोई मैटीरियल बेनीफिट्स होंगे, तो उनका सुझाव उचित होगा। लेकिन हमें जैसा दिखायी देता है इससे न कोई कार्य होने को है और न ही कोई विशेष बचत होने की आशा की जा सकती है।

इसलिये इस सम्बन्ध में भी मेरा यही विचार है कि इनीशियेटिव और incevtive सबसे ऊपर रखा जाय। हर एक व्यक्ति से काम उतना ही लिया जा सकता है जितनी कि उसकी निजी दिलचस्पी उस कार्य के सम्बन्ध में हो। मैं मानता हूं कि यह एक कैपिटलिस्टिक विचार कहा जाता है, लेकिन वास्तव में अगर सोचा जाय तो मनुष्यगण अल्टीमेट एनालसिस में केवल मात्र अपने ही पेट की सोचता है। वह तो हमारे माननीय गेंदासिंह जी जैसे जब लोग होते हैं तो इस विजन से देखते हैं कि चाहे मैं भूखा रहूं, लेकिन दस आदमियों का पेट भरे तो अच्छा है। जब हम सिविल सर्वेन्ट्स से काम लेंगे तो यह देखना आवश्यक है कि उसका माइंड फ्री रहे, उसके खाने, पीने और रहने की समस्या तथा उसके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम उचित रूप से हो गया है। ये सब सुविधायें देने के बाद यदि वह सिविल सर्वेन्ट् नाकाबिल साबित होता है तो उसके खिलाफ हम कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन जब तक पूर्ण रूप से और सही रूप से उसे दिल और दिमाग से काम करने की उचित व्यवस्था नहीं होती है तब तक यह कहना कि वह नाकाबिल है, मैं समझता हूं कि यह एक अनजस्ट विचार प्रकट करना होगा।

(इस समय १ बजकर १८ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले लगभग डेढ़ साल से माननीय मुख्य मंत्री की कार्यशैली राज्य के बारे में अध्ययन कर रहा हूं। हम जब देखते हैं कि किस तरह बजट के प्रपोजल्स में हेर फेर करके वे प्रदेश को सुधारना चाहते हैं तो अनायास मुझे उस कुशल मिस्त्री की याद आ जाती है जो पुरानी मशीनरी को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न करता हो। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में, इस पूंजीवादी शराब को सोशलिस्टिक पैटर्न की बोतल में रखकर सोशलिस्ट नहीं बनाया जा सकता। माननीय मुख्य मंत्री कभी इधर से तनख्वाह बढ़ा देते हैं और कभी उधर से कटौती कर देते हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है बल्कि सही समस्या तो यह है कि आज हमें अपने सारे समाज में एक आमूल परिवर्तन करना होगा। तभी यह शासन भी सुधरेगा।

अब रह गयी आज के विषय की बात। मैं सबसे पहले आपके सचिवालय को ही लेता हूं। २६ जनवरी, १९५० को हमारा संविधान लागू हुआ है और इस संविधान की धारा १८७ के मुताबिक इस बात की आवश्यकता थी कि एक कानून बनाया जाता और विधान सभा सचिवालय को सरकार से स्वतंत्र कर दिया जाय। लेकिन मुझे दुख है कि आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया। इसके अलावा नियम यह है कि गवर्नर महोदय इस सचिवालय को चलाने के लिये प्रोवीजनल रूल्स बनाने चाहिये, लेकिन आज तक कोई रूल्स नहीं बने हैं। अब रह गया उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने पहले रिमार्क कसा था। यह जान कर आपको ताज्जुब होगा कि हमारे प्रदेश में कर्मचारियों की तनख्वाह में ३० करोड़ रुपया व्यय होता है। अब मैं क्या बधाई दूं और क्या तारीफ करूं उस प्रदेश के मालिक की जिसकी तीन रुपये आमदनी में एक रुपया उसका मजदूरी में चला जाता है। पता नहीं क्या बात है? क्या सरकारी कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है कि हमारी आमदनी का एक तिहाई सरकारी कर्मचारियों के वेतन में

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

चला जाता है और दो-तिहाई निर्माण कार्यों में खर्च होता है। इस पर भी बहस हुयी कि वह सरकारी कर्मचारी बहुत थोड़े हैं जिनकी तनख्वाह ज्यादा है। इसलिये अगर उनकी तनख्वाह कम कर दी जाय तो अधिकांश कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तनख्वाह काटने या बढ़ाने का सवाल नहीं है बल्कि हमें तो देश के सामने एक आदर्श रखना है, एक व्यवस्था कायम करनी है और थोड़े से कर्मचारियों के वेतन को कम करने से हमारे सवाल का हल नहीं निकलता है। हमने लगातार सरकार के सामने यह सुझाव रखा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कायम करे कि किसी भी व्यक्ति की, चाहे वह उद्योगपति हो या सरकारी कर्मचारी हो या अन्य किसी वर्ग का हो, आमदनी में एक और दस का अनुपात हो। १०० रुपये माहवार से कम किसी भी व्यक्ति की आमदनी न हो और १,००० रुपये माहवार से ज्यादा किसी भी व्यक्ति की आमदनी नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसा हो जाय तो एक आदर्श उपस्थित किया जा सकता है। आज जो हमारे सरकारी छोटे कर्मचारी हैं, जब वह बड़े कर्मचारियों की शान-शौकत को देखते हैं, तो उनको ईर्ष्या होती है और वह उनकी नकल करने का प्रयत्न करते हैं जिसके कारण उनमें भ्रष्टाचार बढ़ता है जिसका नतीजा यह होता है कि हमारे प्रदेश की गरीब जनता बुरी तरह से पीसी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने आदर्श रखने का सवाल है।

इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, यदि प्लानिंग के बारे में हिसाब लगाया जाय, जिसमें बिजली, सिंचाई और सार्वजनिक निर्माण वगैरा सब आ जाते हैं तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में ज्यादा पैसा चला जाता है और रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस तरफ भी इस सरकार को ध्यान देना चाहिये। हमारे जो पुराने मुख्य मंत्री पंत जी थे तो उन्होंने कहा था जबकि वे डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ा रहे थे कि हम लाल फीता कम करने के लिये यह कर रहे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो अनुभव है वह यह है कि पहले से लाल फीता कम नहीं हुआ है और उल्टे बढ़ा ही है। सरकार हमारे सामने रंगीन तस्वीर रखती है। लेकिन यदि यह देखा जाय कि हमारी देहाती जनता को आज न्यायालयों से क्या सुविधा मिल रही है और पुलिस से उनको क्या सुविधा मिल रही है अगर इसको माननीय मंत्री जी जानने की कोशिश करें तो सही बात उनको मालूम हो सकती है। उनके पास आज सही खबरें नहीं आती हैं और हर तरफ से एक रंगीन तस्वीर उनके सामने रख दी जाती है। हम लोग किसानों में मजदूरों में जाते हैं उनकी व्यवस्था और दुर्व्यवस्था जो है उसके बारे में राय कायम करते हैं। इस सम्बन्ध में हम जानते हैं और उससे जो सही अन्दाजा होता है और जो हम लोगों का मत है वह साधारण जनता का मत है। साधारण जनता आज परेशान की जा रही है। बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी और पुलिस और समाज के अनसोशल एलिमेंट्स (असामाजिक तत्वों) गिरोह बनाकर बड़े आदमियों के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। नब्बे प्रतिशत आदमी बुरी तरह से उपेक्षित किये जा रहे हैं। कल उपाध्यक्ष महोदय, कम्पलेंट्स डिपार्टमेंट्स का बड़ा चर्चा हुआ था। कम्प्लेन्ट्स डिपार्टमेंट के बारे में मैं यह चाहता हूं कि अगर सचमुच सरकार यह चाहती है कि जनता की कम्पलेंट्स दूर की जायं तो उसको पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह से एक स्टेट एंटी करप्शन कमीशन बनाना चाहिये, जो कि कैबिनेट से भी अलग हो। आज का डी० आई०जी० कम्प्लेन्ट्स आई० जी० पुलिस के मातहत है। मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि इस विभाग को केवल पुलिस की ही कम्प्लेन्ट्स नहीं देखनी है बल्कि और दूसरे विभागों के भी कम्प्लेन्ट्स देखना है, अगर उस कमीशन में ईमानदार आदमी हों और उनका एक स्टेट कमीशन हो जिस पर कैबिनेट का प्रभाव न हो तो इस समस्या का हल किसी हद तक निकल सकता है।

पुलिस जनतंत्रीकरण के बारे में कहा गया। माननीय मुख्य मंत्री जी के मुंह से हमेशा इंग्लैन्ड की पुलिस की तारीफ हम सुनते थे क्योंकि वहां की पुलिस की व्यवस्था वहां की लोकल-बाडीज के हाथ में है। उसका प्रबन्ध वही करती हैं, लेकिन कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिकेन्द्रीकरण के माने यह लगाये कि हम यह चाहते हैं कि सरकार के साथ पुलिस भी बदले। यह उनकी धारणा बिलकुल भ्रामक थी। हमारा मतलब यह था कि केन्द्रीयकरण की वजह से पुलिस का दिमाग खराब है। हम चाहते हैं कि उसका विकेन्द्रीयकरण किया जाय, उसको जनता के कंट्रोल में रखा जाय। आज सरकार की झूठी शान-शौकत का बुरा नतीजा हो रहा है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया कि हमारी सर्विसेज पर इस सब का क्या असर हुआ है। राजनारायण जी का फतेहपुर में मुकदमा चल रहा है, उसकी तारीख बढ़ाने के लिये उन्होंने तार दिया कि पुलिस बजट में मुझे दिलचस्पी है और इसलिये दूसरी तारीख दे दीजिये, तो उसका जवाब वहां से तार से आया कि आपकी सेक्योरिटी जब्त कर ली गयी और गैर जमानती वारन्ट निकाल दिया गया है। अब १९ तारीख पड़ी है मैं जानता हूं कि कानूनन उसमें ऐसी सुविधायें नहीं दी जा सकतीं, लेकिन एक आदमी को मामूली मामूली कारणों से एडजर्नमेंट मिल जाता है, फिर इसमें ऐसा क्यों नहीं हो सका ?

यहां हरिद्वार में कुम्भ का मेला लगा हुआ है और उसमें नाना प्रकार के टैक्स लगाये जा रहे हैं, विचित्र बात यह है कि इस प्रजातंत्र में मीटिंग और हड़ताल करने के सिलसिले में वहां तीन-चार आदमी सोशलिस्ट पार्टी के गिरफ्तार कर लिये गये। यह प्रजातंत्र का नमूना है। तो जैसा मैंने पहले ही कहा था कि पूंजीवादी व्यवस्था की सरकार लाख कोशिश करे, और चाहे जितने सोशलिस्ट पैटर्न के नारे लगाये, लेकिन वह वास्तव में काम सोशलिस्ट ढंग पर चला नहीं सकती है और वर्तमान सरकार सही मानों में पूंजीवादी सरकार है।

श्री अंसमानसिंह (जिला बस्ती)––उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप के जरिये से यह कहना है कि करीब ३० वर्ष पहले हमारे देश में और हमारे राज्य में रिश्वतखोरों गजटेड आफिसर की तादाद की बहुत थी, लेकिन इस वक्त बहुत कम है। शायद १ फीसदी है लेकिन अभी भी है। उसके लिये मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि उन पर शहादत मिलना बहुत मुश्किल है। उनके लिये मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि कलेक्टर से कांफिडेंशियल रिपोर्ट मांगी जाया करे और उस रिपोर्ट के आने पर मेरा ख्याल यह है कि ऐसे अफसर जिनकी शिकायत हो उनको ३, ४ महीने से ज्यादा एक जगह पर न रखा जाय। उसका नतीजा यह होगा कि वह जिस जिले में जायगा वहां आसानी से उसका लोगों से परिचय नहीं हो सकेगा और उस बीच में उसको रिश्वत लेने का मौका नहीं मिलेगा और इसके साथ-साथ परेशानी भी उसको इतनी होगी कि वह रोज दौड़ा करेगा।

सब से खास बात मुझे यह कहना है कि जिलों के अन्दर, जो अन्टीकरप्शन कमेटी कायम की गयी है, उनमें अक्सर यह सवाल पैदा होता है कि वकील लोग भी बहुत दर्जे इसके जिम्मेदार हैं यानी रिश्वत दिलाने में उनका भी हाथ रहता है। मैं इसको तसलीम करने के लिये तैयार हूं कुछ दर्जे तक। उसका कारण है और वह यह है कि मैंने अपने जिले में देखा और उसके बारे में जिक्र भी किया। हमारा एक मुकदमा मैजिस्ट्रेट की अदालत में चल रहा है। पुलिस से शहादत नहीं मिलती है। मुकदमा मुल्तवी होता चला जाता है। अब तीन महीने का वक्त इसी तरह से खत्म होने को आ जाता है। इसलिये हुक्काम कहते हैं कि एक हफ्ते के अन्दर अपनी सफाई लाओ वर्ना केस खत्म हो जायगा, क्योंकि इस तरह से तीन महीने हो जाते हैं। अब हमको रोजमर्रा काम करना पड़ता है और खामख्वाह इस तरीके का बरताव करना पड़ता है कि जिससे मुकदमें को

[श्री अंसमानसिंह]

ख़त्म होने से किसी तरह से बचाना पड़ता है। अगले दिन केस को आरगू करना है तो हम अपने क्लर्क से कहते हैं कि तुम पूरी मिसिल ले आओ और वह नकल लाने की कोशिश करता है। यह मानी हुई बात है कि क्लर्क जब जाता है नकल लेने के लिये तो ख्वामख्वाह नाजायज तरीके से उसको लेने की कोशिश करता है और फिर वह मिसिल ले आता है और उसको नकल मिल जाती है। उसके लिये यह मैं सुझाव पेश करना चाहता हूं कि अगर यह ढंग कर दिया जाय कि शहादत जो रोज होती है, उसकी सरटिफाइड कापी मिल जाय, उसमें जो खर्चा हो उसको हम देने के लिये तैयार हैं, मगर वह सरटिफाइड कापी मिल जाया करे तो यह जो वकीलों के ऊपर लांछन रिश्वत दिलाने का लगाया जाता है, उससे बहुत मात्रा में बचत हो सकती है और उस के लिये मैं यहां तक जोर के साथ कहने के लिये तैयार हूं कि ७५ फीसदी वकील ऐसे होंगे जो एक पैसा भी रिश्वत दिलाने के जिम्मेदार नहीं होंगे। कहा जाता है कि नकल लेने के लिये एक सिलसिला कायम है, वही कायम रखा जाय, और उसी तरह से नकल ली जाय। अगर नकल के लिये आज कागज दाखिल किया है और तीन रोज बाद हमको केस आरगू करना है तो जो १५ दिन बाद हमको नकल मिलेगी उसका हम क्या करेंगे और उससे क्या हमारा लाभ हो सकता है। इसलिये हम एक सुझाव सरकार को यह देना चाहते हैं कि अगर आप किसी तरीके से ऐसा इन्तजाम कर दें, चाहे वह थोड़े से क्लर्क बढ़ा कर करें, या किसी और तरीके से, अगर इस तरह का इन्तजाम कर दें, कि नकल हमको रोज मिल जाया करे, तो इस किस्म का भ्रष्टाचार कभी नहीं होगा और बहुत ही कम हो जायगा। इस तरीके पर काफी शिकायतें कम हो जायगी। वकीलों की और क्लर्कों की भी दिक्कत इस तरह से कम हो जायगी।

एक बात और है, जो कचहरियों में ज्यादा शिकायत की शकल में आती है और वह यह है कि कोई केस, मसलन् दखलदिहानी का या कोई और रहा, उसमें ऐसे कागजात होते हैं कि उनके बारे में हुक्काम को यह हिदायत होनी चाहिये कि ४, ६ दिन के बाद वह अहकाम जरूर निकल जायं। वहां से वह हुक्काम चले जायं तो उसमें शिकायत नहीं होगी। ज्यादातर केस दखल के पड़ जाते हैं तो अहलमद के पास वह पड़े रह जाते हैं। महीनों बाद मौका मिलता है तब जल्दी की जाती है कि हमको नुक्सान पहुंच जायगा। ऐसी हालत में उस को बारगेनिंग करने का मौका मिल जाता है और वे पैसे लेते हैं। अगर ऐसी बात कर दी जाय तो बहुत कुछ हद तक कचहरियों की शिकायत दूर हो सकती है। हां, यों तो इतना बड़ा प्रदेश है, इसमें हर तरह के आदमी मौजूद हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी। थोड़ा बहुत चलता ही रहेगा लेकिन अगर कम हो जायेंगे तो जनरल पब्लिक की जो शिकायत है वह कम हो जायगी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि वक्त बहुत थोड़ा है, मामला बहुत अहम है, लिहाजा मैं चन्द बातें मशविरे के तौर पर हाउस के सामने रखूंगा। अगर्चे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं जो कुछ कहूंगा उसकी इत्तिला उनको मिल जायगी और उम्मीद है कि उस पर वे गौर फरमायेंगे तो काबिले अमल होगा।

जब हम किसी आफिसर या पुलिस आफिसर के खिलाफ कोई शिकायत लेकर आते हैं तो गवर्नमेंट के मेम्बरान उसको यह समझ कर सुनते हैं कि यह जो कुछ कह रहे हैं गलत कह रहे हैं लेकिन उनका अमला, अगर कोई ग़लत बात भी कह दे, तो वह उसको सही ही कयास करते हैं। अगर उसूलन यह रविश छोड़ दी जाय और मेम्बरान सदन की बातों पर गौर किया जाय, यकीन किया जाय तो बहुत हद तक दिक्कत दूर हो सकती है। इस सदन के मेम्बरान अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। एक तरफ तो वे अवाम के जेरे असर रहते हैं दूसरे जाप्ते से बंधे हुये हैं, तो उनकी कभी यह कोशिश नहीं रहती कि जानबूझ कर कोई गलत बात करें।

दूसरी चीज यह है कि अगर किसी आफिसर की कोई शिकायत की गयी और मालूम हुआ कि वह शिकायत सही है और उसकी वजह से उसको वहां से बदलना पड़ा तो उनकी प्रेस्टिज रखने के लिये उनकी प्रेस्टिज को गवर्नमेंट अपनी प्रेस्टिज समझ कर उसका ट्रान्सफर तो करती है लेकिन तरक्की देकर। अरसा हुआ इलाहाबाद के एक मोहतरिम कलेक्टर थे। मेरे ही मुताल्लिक उन्होंने शिकायत लिखकर भेजी, उसकी इन्क्वायरी हुई। शिकायत में यह लिखा था कि यह फारेन् ऐम्बेसीज से जाकर मिलते हैं और शिकायत करते हैं। वह चीज बिलकुल गलत साबित हुई। लेकिन वह चीज पंत जी के वक्त से आज तक वैसी ही पड़ी हुई है। उनको इलाहबाद से हटाया गया, गलतियों की वजह से उनको हटाना ही पड़ा, लेकिन बड़े ओहदे पर उनको भेज दिया गया। अब हर आफिसर यही कोशिश करता है कि उसको हटाने की नौबत आये और वह तरक्की पर भेजा जाय। इसी तरह से इलाहाबाद के एस० एस० पी० को हटाया गया था। जब अवाम की शिकायत उनके खिलाफ इस तरह से हुई कि उनसे जवाब न दिया जा सका। यह हो सकता है कि किसी से कोई ग़लती हो, कोई ग़लत मुकदमा चला दे, जिसमें कुछ गलत चीज हो और कुछ ठीक हो तब तो बरदाश्त भी किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने तो धूल में रस्सी बटी थी, कोई वाकया ही न था। उनकी शिकायत की गयी। माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के सामने ग्रुप का ग्रुप मौजूद था। बिलआखिर उनको हटाया गया। और आई० जी० का पी० ए० बना कर ऊपर भेज दिया गया। इस तरह से हुकूमत में कोई इस्लाह नहीं हो सकती। जो आदमी सही शिकायत भी उनकी करता है, वह भी उनका दुश्मन हो जाता है। मेरे ऐसे दीवाने बहुत कम होंगे जिन्हें इस क़िस्म का मर्ज हो गया है, जो इस बात की परवाह ही नहीं करते। लेकिन लोगों को सोचना पड़ता है कि किस तरह से कहा जाय, क्योंकि ज्यादातर बातें गवर्नमेंट में आकर नाकामयाब हो जाती हैं। इस तरह पुलिस और हुकूमत के मुताल्लिक़ जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा ही है।

जो भाई मुझसे पहले बोल रहे थे, बड़े मार्के की चीज उन्होंने कही। मुकदमा चलता है, उस में शहादतें होती हैं, अगर उनकी नकल मिलने का इन्तजाम हो जाय, और हम अच्छी तरह से डिप्टी साहब के सामने बहस कर सकें तो हमारा यह मर्ज कम हो जायगा। लकिन मैं यह अर्ज करूं कि अगर कोई पार्टी का मेम्बर हो या पब्लिक का मेम्बर हो, अगर वह ग़लती करता है, तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है, पार्टी से निकाले जाने का मुस्तहक हो जाता है, लेकिन ऐसा करते वक्त कोई प्रेस्टिज का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अगर किसी आफिसर से कोई गलती हो जाती है तो प्रेस्टिज का सवाल पैदा हो जाता है। कोई भी मुलाजिम हो और अगर वह गलती करे और वह ग़लती साबित हो जाय तो उसको सजा देने में या उसका तदारुक करने में कभी अपनी प्रेस्टिज को सामने न लायें तो मेरे ख्याल में इस सूबे की सब से बड़ी खिदमत होगी। मैं बहुत कुछ अर्ज करना चाहता हूं, लेकिन वक्त नहीं है। इतना और अर्ज कर दूं कि म्युनिसिपैलिटी में यह किया गया है कि जो दूकानें दी गयी हैं या दूकानों के लिये ज़मीन दी गई है, उस का किराया वसूल करने के लिये पुलिस की मदद ली जाती है। किराया वसूल करने के लिये पुलिस गैरकानूनी सख्ती बरतती है और काफी रिश्वत चल रही है। कानपुर और इलाहाबाद में इसका काफी तजुर्बा है। म्युनिसिपैलिटीज को पुलिस की मदद इस तरह से जायज और नाजायज हरकतें करने के लिये न दी जाय।

जहां तक इल्म और जबान का ताल्लुक है मैं तसलीम करता हूं कि मेरी जबान में उर्दू के अल्फाज आ जाते हैं। उधर के बैठने वाले और अपोजीशन के लीडर दोनों ने यह इजहारे ख्याल किया। मैं अर्ज करता हूं कि हिन्दी जबान के मुताल्लिक कि बड़ी आसान है— सब सूबे में एक राय के हैं और कोई इसके खिलाफ न होगा, लेकिन जो चीज आप ने खुद

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

कही है कि दरख्वास्तें दूसरी जबान में भी दी जा सकती हैं उस मसले को बाजाब्ता तौर पर आप तय कर दें।

जहाँ तक चोरी और लूटमार का ताल्लुक है, काफी शिकायतें इसके मुताल्लिक सूबे के हर गोशे से आई हैं कि उसके रोकने में हम बड़ी हद तक नाकामयाब हुए हैं। इसके लिये फौरी कदम उठाना चाहिये, और जिस तरह से ऐंटी करप्शन कमेटीज बनायी गयी हैं, उसी तरह से एडवायजरी कमेटीज बनायी जायं और वे गौर करें कि डाकुओं के नाम पर ग़लत चीज न होने पाये, गलत आदमी गिरफ्तार न किये जायं। कहीं ऐसा तो नहीं होता है, मैं खसूसन अपने मुख्य मंत्री जी से पूछता हूं ऐसी शिकायतें तो उनको नहीं मिलती हैं कि जहां पर पुलिस नाकामयाब रही डाकुओं को पकड़ने में वहां उसने गलत आदमियों को पकड़ लिया हो। अगर ऐसा होगा तो हमारे नाम पर बदनुमा धब्बा लगेगा। मैं चाहता हूं कि ये हमारी सब शिकायतें मिटें।

श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो चित्रण सामान्य प्रशासन का माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। उन लोगों को छोड़ कर, जिन्हे ख़राबियों के सिवा अच्छाइयां दिखती ही नहीं हैं यह मानना ही पड़ेगा कि उसमें प्रगति के चिह्न हैं। उन्होंने दो एक बातों का विवरण बताते हुये हमें बताया कि इस प्रकार के आयोजन किये गये हैं। ६ लाख रुपया हिन्दी की पुस्तकों के लिये प्रस्तुत करना निश्चित किया गया है। मेरा नम्र निवेदन यह है कि जब हम यह निश्चय कर चुके हैं कि हम समाजवाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं तो पहला कदम— ऐसी पुस्तकों का जहां तक सम्बन्ध है— उनका नेशनलाइज़ेशन होना चाहिये। आज जो दिक्कतें, जो कठिनाइयां हमारे स्कूलों में छोटी आय के व्यक्तियों को हो रही हैं, कदाचित उस का अनुमान हमारी सरकार को है या नहीं, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि आज छोटी आय के व्यक्ति इन पुस्तकों के भार से दबे जा रहे हैं। एक बच्चा, जो छठे दर्जे में, या बेसिक कक्षाओं में पढ़ने भेजा जाता है, उस को बहुत व्यय करना पड़ता है पुस्तकों के ऊपर। अभी गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को कुछ सहायता दने की बात आई थी वह बड़ी सराहनीय है, लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक गवर्नमेंट सर्वेन्ट है जिसकी आय १०० रु० से कम है उसका ट्रान्सफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह और कभी सेशन के बीच ट्रान्सफर हो गया तो उसे बड़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा उस बच्चे को भी एक जगह वह जो किताबें पढ़ता है, तो दूसरी जगह जब वह जाता है तो उसे दूसरी किताबें खरीदनी पड़ती हैं। तो ऐसी दशा में संरक्षकों को बहुत अनावश्यक व्यय करना पड़ता है, यदि यह सब कार्य स्टेट के हाथ में आ जांय तो एक अच्छी व्यवस्था हो जाय और इस तरह का अपव्यय होने से बच जाय। दूसरी दिक्कत यह भी रहती है कि कैरिकुलम बदलने से एक ही जगह एक स्कूल से दूसरी जगह जाने पर संरक्षकों को बहुत कष्ट होता है। मैं आप के द्वारा सरकार से आदर पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं इन पुस्तकों की कठिनाई को मामूली कठिनाई न समझ कर सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे और साथ ही इस की आड़ में काफी भ्रष्टाचार और दुराचार भी होता है। किसी तरह से पुस्तक स्वीकार हो जाय, इसलिये लोग यत्न करते हैं। अतः यदि यह काम सरकार स्वयं अपने हाथ में ले ले तो काफी लाभ हो सकता है।

दूसरी एक और चीज की ओर मैं आप के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह यह है कि जब हम माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था और सदन से अपील की थी कि "अब या कभी नहीं" का सवाल हमारे सामने हैं। उन्होंने कहा था कि आज हमारे सूबे के सामने यह सवाल है कि हम आज अपने यहां से मुफलिसी, गरीबी को दूर करें या टैक्स लगा कर सूबे का कार्य संचालन करें। जब माननीय

वित्त मंत्री जी की ओर से ऐसी अपील प्रदेश या सदन के सामने की जाय तो हम सरकार से यह भी आशा करते थे कि वह सब यत्न कर लिये गए होंगे जिनके द्वारा सूबे के खर्च में से एक एक पाई जो बचाई जा सकती है वह बचाई जा सके, लेकिन जब हम बजट को इस दृष्टि से देखते हैं और उसके कुछ आइटम्स को देखते हैं तो हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार के प्रयत्न की छाप इस बजट में नहीं मिलती। मैं आप के द्वारा नम्रतापूर्वक सरकार से निवेदन करूंगा कि आज भले ही किसी व्यय को कम करने से वह सारे काम या सारी कमी पूरी न हो, लेकिन आज के वातावरण में हमारे लिये यह परमावश्यक है कि हम जनता को बतायें और समझने का मौका दें कि जिस समय हम उसके ऊपर साढ़े ९ करोड़ टैक्स लगाते हैं, तो उस से हम कह सकें कि हमने अपने यहां एक एक पाई बचाने की पूरी कोशिश कर ली है, यदि हम अपनी जनता को यह विश्वास दिला सकें तो हम अवश्य ही उस से अपनी बात आसानी से स्वीकार करा सकेंगे। जब हम इस बजट की ओर इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें कभी कभी इस चीज का अभाव मालूम पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि माननीय राज्यपाल से सम्बन्धित किसी बात का यहां उल्लेख करूं, लेकिन जब हम देखत हैं कि अभी कुछ दिन की बात है कि उनके लिये ३५ हजार की एक मोटर के विषय में सम्मति देना पड़ी, वह मोटर जिसका इम्पोर्ट बन्द हो चुका था, कीमत का सवाल छोड़ दिया जाय। हो सकता है वह मर्यादा के लिये इस देश या प्रदेश की जरूरी हो। उसके अलावा हम देखते हैं कि १७,००० रुपया राज भवन पर्दों के नवीनकरण के लिये पिछले साल रखा गया था और इस वर्ष २२,००० रु० और पर्दों के लिये रक्खा गया है वहां के बागात का आइटम है जिसमें २३,००० रु० कन्टिनजेन्सी में रखा गया है, बड़ा अच्छा है सुन्दर उद्यान बनें इस तरह से यह छोटे छोटे आइटम्स हैं लेकिन इनके साथ-साथ हमें जनता में एक ऐसा वातावरण पैदा करना है, जब हम जनता पर टैक्स लगाने जाते हैं उस समय हम उसे बतायें कि हम झूठी मर्यादा आदि पर जो अपव्यय होता था, वह बन्द कर चुके हैं और अपनी एक एक पाई जहां व्यय करना लाजिमी है वहीं व्यय करते हैं।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि सर्विसेज के वेतन के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज जो कहा था। वह निश्चय ही एक सक्रिय कदम है। जिसकी ओर माननीय मुख्य मंत्री जी ने संकेत किया था। चाहे हम उन को सुविधायें दें या उनका वेतन बढ़ायें। लेकिन एक बात तो हमें करनी ही होगी, वह आज नहीं तो कल कि हमें नीचे के साथ ऊपर की भी सीलिंगज़ आय मुकर्रर करना होगी जहां हमें नीचे की लिमिट बनाना पड़ेगी, वहां हमें एक ऊपर की भी लिमिट बनाना ही पड़ेगी। मुझे आशा थी कि इस बजट में कोई इस बात का संकेत होगा या किसी रिवीजन कमेटी का प्राविजन होगा जो इस वेतनों की विषमता को दूर करती। आज सवाल केवल इतना ही नहीं है कि हम ऊपर के बड़े अधिकारियों का वेतन कम करके बड़ी रकम नहीं बचा सकते, लेकिन सवाल यह है कि हम जो कुछ भी बचायें, हम उस विषमता को तो दूर कर सकते हैं, एक लक्ष्य के कुछ नजदीक तो पहुंच सकते हैं। अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाय कि सब से बड़े कर्मचारियों की तनख्वाह घटा कर बचत नहीं कर सकते तो कल को कदाचित यह सिद्धांत भी मानना पड़े कि पूंजीपति आदि जो बहुत थोड़े हैं, जिनकी आय कई लाख रुपये है, ऐसे बहुत कम हैं, उनकी आय घटाने से या उनकी आय में हाथ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो यह सिद्धांत में नम्रता के साथ और आदर के साथ निवेदन करूंगा खतरनाक सिद्धांत होगा। हमें इस ओर कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगर हमने इस में देर की तो हमारे लिये उतना ही कष्टकर होगा। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं केवल इतना निवेदन करूंगा कि जहां तक अदालतों का सम्बन्ध है अभी बहुत जिक्र हुआ। अदालतों में एक बहुत बड़ी शिकायत है, वह यह है, कि एरियर्स बहुत बढ़ चुके हैं।

[श्री जगदीशसरण]

छोटी अदालतों में भी और बड़ी अदालतों में भी। मैं सिर्फ बरेली के सम्बन्ध में आप को बताऊं। वहां मुंसिफ की अदालतों में यह दशा हो गयी है कि एक एक मुकदमें की तारीख ९, ९, १०, १० महीने के बाद पड़ती है। १२, १४ सौ मुकदमें एरिअर में हैं। 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड', इसको ध्यान में रख कर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस ओर ध्यान दें कि सारी अदालतों में जो मुकदमें एरिअर में पड़े हैं, उनके फैसले करने का प्रयत्न करें, और विशेष कर बरेली के लिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, आज जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सामान्य प्रशासन के विवाद को शुरू करते समय जो अपने स्पष्ट दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, उससे हमारी आलोचना करने की शक्ति भी और अधिक स्पष्ट हो जाती है। आज मुख्य मंत्री जी के ऊपर एक ऐसा महान् दायित्व आया हुआ है कि इस प्रदेश के मुख्य कर्णधार होने के नाते, उनके सुदृढ़ कंधों के ऊपर यह भार कायम होगा, जो समाजवादी होने के नाते हमारे सामान्य प्रशासन को एक समाजवादी प्रशासन बना सकें। जो आज नौकरशाही का दृष्टिकोण है, वह ऐसा है कि कोई सरकार आये, कोई भी दृष्टिकोण आये, हम तो उसके अनुसार कार्य करने वाले हैं, कोई पूंजीवादी हुकूमत आये तो वह सबसे बड़े पूंजीवादी हैं, अगर कोई मिश्रित अर्थ व्यवस्था की हुकूमत आये, तो उसके अनुसार कार्य करेंगे जो, हुकूमत आयेगी वैसा वह करेंगे। मेरे विचार से जब तक हमारे उच्चाधिकारियों का दृष्टिकोण समाजवादी नहीं होता, जब तक वह समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत नहीं होते, तब तक कोई भी सरकार समाजवादी प्रशासन कायम नहीं कर सकती। क्या आज हम यह कह सकते हैं कि आज जो हमारा तमाम प्रशासन है, यह स्वयं अपने व्यक्तिगत विचार धारा से समाजवादी भावना से ओतप्रोत है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिये मेरा प्रथम सुझाव तो यह है कि जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे वे किसी स्तर के हों, उच्च से उच्च और निम्न से निम्न स्तर तक, आपस में कैम्प्स में मिल कर विचार विमर्श करें कि हमारे यहां समाजवाद की रूप रेखा क्या होगी और किस प्रकार हम उन्नति कर सकते हैं ताकि उनकी स्वयं समाजवादी विचारधारा उत्पन्न हो। चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हो, चाहे वह डेवलपमेंट आफिसर हो, या सेक्रेटरी हो, यह अवश्य होना चाहिये। पी० सी० एस० और आई० ए० एस० के कोर्सों में गांधी वाद और समाजवाद के बारे में अनिवार्य पेपर होना चाहिये। आफिसर ट्रेनिंग स्कूल, जो इलाहाबाद में है, उस में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। वे लोग यह समझें कि इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण में समाजवाद सूबे के प्रशासन में क्या महत्व रखता है। हिन्तुस्तान की पृष्ठभूमि में समाजवाद क्या है, इसके बारे में एक विषय जरूर निर्धारित होना चाहिये। इस सम्बन्ध में आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में माननीय मुख्य मंत्री खुद गये थे। वहां एक घटना घटी। उसकी ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज वहां पर ट्रेनिंग का क्या स्तर है। इससे स्वयं उन्होंने अन्दाजा लगाया होगा इलाहाबाद में जो घटना घटी।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह पोर्टफोलियोज के बटवारे के सम्बन्ध में है। जिस प्रकार विभाग मंत्रियों में बटे हुये हैं उससे माननीय मुख्य मंत्री को स्वयं दिक्कत महसूस हो रही होगी। प्लानिंग उनके हाथ में नहीं है, और दूसरे कुछ विभाग उनके हाथ में सेहीं हैं। मिनिस्टर तेरह हैं और सेक्रेटरी १८ हैं। मिनिस्टर के हाथ में एक विभाग है और सेक्रेटरी के हाथ में दूसरा विभाग है। जितने मिनिस्टर हैं उतने ही सेक्रेटरी होने चाहिये। और सेक्रेटरी के पास वही विभाग हों जो मिनिस्टर के पास हों।

मैं समझता हूं कि जो मैंने सुझाव दिया है इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे। जहां तक और प्रशासन के कार्यों का सवाल है एक और जिम्मेदारी माननीय मुख्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी के ऊपर आती है कि जो पे कमेटी की रिपोर्ट सन् १९४७ में पास की थी उसकी बहुत सी बातें अधूरी रह गयी हैं उसका भी दायित्व उनके ऊपर है ।

माननीय मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि इस प्रदेश में बहुत से एसोसियेशन बने हुये हैं, मिनिस्टोरियल एसोशियेशन, ३४, ३५ एसोशियेशन हैं जो हड़ताल नहीं करते उनका डेप्यूटेशन भी ठीक से नहीं मिल पाता तो इससे जो उनके अन्दर एक हार्ट बर्निंग होती है उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे और उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, तो यही होगा कि जो अपनी बात किसी से जोर दिलवाकर रखेंगे, उनकी बात मानी जायगी, और जो कमजोर हैं अपनी बात नहीं मनवा सकते, उनमें एक प्रकार की हार्ट बर्निंग होगी । तो इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि एक पे कमीशन या पे कमेटी दोबारा बैठायी जाय और विटले सिस्टम, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि विटले कांउन्सिल सिस्टम जो उन्होंने पे कमेटी की रिपोर्ट में रिकमेंड किया है, प्रत्येक विभाग में विटले काउन्सिल सिस्टम अवश्य प्रचलित किया जाय ।

जहां तक कमिश्नरों की बात है, आज कमिश्नर ४ से बढ़ कर १८ हो गये हैं । केवल कमिश्नर ही नहीं बल्कि ऐडीशनल कमिश्नर भी हैं । तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे इसकी जांच करें क्योंकि प्लानिंग के लिये अलग रीजनल कमिश्नर, हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ऐडीशनल कमिश्नर अलग हैं, तो यह जो इतने ज्यादा अलग २ डेजिगनेशन हैं और इससे जो ओवर लैपिंग आफ वर्क होता है, इससे यह होता है कि जिम्मेदारी एक की नहीं होती, बल्कि ४,५ की जिम्मेदारी होती है, इससे बड़ी गड़बड़ होती है । तो इस सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है । इसके साथ ही साथ जो लैन्ड रिफार्म कमिश्नर का आफिस है, मैंने पिछले साल भी कहा था कि इसको माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट में न हो कर राजस्व मंत्री के बजट में होना चाहिये क्योंकि सीधी जिम्मेदारी लैन्ड रिफार्म कमिश्नर की राजस्व मंत्री के पास जाती है ।

स्टेटिस्टिक्स विभाग का जहां तक सम्बन्ध है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं यह नहीं कहता कि उससे योग्य आदमी नहीं हैं, लेकिन जो काम उनको सौंपा गया है, उसकी रिपोर्ट आज तक हमारे सामने नहीं आयी । जैसे मिसाल के लिये दो फैमिली बजट की इन्क्वायरी की गयी । एक तो कानपुर में १९४४–४५ और दूसरी फैमिली बजट इन्क्वायरी फार टीचर्स, जर्नलिस्ट्स, लायर्स की १९४९ में करायी गयी । इसी प्रकार कास्ट आफ कल्टीवेशन इन्क्वायरी करायी गयी १९५० में और अनऐम्प्लायमेंट की इन्क्वायरी करायी गयी । ऐसे ही कास्ट आफ लिविंग इन्डेक्स की इन्क्वायरी करायी गयी लेकिन आज तक उनकी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आयी । खर्चा हुआ, सदन ने स्कीम मंजूर की । तो स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से केवल यही आशा नहीं करते कि विभागों से जो आंकड़े आयें, उन्हीं को छापकर बुलेटिन में रख दें, बल्कि हम यह भी आशा करते हैं कि वह अपना कोई ओरीजनल कन्ट्रीब्यूशन भी करे और मुझे आशा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेटिस्टिक्स विभाग को अधिक कड़ाई से देखेंगे और कम से कम हमको बतायेंगे कि रिपोर्ट आज तक हमारे सामने क्यों नहीं आयीं ।

मेरा एक और सुझाव है कि जिले की बाउन्ड्रीज और सब डिवीजन की बाउन्ड्रीज को ऐडजस्ट करने के लिये एक कमेटी 'हाई पावर कमेटी' बैठायी जाय। मैंने पिछले वर्ष भी इसका सुझाव दिया था, क्योंकि कहीं सब-डिवीजन बड़े हैं कहीं छोटे हैं । जिले की बाउन्ड्रीज में झगड़ा होता है । तो इस वर्ष अवश्य एक कमेटी नियुक्त हो जानी चाहिये ताकि वह इसके सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट दे । समय की कमी के कारण मैं यही सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने जो दो अनुदान हमारे सामने उपस्थित किये हैं और जिस सुन्दरता के साथ उन्होंने अपने इस सम्बन्ध में वे विचार प्रकट किये हैं, वे बधाई के पात्र हैं । हम चार वर्षों से यह देख रहे हैं कि इस अनुदान पर जितनी कटौती और जितनी संगीनता के साथ हर तरह के कटु विचार

[श्री पातीराम]

प्रकट होते चले आये हैं उनमें किसी हद तक बहुत बड़ी कमी हमारे सामने नजर आयी। यह एक मुख्य चिन्ह है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी स्टेट में हर पहलू पर कितनी प्रगति होती चली जा रही है और उन विचार धाराओं में जो हर विभाग के सम्बन्ध में एक विरोधी दृष्टिकोण हमारे सामने रहा है, आज हम उसमें भी बहुत कुछ कमी देखते हैं और यह स्टेट जो दिन पर दिन विकास करती चली जा रही है, उसका चिन्ह हमारे सामने प्रगति के रूप में मौजूद है।

इन अनुदानों में हमारे मुख्य मंत्री जी ने बहुत सी बातों की चर्चा की उनमें हरिजन समुदाय के सम्बन्ध में जिन दो बातों का उन्होंने जिक्र किया दरअसल इस के लिये वह विशेषतः बधाई के पात्र हैं। हमारे हरिजन समुदाय की यह एक आम तौर से मांग रही है कि जो हमारे यहां उमर सम्बन्धी आज रियायतें हैं, उनमें इजाफा होना चाहिये, जो बड़े-बड़े कम्पीटेटिव एग्जामिनेशंस हैं उनमें हमें ज्यादा सुविधायें मिलनी चाहिये। आप ने इस बात को सदन के सामने रखकर हम में एक उत्साह की लहर पैदा कर दी है। इस सम्बन्ध में हम यह भी उनसे आशा करते हैं कि जो हमारी शिकायत आम तौर से १८ फीसदी रिजर्वेशन की चली आ रही है, जिस पर क्रियात्मक रूप से कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, हम सम्पूर्ण वर्ग यह आशा करते हैं कि उस तरफ भी हमारे मुख्य मंत्री कोई ठोस कदम उठायेंगे ताकि यह शिकायत हमारी दूर हो जाय और सही माने में अगर हमें १८ फीसदी का रिजर्वेशन हर विभाग में मिलने लगे तो हमारी बहुत बड़ी कमियों का एक समाधान निकल आये।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने आज सामान्य प्रशासन के सिलसिले में कमिश्नरों के पदों का जिक्र किया। आम जनता कमिश्नरों के सिलसिले में यह सोचती है कि अब यह पद जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इसकी रूपरेखा सदन के सामने रखी उससे यह स्पष्ट होता है कि इस गवर्नमेंट और जिलों के शासन के बीच में एक ऐसा पद होना चाहिये कि जो दोनों को सुचारू रूप से चलाता रहे, इससे यह प्रतीत होता है कमिश्नरों का रहना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी आम चर्चा हमारे सामने थी एस० डी० ओज० के हेडक्वार्टर्स से तहसीलों में भेजने की। यह भी गवर्नमेंट ने एक सही कदम उठाया है। जिस समाजवाद की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें न्याय करने और सुविधाजनक न्याय करने की जो हमारी प्रणाली है उसमें यह कदम एक प्रशंसनीय कदम है। इस तरह हम अपनी इन व्यवस्थाओं से जो सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इससे यह संकेत मिलता है कि, जहां और विभागों में एक विकास की भावना लेकर तरक्की की जा रही है, वहां हम सामान्य प्रशासन में भी तरक्की करते चले जा रहे हैं और वह दिन दूर नहीं जिसकी हम आशा करते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है, जो उसकी रूपरेखा हम देख रहे हैं, अगर सही माने में हमें उसे पूरा करने का अवसर मिला तो सन् ६१ तक जो आज थोड़ी बहुत आलोचना हम आपके सामने करते हैं, वह भी शायद न रह जाय। आज जो आंकड़ों की बात हमारे सामने कही जाती है और सूचना सम्बन्धी जो बातें हमारे सामने रखी गयी हैं, इनके सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि इनकी तरफ भी एक सही और ठोस कदम उठाया जाय ताकि सही आंकड़े हमारे सामने हों और विस्तार में सूचनायें हमें मिलें। इससे जनता में उत्साह की लहर आयेगी। जहां पर हम यह देखते हैं कि आज हमारे प्रदेश में जिन दिशाओं में तरक्की हुयी है, जो भी उसने कदम उठाये हैं, उनका सही रूप जनता के सामने हमारे द्वारा और सूचना विभाग द्वारा आने लगा है, तो वहां हम जनता में एक उत्साह की भावना भी पाते हैं।

इसके साथ साथ आज हमारे प्रदेश में जो एक सबसे बड़ी कमी हमारे सामने नजर आ रही है हम आशा करते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री उस तरफ भी पूरा ध्यान देंगे। आज कतल, डकैतियां और चोरियां इस प्रदेश में काफी मात्रा में हो रही हैं, जिसकी तरफ भी सही रूप से एक कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे इन घटनाओं में भी कमी होवे। हम ऐसा प्रतीत करते हैं कि आज प्रदेश के जो उच्च अधिकारी हैं यह बड़े गौरव की बात है कि उनमें बहुमत की राष्ट्रीय भावना बढ़ती जा रही है और वह हमारे और जनता के सम्पर्क में भी आते चले जा रहे हैं।

यदि हमने इस तरह से इस उत्साह को आगे बढ़ाते रखने को व्यवस्था को चालू रखा और इस तरह से जनता अधिकारी और सरकार का यह त्रिगुणी सम्पर्क हमने चलाया तो वह दिन दूर नहीं होगा जब सरकार इस मामले में भी पूर्ण सफल होगी। तो मैं इन दो तीन सुझावों के साथ पुनः धन्यवाद देता हूं। हमारे मुख्य मंत्री जी इसलिये बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने हमारे सामने अपनी भावनाओं को रखकर यह बता दिया कि हमारा प्रदेश सामान्य प्रशासन में भी कितना आगे बढ़ रहा है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि ऐसे अवसर पर जबकि मुख्य मंत्री जी सदन में अपना अनुदान प्रस्तुत कर रहे हों अपने विचार उनके सामने रक्खें और अपने ही नहीं जनता के विचार भी उन तक पहुंचाऊं। जहां तक आज के शासन का सम्बन्ध है यह बात हमें माननी ही पड़ेगी कि वर्तमान जिस समय से गुजर रहा है उसमें हम पुरानी परम्पराओं और मर्यादाओं की जगह नयी परम्परायें और मर्यादायें स्थापित कर रहे हैं। हमारे उन नेताओं पर हरिजन के हाथ में शासन की बागडोर है नयी समाज की रचना का और नये युग के निर्माण का भी बोझ आ पड़ा है। तो ऐसे समय जब हम अहिंसात्मक ढंग से समाज में क्रांति ला रहे हों और समाज की पुरानी परम्पराओं और मर्यादाओं को तोड़कर नई परम्परायें और नई मर्यादायें कायम कर रहे हों, तो यह बात स्पष्ट है कि उन पर बहुत बड़ा भार है और उस समय यह और भी कठिन हो जाता है जब कि हमने अपना ऐसा संविधान बनाया हो जिसके अन्तर्गत सभी जातियों, सभी सम्प्रदायों और सभी विचारधाराओं के लोगों का समान अधिकार हो और यही नहीं बल्कि जहां व्यक्ति को सरकार के मुकाबिले में अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिये न्यायालय में जाने तक का भी अधिकार मिलता हो और बहुत छोटी-छोटी बातों पर हममें से कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिये उन न्यायालयों की शरण ले लेते हों और उन न्यायालयों में जो कि बदलते हुये समाज में विश्वास ही न रखते हों और आज की सामाजिक क्रांति लाने के समर्थक भी न हों। मेरी मंशा किसी न्यायाधीश या किसी अदालत की तौहीन करने या प्रशंसा करने की नहीं है मेरा उद्देश्य केवल यह है कि आज के जनतांत्रिक युग में हमारी अदालतों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी सत्ता हमारे मंत्रिमंडल से भी ऊपर है तो ऐसी अवस्था में ऐसे सभी भाइयों के सामने, जो अपने सामने उच्चादर्श रखते हैं उनके लिये उन से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आज के व्यावहारिक ढंगों को देखकर जिन पर हम सामाजिक क्रांति ला रहे हैं उन तमाम बातों का विचार करके ही सरकार की कठिनाइयों का अनुभव करें और अपने मुख्य मंत्री जी को सुझाव दें।

मैं ज्यादा बातें इस संबंध में न कह कर केवल इतना और अपनी तरफ से कह देना चाहता हूं कि अभी हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार जिस गति से सामाजिक क्रांति और समाजीकरण की ओर चल रही है उसमें बहुत बड़ी तेजी की गुंजाइश है। हमारी जनता और हम इस मंत्रिमंडल से यह आशा करते हैं कि वह जरा तीव्र गति से चलें और राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में शीघ्र ही क्रांति लायें। प्रत्येक क्षेत्र में उनको जनता की तरफ से यह विश्वास होना चाहिये कि वह आज इससे अधिक आशा रखती है कि हर क्षेत्र में हमारे मंत्रिमंडल का कदम तेजी से उठना चाहिये। जहां तक सामाजिक क्रांति का प्रश्न है हमारे देश ने इस बात को मान लिया है कि हमें वर्गविहीन और जातिविहीन समाज की रचना करनी है। लेकिन आज भी सरकार के इस तरह के अधिकारी हैं जो जाति-पांति में विश्वास रखते हैं। सरकार इसका एक मात्र इलाज यह कर सकती है कि ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहन दे जो कि अन्तर्जातीय विवाह में विश्वास रखते हों ऐसे नवयुवक जो अन्तर्जातीय विवाह करें उनको शासन में जिम्मेदारियां दूसरों के मुकाबिले में अधिक दी जायं।

[श्री महीलाल]

इसके अलावा जहां तक वेतन में असमानता का प्रश्न है वह केवल आंकड़ों का प्रश्न नहीं है। उससे हमारी बचत पर कुछ प्रभाव पड़े या न पड़े लेकिन जनता आज यह नहीं चाहती कि आर्थिक विषमता इस प्रकार की रहे जो आज है। जनता नहीं चाहती कि एक तरफ हमारे समाज में ऊंचे ऊंचे टीले रहें और दूसरी तरफ गहरे गड्ढे रहें। आज हमें ऊंचाई और नीचाई के फर्क को मिटाना चहिये ऊंचे टीले काट कर गड्ढों में डालना चाहिये जिससे आप की दिलाई आशा निराशा में न बदल जाय। मैं अपने मुख्य मंत्री जी को यह आश्वासन देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं कि जनता का उनके साथ पूरा सहयोग है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पातीराम जी ने कह दी और कुछ वक्त मेरा बचा दिया। और ठीक कहा कि कम विरोध ही आज यह साबित करता है कि गवर्नमेंट का काम अच्छा है। यही नहीं कि विरोध नहीं हुआ बल्कि हमारे भाई गेंदा सिंह जी ने तो तारीफ भी की और कहा कि हिन्दी का बजट कम है और बढ़ाना चाहिये। हमारे महाराजकुमार माननीय बालेन्दुशाह ने भी सपोर्ट किया। केवल हमारे भाई रामनारायण त्रिपाठी जी ने अपोज किया लेकिन उनके विरोध करने से क्या होता है, उनकी पार्टी में सिर्फ चार ही लोग हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—हां, दिल को खुश कर लीजिये यह सब कह कर।

श्री सीताराम शुक्ल---हम तो सब को खुश करने की कोशिश करते हैं, आपको भी ? अगर आप नहीं खुश होते हैं तो यह हमारी बदकिस्मती है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—एक आध शेर हो जाय इसी पर।

श्री सीताराम शुक्ल---आप शेर सुनना चाहते हैं लेकिन बहुत कम वक्त है। अगर और वक्त दिलवा दें तो शेर, बिरहा; श्लोक सब सुन लीजिये। आपने फरमाया बड़े जोरदार शब्दों में कि इस सूबे में कत्ल बहुत ज्यादा हुये। मगर यह भी तो देखिये कि यह सूबा बहुत बड़ा है। तादाद भी बड़ी है, जनसंख्या भी बड़ी है तो यहां पर भलाई भी ज्यादा होगी और बुराई भी ज्यादा होगी बड़े जोरदार शब्दों में सब के बराबर होने की बात उधर से कही गई लेकिन "खुदरा फजीहत और दीगरा नसीहत" वह चाहते हैं कि सबको बराबर कर दिया जाय तो पहले अपने को तो कर लें। डाक्टर राम मनोहर लोहिया जी को देख लीजिये और उन्हीं की पार्टी के एक विचारे गरीब बालंटियर को देख लीजिये तो उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वह हवाई जहाज पर उड़ते हैं और गरीब स्वयं सेवक लोगों के पास जूते तक नहीं हैं। पहले तो जनाब डाक्टर साहब हवाई जहाज पर उड़ना छोड़ दें फिर हम लोगों को यह सबक दें कि सब बराबर हों। यदि किसी आदमी का पैर काटकर बराबर किया जायगा तो वह और चल फिर नहीं सकेगा और यदि उसका सिर काटकर बराबर किया जायगा तो मर जायगा। खूबी तो इसी में है कि हम खिला पिलाकर छोटे को बड़ा कर दें और गरीब को धनी कर दें, यह नहीं कि धनी को गरीब कर दें, हम इस रह से बराबर करना चाहते हैं। किसी को गिराकर बराबर नहीं करना चाहते हैं बल्कि गिरे हुये को उठाकर बराबर करना चाहते हैं। हमारे और आपके दृष्टिकोण में यही तो फर्क है।

आज आप सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में कहते हैं कि बड़े अफसरों की तनख्वाहें घटाई क्यों नहीं गई ? आप छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहों के बढ़ाने की तारीफ नहीं करते बल्कि घटाई क्यों नहीं गई इसकी आपको शिकायत है। मैंने अर्ज किया कि अपोजीशन के (प्वाइन्ट आफ व्यू) दृष्टिकोण से आपका कहना ठीक है। आप चाहते हैं कि जो आज्ञा देते हैं और ब्रेन का काम करते हैं उनको परेशान किया जाय ताकि वे फैसला करने में गलती करें फलस्वरूप जनता में असंतोष फैले और आप फायदा उठायें लेकिन वह गलती सरकार नहीं करेगी।

इसी सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय सूचना मंत्री महोदय का ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं कि राज्य में बड़ा काम हुआ और बड़ी तरक्की हुई। लेकिन अभी काम बहुत करना बाकी है। हिन्दी के बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि आंनरेबिल चीफ मिनिस्टर साहब को जब रिपोर्ट अंग्रेजी में दी गई तो उनको कहना चाहिये था कि उसने क्यों अंग्रेजी में रिपोर्ट दी? यह तो आपकी हुक्म अदूली होती है। जब हाउस यह फैसला करता है कि कार्यवाही हिन्दी में होगी तो फिर उसकी क्या हिम्मत है कि अंग्रेजी में रिपोर्ट दें? आप देखिये कि उसको हिन्दी आती है या नहीं। यदि नहीं आती है तो फौरन वह पढ़े। यदि फिर भी नहीं आती तो उसको अलग कर दें।

आखीर में मैं यह अर्ज करूंगा कि जिस समय कर्मचारियों की भर्ती होती है उस समय केवल यह न देखा जाय कि बी० ए०, एम० ए० हैं, बल्कि उसका कैसा कैरियर रहा है और चरित्र पर भी ध्यान दिया जाय। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक जगह एक वजीर की भर्ती होनी थी। उसके लिये उम्मीदवार आये और ठहरे। जो सबसे बड़ा वहां का अफसर था गाड़ीवान का वेष बनाकर वह आगे चला गया। उसी रास्ते से गया जिससे उम्मीदवार चले जा रहे थे। जानबूझ कर उसने अपनी गाड़ी रास्ते में फंसा दी? बहुत से उम्मीदवार उधर से गुजरे और देखते चले गये, लेकिन एक उम्मीदवार ने कहा कि आपकी गाड़ी फंस गई है, मैं आपकी कुछ मदद करूं? इसके बाद उसने धक्का देकर गाड़ी बाहर करवादी और जब गाड़ीवान ने धन्यबाद दिया तो उसने कहा कि आपकी सहायता करने से मुझे भी खुशी हुई, तब धन्यवाद काहे का? दूसरे दिन उस अफसर ने कहा कि फलां आदमी वजीर चुना जायगा क्योंकि इम्तहान हो गया। यह वही अफसर था जिसकी गाड़ी फंसी थी। इस चुनाव में एम० ए०, बी० ए० का ख्याल नहीं किया गया, बल्कि सेवाभाव देखा गया है। अंग्रेजों ने तो ऐसे भाव लोगों में पैदा कर दिये कि नौकरी करेंगे तो हम लोग बंगले में रहेंगे और ऐश करेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ऐश की जगह नहीं है। यह तो सेवा की जगह है। कुछ लोग हाथ पैर से सेवा करते हैं और कुछ लोग जबान और बुद्धि से। इसके लिये मैं आपके सामने यह रखता हूं कि हमारे अफसरों को कहना चाहिये कि "नमं जनपदेस्तेनोनकदर्यो नमद्यपः ना नाग्निनी विद्वाननस्वैरी श्वौरिणी कुतः"।

इसका भावार्थ यह है कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कायर नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई घर ऐसा नहीं है जहां आग न जलती हो, खाना न बनता हो और कोई व्यभिचारी नहीं है। अतः व्यभिचारिणी का प्रश्न ही नहीं उठता।

आखिर में मैं अपने माननीय मुख्य मंत्री और माननीय सूचना मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ ही यह अर्ज भी करता हूं कि आज कल लोगों का काम है कि गलत प्रचार करना, और असंतुष्ट जनता को करके उससे लाभ उठाना। लिहाजा सूचना विभाग का काम काफी बढ़ गया है। इसलिये जहां मैं आपको धन्यवाद देता हूं अन्य कामों के लिये, वहां शिकायत भी करता हूं कि सूचना विभाग पर कम ध्यान दिया जाता है, बजट में इसके लिये कम रुपया रखा गया है। यह प्रजातंत्र है। इसमें प्रचार भी जरूरी चीज है। वोट से सरकार बनती है। आप काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, यही काफी नहीं है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि पब्लिक जाने कि आप अच्छा काम करते हैं। इसके लिये पैसा कम है। मेरा ख्याल है कि इस तरफ आप ध्यान देंगे ताकि इस मुल्क की तरक्की की जा सके।

श्री जयेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने अभी सिविल सर्वेंट्स के सिलसिले में कहा कि उनको कुछ सोशलिज्म की ट्रेनिंग देनी चाहिये या उनका आउटलुक कुछ बेंज होना चाहिये। मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया, या उनकी बात को समझने में मेरी कुछ गलती हो सकती है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र की अवस्था में जो पारमानेंट सर्वेंट्स हैं उनको किसी भी 'इज्म' से अलग रखना चाहिये और वह

[श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट]

जरूरी है। प्रजातंत्र राज्य में पब्लिक सर्वेंट्स को पार्टी पालिटिक्स से या पार्टी पालिसी से, सिद्धांत से एलूफ होना चाहिये। उनकी बात, इस संबंध में शायद मैंने गलत समझी हो, लेकिन अगर उनका मंशा यही है कि उनको सोशलिज्म की ट्रेनिंग दी जाय तो सोशलिज्म के भी कई प्रकार हैं। एक सोशलिज्म हम चाहते हैं, दूसरा स्टेट सोशलिज्म और इसके अलावा भी एक गिल्ड सोशलिज्म और प्रकार का सोशलिज्म है। तो अभी तक हम यह नहीं समझ पाये कि किस प्रकार के समाजवाद की ट्रेनिंग वह उनको दिलाना चाहते हैं, और जबतक यह निश्चय न हो, तब तक यह आशा करनी कि हमको उन्हें ट्रेनिंग दिलानी चाहिये, उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और जिसे और सभी सदस्यों ने भी कहा, कोआर्डिनेशन के सिलसिले में है। मैं समझता हूं कि मिनिस्ट्री के स्तर पर भी कोआर्डिनेशन की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सूचना का बजट पेश किया और सूचना मंत्री दूसरे हैं जो सामने बैठे हैं। इसी प्रकार पी० डब्लू० डी० और ट्रांसपोर्ट का विभाग अलग अलग मंत्री के पास है। मैं समझता हूं कि उनको एक साथ होना चाहिये। सिविल सप्लाईज फैमीन और लैन्ड रेवेन्यू एक साथ होना चाहिये। एग्रीकल्चर और हार्टीकल्चर बदकिस्मती से हमारे पर्वतीय प्रदेशों के लिये अलग अलग है, मैं चाहता हूं कि उनका भी कोआर्डिनेशन किया जाय।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान मर्जड स्टेट के जो कर्मचारी हैं उनकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज स्टेट्स को मर्ज हुये ६ या ५ साल हो गये हैं, १९४९ में रामपुर, टेहरी गढ़वाल और बनारस के स्टेट्स मर्ज हुये थे लेकिन ६ साल हो चुके हैं और वहां के सिविल सर्वेंट्स का एब्जार्बशन अभी भी जारी है और अभी तक बहुत से कर्मचारी एब्जार्ब नहीं किये गये हैं खास कर शिक्षा विभाग में। वहां बहुत से टीचर्स परमानेंट एम्प्लाई हैं, चाहे वह प्राइमरी के हों, जूनियर हाई स्कूल के हों या हायर स्कूल्स के हों, वहां वह सब परमानेंट हैं, और यहां अभी तक एब्जार्ब नहीं हुये हैं। दूसरी बात यह कि जो एब्जार्ब हो चुके हैं उनके साथ समान नीति नहीं बरती गई। उनके साथ अगर मैं कहूं कि बेइन्साफी की गई तो उचित होगा, क्योंकि, जो लोग एब्जार्ब किये गये हैं, उनके बारे में डिपार्टमेंट ने ऐसा जी० ओ० और ऐसे रूल्स निकाले हैं जो कि डिस्क्रिमिनेशन उनके खिलाफ करते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपील करूंगा कि उन कर्मचारियों के साथ मर्जर होने के बाद अन्याय क्यों हुआ। कुछ को डिग्रेड किया गया, पीछे हटाया गया, जो डी० एस० पी० थे उनको इन्स्पेक्टर बनाया गया, जो डी० ओ० एफ० थे उनको रेंजर बनाया गया और प्रिंसिपल को असिस्टेंट मास्टर बनाया गया। छटनी के बारे में मुझे अब कुछ कहना नहीं है। मर्जर एग्रीमेंट के मुताबिक जो कर्मचारी सरकारलेना चाहती थी वह लिये गये और जिस ग्रेड में लेना चाहती थी उसमें वह लिये गये, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सीनियारिटी फिक्स करने में जो उनकी पुरानी सर्विस को काउन्ट नहीं किया गया इसमें क्या न्याय है ?

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट के कर्मचारियों के लिये भी वही पुलिस की ट्रेनिंग होती थी जो कि यहां के लोगों के लिये पुलिस ट्रेनिंग कालेज मुरादाबाद में होती थी। वही फारेस्ट कालेज देहरादून उनके लिये था जो कि यहां के लोगों के लिये था। तो इसमें हकां तक इंसाफ है कि एक ही कैडर के लोगों के साथ दो तरह का व्यवहार किया जाय जब कि उनकी ट्रेनिंग उन कालेजों से ही होती है। जो उन स्टेट के अन्दर सीनियर मोस्ट थे उनको जूनियर मोस्ट करके रखा गया है। मैं इसके विषय में एक उदाहरण देता हूं। एक सन् १९३६ के ट्रेनी हैं, जिन्होंने मुरादाबाद ट्रेनिंग कालेज से शिक्षा पायी है, लेकिन यहां के जो सन् ५० के ट्रेनी हैं, उनको उससे नीचे रखा गया है। इसमें यह क्या तरीका है ? यह उनके साथ एक ज्यादती है। मैं कह सकता हूं कि रामपुर, बनारस में वही हुआ होगा जो हमारे यहां हुआ है। इन तीनों स्टेट्स के एब्जा०

होने के बाद इन तीनों स्टेट के कर्मचारियों के साथ ज्यादती हुई है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन सरकारी कर्मचारियों के साथ भी वही व्यवहार किया जाय जो कि प्रांत में अन्य कर्मचारियों के साथ किया जा रहा है।

इसके अलावा टेहरी गढ़वाल में जो विद्या प्रसार ट्रस्ट वहां की कांस्टीट्युएन्ट असेम्बली ने बनाया था जोकि सावेरन बाड़ी थी उसके विषय में अभी तक तय नहीं हुआ है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि उसके विषय में जल्दी से तय किया जाय। टेहरी गढ़वाल का एक मंदिर ट्रस्ट का मसला है। मैं नहीं समझता कि ५,६ साल उसको हो गये हैं, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी, वह मसला अभी तक सरकार ने तय नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन सभी मसलों को जल्दी तय करने की कृपा करे।

श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस प्रसंग में हरद्वार में कुम्भ पर लगे टैक्स के संबंध में इस सदन में कुछ कहा जाता किन्तु श्री रामनारायण त्रिपाठी जी ने जो कुछ कहा है उसके लिये मेरा निवेदन यह है कि उनको उन घटनाओं का ज्ञान नहीं है। कल या परसों झारखंडेराय जी ने वहां पर हुई गिरफ्तारी के संबंध में एक कार्य स्थगन कार्य स्थगन प्रस्ताव भी रखा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जो मेला टैक्स लग रहा है, उसकी असल जिम्मेदारी प्रदेशीय सरकार पर नहीं है। मैं वहां की मेला कमेटी का मेम्बर हूं। मैं मेला कमेटी की पहली बैठक जो २१ जनवरी को वहां हुई थी, मौजूद था। जब वहां पर टैक्स का सवाल आया तो मैंने और हीरा वल्लभ त्रिपाठी ने जो एम० पी० हैं कहा था कि चूंकि यह अर्ध कुम्भ है इसलिये टैक्स नहीं लगना चाहिये, लेकिन हमको बताया गया कि ९ जनवरी को जो म्युनिसिपल कमेटी की बैठक हरद्वार में हुई थी उसने सर्व सम्मिति से यह मेला टैक्स स्वीकार गिया है। मैं यहां पर यह भी कह दूं कि म्युनिसिपैलिटी में ३० सदस्यों में से केवल १४ मेम्बर कांग्रेस के हैं और १६ मेम्बर गैरकांग्रेसी हैं। यह मेला टैक्स हरद्वार म्युनिसिपैलिटी ने सर्व सम्मिति से स्वीकार किया है। उसमें कुछ समाजवादी मेम्बर भी हैं जो कि प्रजासमाजवादी पार्टी के थे, अब वह डा० लोहिया जी की पार्टी के लोग हैं। आप लोग अगर उसकी कार्यवाही को देखे तो जानेंगे कि यह प्रस्ताव मेले के टैक्स का सर्व सम्मति से वहां पर स्वीकार किया गया था। इसलिये जिस समय हमने २१ जनवरी को यह चाहा कि मेला टैक्स के संबंध में कुछ विचार करें तो हमको यह बतलाया गया कि उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं रहती है क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया है। इसके बाद जो मेम्बर इसके पक्ष में थे उन्होंने राजनैतिक कारणों से उसका विरोध शुरू किया। मैं चाहता हूं कि रामनारायण जी त्रिपाठी अपने उन मित्रों से, जिन्होंने म्युनिसिपैलिटी में टैक्स के पक्ष में वोट दिया, उनसे स्पष्टीकरण मांगें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद वहां के एक मेम्बर ने जो कि स्वतंत्रत मेम्बर थे अनशन करना शुरू किया। अनशन सुनकर मैं यहां से हरद्वार गया। वह २२ तारीख को शुरू होने वाला था। मैंने उस सभास्थल पर जाकर उनसे यह चाहा कि हमको कुछ बोलने का समय दिया जाय ताकि इस संबंध में असल बात जनता के सामने आजाय लेकिन इस पब्लिक जलसे के संयोजकों ने मुझसे पूछा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने कहा कि मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो लोग यहां विरोध कर रहे हैं म्युनिसिपैलिटी में उन्होंने ही सर्वसम्मति से इसे पास किया है। तो इस पर उन्होंने मुझे बोलने की सुविधा नहीं दी। २९ फरवरी को हमने कांग्रेस की ओर से एक जलसा किया कि जनता को गुमराह किया जा रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा जो म्युनिसिपैलिटी में इस प्रकार का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर चुके हैं। हरद्वार में पिछले डेढ़ या दो वर्ष में इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई और जो वहां हमारे पक्ष के लोगों ने जब यथार्थवाद कहना शुरू किया तो समाजवाद पार्टी के लोगों ने जो कि आज गिरफ्तार है,

[श्री दीनदयालु शास्त्री]

जिनमें समाजवादी युवक नेता भी शामिल हैं, हमारे जलसे को भंग करना चाहा। वे काफी आदमियों को लेकर वहां पहुंच गये और मैं बोल रहा था तो मेरे सामने दो एक आदमी खड़े हो गये।

आज यहां समाजवादी दल की ओर से यह कहा जाना कि उस टैक्स की जिम्मेदारी सरकार पर है, गलत है। अगर सरकार टैक्स लगाती तो उनका आन्दोलन कारगर हो सकता था। सन् ५० में जब मेला टैक्स पहली बार लगा था तो वहां की म्युनिसिपैलिटी में जिसमें कांग्रेस के चेयरमैन थे और बहुमत था यह चाहा था कि जिस रूप में टैक्स लगा उस रूप में न लगे और उसकी मात्रा भी कम रहे। इस प्रकार के टैक्स के बारे में आप सन् ५० की मेला रिपोर्ट देख सकते हैं। मेले के क्षेत्र हरद्वार और ऋषीकेष दोनों हैं। हरद्वार की म्युनिसिपैलीटी ने मेले के टैक्स को सर्वसम्मति से स्वीकार किया किन्तु ऋषीकेष की म्युनिसिपैलिटी ने उसे स्वीकार नहीं किया और ऋषीकेष की चुंगियों पर टैक्स नहीं लगता है। तो मैं समाजवादी भाइयों से यह कहूंगा कि यदि वे सत्य और अहिंसा में विश्वास रखते हैं तो सत्य को सत्य के रूप में कहें। उसे बदल कर जनता को गुमराह करने का प्रयत्न न करें।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि शासन का विकेंद्रीकरण करने के लिये वह तहसीलों में एस० डी० ओज० का हैडक्वार्टर बनाना चाहते हैं। उसका मैं स्वागत करता हूं। जहां से मैं आता हूं, रुड़की में ऐसा है ही। यदि वे शासन के लिये ऐसा समझते हैं तो न्याय के लिये भी ऐसा करना चाहिये। क्या यह नहीं हो सकता कि हाई कोर्ट की बैठक इलाहाबाद और लखनऊ में ही क्यों हो, क्यों नहीं उसकी एक शाखा पश्चिमी जिलों के लिये वहां खोल दी जाती जिससे वहां के लोगों को न्याय सुविधा से मिल सके। हरद्वार में एक रैजीडेंट मैजिस्ट्रेट रहता है और यद्यपि उनके पास काम काफी है, फिर भी आप वहां देखेंगे कि प्रांतीय और भारतीय सरकार के मंत्रियों की संख्या १०० से भी अधिक हर साल आने वालों की हो जाती है और उन मैजिस्ट्रेट का ज्यादा समय उनके स्वागत इत्यादि में लग जाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि हरिद्वार की स्थिति और सौभाग्य को देखते हुये एक मैजिस्ट्रेट की वहां नियुक्ति की जाय ताकि न्याय में देर न हो। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सामान्य प्रशासन के संबंध में प्रस्तुत अनुदानों के लिये मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में जैसा कि उन्होंने कहा है, सामान्य प्रशासन ही वह कीली है जिसके ऊपर शासन का पूरा चक्र घूमता है। चाहे प्रदेशीय स्तर पर या कमिश्नरी के या जिले के स्तर पर हो, हमारा प्रशासन ऊपर उठा है। परन्तु जनता को ऐसा लगने के लिये आवश्यक है कि शासन के लिये उत्तरदायी हमारे जो लोग हैं, उनकी जनतांत्रिक मनोवृत्ति में वृद्धि हो वह चाहे सोशलिस्टिक पैटर्न की विचारधारा हो हो पर सबमें जनतांत्रिक मनोवृत्ति होना आवश्यक है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एस० डी० एम० के हैडक्वार्टर डिवीजन में होने की, पी० सी० एस० के अधिकारियों में एक फर्स्ट क्लास कैडर बनाने की इत्यादि बातें कहीं, मैं इनका स्वागत करता हूं।

(इस समय ३ बजकर ४२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

अब सामान्य प्रशासन विभाग के आंकड़ों के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कांकड़ों के इकट्ठा करने में और पेश करने में अनुमान के स्थान में वास्तविकता का अधिक स्थान मिले तब ही सरकार को और जनता को इससे लाभ हो सकता है। विभिन्न शासकीय विभागों में कार्य अवश्य बढ़ रहा है और ऐफीशैन्सी भी बढ़ रही है, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि कार्य को देखते हुये ऐफ़ीशैन्सी संतोषप्रद बढ़ रही है। अभी श्री जयेन्द्रसिंह जी ने कहा कि विलीन रियासतों के कर्मचारियों का स्थायीकरण व दीर्घीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं। अक्टूबर, ५४ में जो जी० ओ० सरकार की ओर से जारी

हुआ था उसके बारे में यहां कई बार प्रश्नों के द्वारा भी सरकार का ध्यान दिलाया गया पर मुझे मालूम है कि आज तक भी रामपुर के शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों के कर्मचारियों की सीनियारिटी तय नहीं हो पायी है। जबकि उसे लगभग २ वर्ष हो जावेंगे। यह भी ज्ञात हुआ है कि कुछ लोगों से तो कहा जा रहा है कि तुम्हें वेतन अधिक मिल गया है इसलिये वापस करो। यह ध्यान देने की बात है।

माननीय गेंदा सिंह जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन में श्री राधा कृष्णअग्रवाल की नियुक्ति के बारे में कहा कि चूंकि वह प्रांतीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे इसलिये उनको ऐतराज है। लेकिन यू० पी० कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी होना उनके लिये कौनसी अयोग्यता है? माननीय नफीसुलहसन जी यहां स्पीकर थे और पहले एक राजनैतिक दल के मेम्बर थे और उसके बाद कांग्रेस में थे उनके संबंध में क्यों नहीं यह आशंका उन्हें हुई? जब उनके लिये वह कुछ नहीं शक करते तो फिर राधा कृष्ण जी के लिये क्यों करते हैं?

सूचना विभाग बहुत आवश्यक है जिससे कि सरकार के कार्य जनता को ज्ञात हों। परन्तु जितना विस्तार इस विभाग का हो रहा है, उसके हिसाब से प्रचार बहुत कम है। उन्हें लिटरेचर और रेडियो के अलावा और भी कार्य करने हैं जिनसे जनता लाभ उठा सके। जो पुस्तिका यहां इस विभाग की ओर से बंटी है उसका मैं एक वाक्य पढ़ना चाहता हूं उसमें लिखा है कि "वह राज्य के प्रहरी के रूप में इस बात की दृष्टि रखता है कि ऐसी विचारधारायें न पनपने पायें जो राज्य और समाज को मूलोच्छेद करती हैं। इसके लिये सरकार का प्रचार विभाग नियंत्रण के साधनों का उपयोक करता है।" परन्तु मेरे समक्ष इस समय दो अखबार हैं। आपकी आज्ञा से मैं उनमें जो कुछ छपा है उसको पढ़ देना चाहता हूं। यह रामपुर का एक अखबार है और इसमें प्रकाशित कुछ शेर इस प्रकार है:—

कुछ देर नर्म नर्म इशारों से काम ले,
संगीनिये सिफात का मौका अभी नहीं।

इसके जरिये से शायर साहब यह फरमाते हैं कि अभी तलवार के जौहर दिखाने का मौका नहीं है इसलिये नर्म नर्म इशारों से काम लेना चाहिये। आगे वे कहते हैं:—

पहरे नहीं रहेंगे जबानों पै एक दिन,
इजहार वारदात का मौका अभी नहीं।

उसी तरह की बात वे इसमें भी फरमा रहे हैं। एक दूसरा अखबार भी यह लिखता है—
कफस अपना लिया मैंने, चमन ठुकरा दिया मैंने।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई चीज ऐसी है जिस की तरफ आप गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रा करना चाते हैं तो उसकी तरफ इशारा करके आप आगे बढ़े तो ठीक होगा।

श्री कृष्णशरण आर्य—संकेत मात्र से मैं शेरों को सरकार के सामने रख कर यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रकार के अखबारों की ओर भी निगाह रक्खें जो इस प्रकार से विषैला प्रचार ही नहीं बल्कि राष्ट्र का विरोध करते और आज भी चल रहे हैं न केवल चल रहे बल्कि उनको सरकारी विज्ञापन भी प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि प्रदेश की दृष्टि से यह बहुत बड़ी चीज नहीं, लेकिन प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा जो १५० वर्ष से एक सम्प्रदाय विशेष की तानाशाही हुकूमत के अन्तर्गत रहा है आज भी जहां किसी न किसी रूप में उसका प्रभाव बाकी है और जहां के पुराने शासक तीन तीन करोड़ रुपया पाकिस्तान को भेजते हों, सोना चांदी बेचकर वहां पर भेजते हों वहां पर ऐसा प्रचार होता रहना कहां तक उचित है।

श्री अध्यक्ष---सावधान। आप कृपा करके कोई ऐसा आक्षेप न कर सकेंगे जो किसी पहिले के रूलर के खिलाफ हो क्योंकि यह नियम के विरुद्ध है।

श्री कृष्णशरण आर्य---बहुत अच्छा। मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर इस तरह का प्रचार होता है और वह सरकारी पैसे के द्वारा होता है, सरकारी सहायता से होता है। मैं चाहूंगा कि सरकार का सूचना विभाग इस ओर सतर्कता से ध्यान दे।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मत नहीं कि हमारे देश का सामान्य प्रशासन ऐसे ढंग पर चल रहा है जो कि दूसरे प्रदशों के लिय ईर्षा की चीज है और जैसा मैंने उस दिन कहा था कि उसका एक स्वाभाविक परिणाम यह दखने म आता है कि हमारे आसपास की सरहद क,जो अन्य प्रदेश के भाग ह व हम से मिलने को आतुर हो रहे हैं, उसके लिये वे सभायें कर रह हैं प्रस्ताव पेश करते ह और आन्दोलन करते हैं। यह इस चीज का स्वयं प्रमाण है कि हमारी उन्नति हो रही है। जब अपने चारों ओर के काम को मैं देखताहूं तो सारे क्षेत्रों में भूचाल सा आया दिखाई देता है। सभी मिनिस्टर अपनी शक्ति से ऊपर काम करते हैं जिससे सारी हवा बदल गयी है। देश में एक आशा, उत्साह और उल्लाह का वातावरण बन गया है। यह सब बातें अपनी जगह पर सही हैं लेकिन उसमें एक थोड़ी सी किन्तु मैं लगाना चाहता हूं और अपने पुराने राजनैतिक जीवन के अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि वह किन्तु बहुत आवश्यक और सही है। मैं समझता हूं और मेरा विश्वास है कि इस हमय हमारे देश का राजनीतिक जीवन जिन दक्षों के हाथों में है, अगर वैसा ही कुछ दिन और रहा तो परिणाम बहुत अच्छा होने की सम्भावना है। पर साथ ही यदि मेरे इस संकेत पर ध्यान दिया गया तो उधर भी जमाना एक करवट बदल सकता है और कुछ न कुछ सुधार हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं जिले के शासन के स्तर की बात। जिले के शासन के स्तर के सम्बन्ध में मैं अनुभव कर रहा हूं कि अभी अफसरों में वह आत्मीयता आम जनता के साथ नहीं उत्पन्न हुई जिस आत्मीयता को आम जनता, नीच की जनता उनसे आशा करती या चाहती ह। वह आत्मीयता कम स कम मुझ दिखाई नहीं देती। मैं अनुभव करता हूं कि एक दूर गांव का चित्तू चमार तथा झि गई पनिका उतनी आसानी से अपने जिलाधीश या पुलिस कप्तान के पास नहीं पहुंच पाता। उसे भरोसा नहीं है। जाता है, और ठोकरें खाकर चला आता है और अपनी बात नहीं कर सकता, उसका खेत छीन लिया जाता है। उसको भरोसा नहीं है कि वह अपने खेत छीनने वाले के खिलाफ कुछ कर सकेगा। जांच के चक्कर में उसका मामला पड़ जाता है और उस गरीब की कोई सुनवाई नहीं हो पाती। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और समझ कर कह रहा हूं।

एक बात और है। जो हमारे अफसरान हैं मैं उनकी कोई शिकायत नहीं करता मैं उनसे मिल कर काम करता हूं, उन पर मेरा विश्वास है, वह भी इसी देश के निवासी हैं और जो डायरेक्शन दिये जाते हैं उसका जहां तक होता है पालन करते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसके कारण जनता का जन विश्वास उनके प्रति उत्पन्न नहीं हो पाता है। सब से पहले मैं उनकी वेशभूषा के सम्बन्ध में कहूंगा। उनका पहनावा वही है जो अंग्रेजों के वक्त में था। वही सूट, वही बूट वही टाई वही हैट। हमारे मिनिस्टर तो दूसरे ढंग के कपड़े पहनें, लेकिन हमारे जिलाधीश व कप्तान उसी ढंग के कपड़े पहनें। हमारा किसान, हमारा गरीब व नीचे का आदमी नहीं देखता कि कोई परिवर्तन आया है। वह यही समझता है कि जो अवस्था अंग्रेजी जमाने में थी, जैसे एस० पी० या डी० एम० पहले के थे वही आज ज्यों के त्यों हैं। तो उनको वेशभूषा, व्यवहार और बर्ताव में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया जिससे जनता में विश्वास उत्पन्न हो और जब तक जन विश्वास उत्पन्न नहीं होता, तब तक चाहे डेमोक्रेसी हो या किसी प्रकार का शासन हो वह सरकारी

और कल्याणकारी नहीं हो सकता। इसलिये निहायत गम्भीरता और अदब के साथ अपने सुदक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपका ध्यान इस ओर होना चाहिये। जो हमारे जिलाधीश या जिले के स्तर के अन्य कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं वे वैसे ही सिगरेट पीते हैं, क्लब में जाते हैं, फ्लश और जुआ खेलते हैं वक्त बरबाद करते हैं। जवाहरलाल जी ने नारा दिया है कि 'आराम हराम है,' लेकिन मैं कहूं कि अधिकांश ऐसे हैं जो काम को हराम समझते हैं। उनमें वह मूड नहीं आया, वह धुन नहीं समाई, वह लगन नहीं लगी। हम एम० एल० एज० १००, १०० मील पैदल चलते हैं लेकिन हमारे डी० एम० और एस० पी० पैदल नहीं चल सकते। सवारी पर ही जायेंगे। चाहे भारी से भारी संगीन बात हो जाय, मातहतों को ही भेज देते हैं। अगर कहा जाय कि आप देखें तो जवाब मिलता है कि इतने मामले हैं हम कहां-कहां पहुंच सकते हैं। मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार पंचवर्षीय योजनाएं बना कर निर्माण, कार्यों को हम करने जा रहे हैं उसी तरह इस ओर भी कुछ होना चाहिये मैं जानता हूं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं बन सकता––कोई विधान नहीं बन सकता––क्योंकि यह तो हृदय की चीज है लेकिन ऊपर से कुछ ऐसे डायरेक्शंस होने चाहिये, जिससे कि इन बातों का प्रचार होवे, ये भावनायें बढ़ें। इस तरह करने से जनता में विश्वास उत्पन्न होगा। अभी जनता यह देखती है कि उसी प्रकर की बातें चल रही हैं जैसी हुआ करती थीं।

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाऊंगा कि आपको बहुत अनुभव है, आप बड़े विद्वान हैं, देश देशान्तर की शासन पद्धतियों की आपको जानकारी है, अतएव वे इस प्रदेश में ऐसा तरीका निकालें कि इनकी मनोवृत्ति बदलें। हमारा देश ऐसी प्रवृत्ति का है जो दो बातें नहीं देखना चाहता। जैसे कि दूसरे देशों के लिये लोग कहते हैं कि वहां प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में फर्क होता है। और अकसर लोग कहते हैं कि किसी को प्राइवेट लाइफ पर ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन हमारे देश में व्यक्तिगत आचरण और जीवनचर्या का बहुत बड़ा असर हमेशा से रहा है, यहां कोई यह नहीं कह सकता कि कोई प्राइवेट लाइफ में एक तरह से रहता है तो वह पब्लिक लाइफ में दूसरी तरह से रह सकता है। उसका असर अवश्य पड़ता है। इसलिए हमारी प्राइवेट लाइफ भी ऐसी होनी चाहिए जो पब्लिक लाइफ के अनुकूल हो। आज हमारे नियोजन अधिकारी सूटबूट पहिन कर चर्खे और सूत कातने का उपदेश देते हैं और बाटा और फ्लेक्स के जूते पहनने वाले जाकर देहात में चर्मकला और चमड़ा उद्योग की शिक्षा देते हैं मैं नहीं समझ सकता कि उन का क्या असर वहां पड़ सकता है। मुमकिन है मेरी बात को आदर्शवादिता की बात मान ली जाय और कहा जाय कि यह सम्भव नहीं है, लेकिन मुझे तो विश्वास है कि इस तरह के आदर्श को कार्य रूप में लाना सम्भव है। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बातों की चर्चा हो और इस तरह की बराबर टीका टिप्पणी हुआ करे।

एक बात और मुझे अपने यहां के कुछ सबडिवीजन्स के बारे में कहना है। इस सम्बन्ध में मैं अपने अनुभव के आधार पर कहूंगा कि हमारे मिर्जापुर में दुद्धी और राबर्टसगंज २ तहसीलें हैं और यह इलाका करीब १३०–१४० मील का पड़ता है। पहले दोनों का एक सब डिवीजन था लेकिन अब २ कर दिए गए हैं, और अब फिर ऐसा विचार चल रहा है कि फिर एक ही कर दिया जाय। इसलिये जिस प्रकार का संकेत बजट में है उससे हमें भय है कि फिर एक न कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि इस तरह से डिसेन्ट्रेलाइजेशन करना चाहिए और जैसा समय हो, और सरकार की जैसी शक्ति हो, उसके अनुसार यह काम किया जाय। बस यही चन्द शब्द मैं कहना चाहता था।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, कल और आज जब माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में अपनी मांगों को पेश कर रहे थे, उस सम्बन्ध में उन्होंने जो भाषण दिया उस समय मैं यह विचार कर रहा था कि यह हमारे सूबे का सौभाग्य है कि विद्वता और आदर्श के साथ व्यवहारिकता प्रैक्टेबिलिटी का हमारे मुख्य मंत्री जी में काफी समन्वय हुआ है। यह इस प्रदेश के लिए और यहां के शासन के लिए बड़े सौभाग्य की बात है मैं उनके अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं इसका कारण यह नहीं है कि मैं यहां के प्रशासन को दोषपूर्ण नहीं समझता। मैं स्वयं समझता हूं कि हमारे यहां के प्रशासन में काफी खामियां और कमजोरियां हैं और अब जब कि हमारा प्रदेश, आपको मालूम है कि पिछली लड़ाई से पहले, जहां दस बारह करोड़ रुपया खर्च किया करता था, वहां अब १ अरब ४७ करोड़ खर्च कर रहा है। हमारे सूबे को हमारे इन प्रशासकों की जो मशीनरी मिली है उसी के द्वारा हमें यह व्यय करना है और मैं समझता हूं कि वह समय भी समीप आ रहा है कि जब हमारा प्रदेश इससे भी कहीं अधिक धनराशि व्यय करेगा। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश में या हमारे देश में हिंसात्मक क्रान्ति नहीं हुई, और हमारे देश में आज भी वही प्रशासकों की मशीनरी है जिसका आजादी से पहले यहां उपयोग होता था। आज जो हमारे मंत्री जी हैं, मुख्य मंत्री जी हैं, या जो सदस्यगण हैं उन्हीं प्रशासकों के हाथों से उनसे संघर्ष होता था, जेल में जाना पड़ता था, अनेक तरह से उनसे विरोध रहता था और आज भी वही प्रशासक हमारे यहां चले आते हैं लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इन प्रशासकों ने, जब नई परिस्थितियां आईं तो अपने को उसमें भी उपयुक्त साबित करने का प्रयत्न किया। लेकिन यह नहीं भूल जाना चाहिये कि आज भी, जो हमारे देश की मांग हैं, हमारा मंत्रिमंडल उस तक पहुंचने में असमर्थ है। आज भी हमें सारे ढांचे को परिवर्तित करना है।

इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब कि आज इतने दिन सरकार सम्हाले हो गये हैं, तो उन्हें सारे प्रशासकों की नियुक्तियां, उनके भत्ते, उनकी उन्नतियों की पद्धति, सारी चीजें जो सर्विसेज में सम्मिलित हैं उनको परिवर्तन करने के ऊपर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज जो गरीब जनता की धनराशि आपको सुपुर्द की जा रही है, जो आप को नये नये कर लगाने की अनुमति आपको यह सदन दे रहा है, वह इसी विचार से दे रहा है कि आप उसके एक एक पैसे का ख्याल करेंगे। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई जब कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का एलान किया कि कुछ ऐसे तरीके घोषित किये हैं कि किस तरह से प्रशासन में एकोनमी की जा सके। लेकिन मुझे खेद होता है कि जब मैं देखता हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आठ-आठ रिपोर्टें हो चुकी हैं और सदन के सामने प्रस्तुत हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस बात का निर्णय नहीं किया कि आखिर जो सुझाव उसमें दिये गये हैं उसके सम्बन्ध में प्रशासन का क्या दृष्टिकोण है। वह उस सम्बन्ध में आखिर क्या करना चाहते हैं। मुझे याद है एक, दो वर्ष पहले एक इकानामी कमेटी बनी थी यहां पर। उसने आखिर क्या किया ? यह सदन को आज तक नहीं मालूम। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जब कि हम अपने देशवासियों के जीवनस्तर को ऊंचा करने के लिए नयी नयी योजनायें देश के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें से, उस धनराशि में से अपव्यय न हो।

एक बात है, जो कुछ भी कहा जाय प्रशासन के सम्बन्ध में, इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे प्रदेश का प्रशासन ऐसा है जिसके लिए हमको गौरव भी है। लेकिन साथ ही इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि हमारे यहां बहुत से कर्मचारी वर्ग ऐसे हैं जो सारी चीजों में स्टेट्स को मेन्टेन करना चाहते हैं। आज उनमें वह भावना जो देश के निर्माण के सम्बन्ध में होना चाहिए आज उस निर्माण की भावना में कमी है।

आज उनमें यह बात पैदा करनी है। मैं समझता हूं कि जहां तक विधान सभा के सदस्यों का सम्बन्ध है, उनके उद्देश्य में, उनके लक्ष्य में और प्रशासन के जिन लोगों के हाथ में है, उनके लक्ष्य में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। लेकिन उनको अधिक समीप आने की आवश्यकता है। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि वह एक सामंजस्य और जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक लक्ष्य को प्राप्त करने की, वह नहीं है। तो मैं समझता हूं कि कुछ ऐसी व्यावहारिकता लानी चाहिये, जिससे यह भी अनुभव करें, विधान सभा के सदस्य भी अनुभव करें कि जो चीजें हम अपने मंत्रिगण के समने प्रस्तुत करेंगे वह कम से कम उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे और उनको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि इसकी कमी है। हमें एक ख्याल होता है कि जो चीज हम रखते हैं, उस पर उतना विचार नहीं किया जाता, जिस दृष्टि से उस पर विचार होना चाहिए। मेरे पास समय कम है। इसलिये मैं दो चार सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं।

एक तो माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब चूंकि औद्योगीकरण की चीजें सामने आगयी हैं प्रदेश में आप को नये-नये काम भी सरकार की ओर से खोलने पड़ेंगे, तो यह जो आप की पद्धति है, आप सिविल सर्विसेज को औद्योगीकरण के लिए भी भेज देते हैं, उनको इसके लिए भी उपयुक्त समझते हैं इसमें आपको परिवर्तन करना चाहिये। प्राविन्शियल इंडस्ट्रियल सर्विस के नाम से ऐसी सर्विस एक खोलनी चाहिये जिसमे प्रदेश के अनुभव प्राप्त व्यक्ति जिनको उद्योग का कुछ अनुभव प्राप्त हो, आ सकें और उनसे हम काम ले सकें। तो मैं समझता हूं कि आपकी बहुत सी कठिनाइयां उद्योग के मामले में हट जायंगी।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि आम लोगों को यह शिकायत है कि जो पत्र वे भेजते हैं उसका जवाब नहीं मिलता---कभी तो मिलता ही नहीं और कभी देर से मिलता है। मैं समझता हूं कि इस ओर प्रयत्न होना चाहिये कि पत्रों का उत्तर दिया जाय। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि आज पत्रों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है पहले से लेकिन फिर भी हमको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे समय पर उत्तर मिल जाय।

अब मैं सूचना विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह प्रदेश का सौभाग्य है कि सूचना विभाग के मंत्री त्रिपाठी जी जैसे योग्य व्यक्ति हैं उन्होंने उसको सुधारने का बहुत कुछ प्रयत्न भी किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि सूचना विभाग के सारे दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, अगर आप अपनी सारी योजनाओं की सफलता चाहते हैं, जनता में निर्माण कार्यों के लिये भावना पैदा करना चाहते हैं। आपका जितना भी साहित्य पहुंचता है वह ऊपर ही रह जाता है, सारी जनता तक नहीं पहुंचता, जब कि उसको पहुंचना चाहिये तो उसके लिये आवश्यकता इस बात की है कि आप उसके साहित्य मे काफी परिवर्तन करें। जिस प्रकार रूस में होता है उससे हम काफी उदाहरण ले सकते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक थोड़ी सी कमजोरी है जिसको मैं सामने रख करके ही अपना भाषण इस सदन के सामने देना चाहूंगा और वह यह है कि जब मैं उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर चला जाता हूं और अपने प्रदेश की बुराई बाहर सुनता हूं, तो मुझे वह बर्दाश्त नहीं होता। चाहे इस प्रदेश के अन्दर हमारी पार्टी की हुकूमत हो या न हो और इसी उद्देश्य से हमारे प्रदेश में कोई ऐसी बातें न हो जिससे हम लोगों की बदनामी प्रदेश में हो, या केन्द्र में हो। हमें इसे बात की कोशिश करनी चाहिये कि अपने प्रदेश की जो व्यवस्था है वह ठीक तरह स

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

रहे और इसी उद्देश्य से हम जो कुछ भी सुझाव इस सदन के सामने देना चाहते हैं वह सिर्फ इस उद्देश्य से कि हम जो बातें प्रदेश में या बाहर कहते हैं उसमें हम झूठे न साबित हों जायं। अध्यक्ष महोदय यह बहुत बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में बड़े-बड़े नेता हैं जिन्होंने हमारे स्वतन्त्रता की लड़ाई में साथ दिया था, अगर उनमें कुछ कमी हो, तो हम उन की शासन व्यवस्था की कड़ी आलोचना कर सकते हैं और सदन के सामने रख सकते हैं, अगर उससे हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति किसी तरह से हो सके। पर उससे ही सारे उद्देश्य की पूर्ति होने वाली नहीं है। इसलिये इनकी जो खराबियां हैं उन्हें तो हम अवश्य बतायेंगे और इस उद्देश्य से बतायेंगे कि उन्हें दूर किया जाय। पर साथ ही साथ जो हम और सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी को दे सकें, उन्हें देने का हम लोग प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने एक दिन भी कहा था कि डैमोक्रेटिक ट्रेडीशन में हमारा उत्तर प्रदेश कभी पीछे नहीं रहा। सब से पहले मैं यह कहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इलेक्शन की चर्चा की और उसके लिये कुछ लाख रुपया मांगा कि इलेक्शन में रुपया खर्च होगा तमाम व्यवस्था करने के लिये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आज यह अवश्य कहूंग कि अगर प्रजातन्त्र को कायम रखना है तो यह साफ-साफ एलान उनके जरिये से आज हो जाना चाहिए प्रदेश के अन्दर जो हमारे चुनाव होंगे अगले उन चुनावों में किसी तरह से भी आफिशिल इंटर फियरेंस या कोई ऐसी किस्म की बातें, नहीं होने पायेंगी। कोई सरकार की गाड़ियां, इस्तेमाल नहीं की जायंगी, कोई सरकार के मिनिस्टर, सरकारी खर्चे पर एलेक्सशन का दौरा नहीं करेंगे, यह बात साफ साफ आज एलान हो जानी चाहिये। हम चाहते हैं कि मिनिस्टर्स लोग जावें, दौरा करें, लेकिन जब वह एलेक्शन के वक्त जाते हैं अध्यक्ष महोदय, उस वक्त जरा मुश्किल सी आ जाती है हमारे सामने कि हम क्या करें उनका सम्मान करें, या विरोध। वह हमारे मित्र हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। पर जब वह पार्टी के काम से जाया करें, उस वक्त इस बात की कोशिश अवश्य करें कि सरकार की मोटरें का इस्तेमाल न करें, सरकार के लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल न करें, सरकार के खर्चे और भत्ते वगैरह को छोड़ दें, तो एक बड़े भारी डमोक्रेटिक ट्रेडीशन की बुनियाद पड़ जायगी। दूसरे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी जब यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह एलान किया है तो अन्य प्रदेशों के मुख्य मंत्री यह सोचेंगे कि उनके यहां भी यह चीज होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं साथ साथ यह भी चाहूंगा कि जो एलेक्शन हो हमारे प्रदेश के अन्दर, वह सब एक साथ होने चाहिए। वह अलग अलग नहीं होने चाहिए कि एक महीने के अन्दर गोरखपुर में हो, दूसरे महीने में पश्चिमी जिलों में हो और तीसरे महीने में पवर्तीय इलाकों में हो। इससे बड़ा गड़बड़ी पड़ती है। जिस वक्त इनके नतीजे एलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे उस वक्त सारे प्रदेश के एक साथ पहुंचें नहीं तो इससे एक जगह कोई जीत जाता है तो दूसरी जगह उसका बड़ा डीमारेलाईजिंग एफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब जगह एक साथ एलेक्शन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहा। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने इस बात को साफ-साफ रखा कि हम सरकार का काम तो अवश्य करेंगे लेकिन किसी पार्टी के प्रचार को हम लोग नहीं करेंगे यह हो सकता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट यह कह रही है, कांग्रेस गवर्नमेंट वह कर रही है ऐसा कहा जाय, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि यह तो साफ बात है। आखिर जनता ने कांग्रेस कवर्नमेंट को बैठाया है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने तो किया ही। लेकिन हम इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट से अवश्य यह चाहते हैं कि वह हमारे उत्तर प्रदेश की जो असलियत है, उसकी जो खूबियां हैं, उनका तो सारे

उत्तर प्रदेश के अन्दर प्रचार करें हीं कि हमने इतनी नहरें खोद डालीं, इतने स्कूल खोले, इतने सेंटर्स खोल दिए, केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा। हमारे प्रदेश की जो बहुत सी खूबियां हैं उनका भी वह प्रचार करे। मैंने देखा। इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट के इतने बुलेटिन निकले, लेकिन इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट ने कभी इस बात को जाहिर करने की कोशश नहीं की कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है कि जहां की पब्लिक एकाउन्ट कमेटी का चेयरमैन एक अपोजीशन पार्टी का मेम्बर है। यह कोई छोटी बात नहीं है। सारे हिन्दुस्तान की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटियों के चेयरमैन की एक कान्फरेंस दिल्ली में हुई। वहां जब मैंने इस बात को कहा तो वह चकित हुए। ब्रिटिश पार्लियामेन्ट के अन्दर जो एक पद्धति इसकी कायम हुई उस पद्धति पर चलने वाला उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है। हमारे यहां उनकी चिट्ठियां अब भी आती हैं और वह पूछते हैं कि फलां काम किस तरह से होता है, फलां कमेटी किस तरह फंक्शन करती है। तो हम तो इस बात को खुद कहते हैं कि हमारा प्रदेश कई मानों में बहुत अच्छा है और इसका प्रचार होना चाहिए। यह नहीं कि कहीं आप फावड़ा लेकर खड़े हो गए और फोटो खिंचवा रहे हैं, उसकी तस्वीर इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट ने छाप दी। इससे देश नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ यह भी है कि आपके प्रोजेक्टर्स जाते हैं गांवों में, वहां पब्लिक खड़ी रहती है सिनेमा देखने के लिए, लेकिन आपका प्रोजेक्टर ठप पड़ जाता है। लोग वहां इतनी उत्सुकता से देखने को आते हैं तो आपका प्रोजेक्टर ही खराब हो जाता है। मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि प्रोजेक्टर्स वगैरह सारे ठीक करवा दें। उनमें कुछ गड़बड़ हो तो उन्हें दूर करने की कोशिश करावें। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि आप हम लोगों को संभलने का मौका तो दें। स्टैन्डिंग कमेटीज को डिपार्टमेंट्स के सारे कारनामों में जाने का मौका तो दें। वह जाकर देखें उनको समझें और उनकी जो खराबियां हों उनको आपके सामने लावें। किस तरह से ऐडमिनिस्ट्रेशन चलता है, मुझे दुःख है, हम में से बहुत इस ऐडमिनिस्ट्रेशन की बात को समझ नहीं सकते हैं? फाइनेंस की बातों को भी नहीं समझ सकते हैं और मैं तो अपने को खुशकिस्मत समझता हूं कि मैं कुछ ऐसी कमेटियों में हूं कि जहां जाकर एक अध्ययन के रूप में मुझे कुछ जानने का मौका मिलता है। आंकड़े तो मैंने नारायणदत्त जी और परिपूर्णानन्द जी के लिये छोड़ दिये हैं लेकिन मैं बड़ा प्रक्टिकल सा समझता हूं अपने को। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की व्यवस्था कर दें कि स्टैंडिंग कमेटीज ने हमारे लेजिस्लेचर के जो मेम्बर्स हैं उनको डिपार्टमेंट्स के अन्दर जाकर देखने का मौका मिल जाय तो बहुत अच्छा हो।

एक बात पहले यह कही जाती थी कि विरोध करो, कमिश्नर की पोस्ट नहीं होनी चाहिये। मैं एक एकोनामी कमेटी का मेम्बर हूं और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हमारे पास है। जब हमने उसकी वर्किंग मशीनरी देखी तो मैं इस बात पर कंविन्स्ड हूं और मैंने अपने नेता जी से भी इस बात की इजाजत ले ली है कि आज हम इस प्लानिंग के युग के अन्दर जब डिसेन्ट्रलाइजेशन हो रहा है दस कमिश्नर्स की पोस्ट का रहना बहुत आवश्यक है। एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट के फेवर में तो नहीं हूं लेकिन कमिश्नर की पोस्ट का रहना आज के युग में आवश्यक हो गया है। और मैं समझता हूं कि अगर कोई बात हमने पहले कही भी हो तो हमें अपने तजुर्बे को सामने रखना चाहिये। खराबियां तो ऐडमिनिस्ट्रेशन में होती हैं और हैं भी जिसे कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने माना है और इसीलिये कम्प्लेन्ट्स आफिसर उन्होंने रखा है। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान देगी और हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन अगले साल और भी अच्छा होगा।

†श्री वीरसेन—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रथम तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज बहुत दिनों के बाद मुझे बोलने का मौका मिला। दूसरे मैं माननीय मुख्य मंत्री को हृदय से बधाई देना चाहता हूं आज उन दो घोषणाओं के लिये जो उन्होंने की। पहली घोषणा तो उन्होंने यह की कि अभी तक हरिजनों को उम्र में जो तीन साल की छूट दी जाती थी वह बड़ा कर अब पांच साल कर दी गयी है। दूसरी घोषणा, जो मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, और जिसका सारे प्रदेश की हरिजन जनता हृदय से स्वागत करेगी, उन्होंने यह किया कि अभी तक जो तीन मौके मिलते थे इम्तहान में बैठने के और उसके बाद नहीं, उसके बजाय अब यह कर दिया है कि जब तक एज-लिमिट रहे तब तक वे पी० एस० सी० के इम्तहान में बैठ सकते हैं। इससे हरिजन भाइयों को बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि पहले अगर दो तीन बार वे कामयाब भी हो जाते थे और पी० एस० सी० उनका नाम गवर्नमेंट को एप्वाइन्टमेंट के लिये रेकमेंड कर देता था लेकिन जगहों की कमी के कारण वे नहीं लिये जाते थे और तीसरी बार के बाद वे बैठ भी नहीं सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति अब दूर हो गयी। मैं समझता हूं सारे प्रदेश में इन दोनों घोषणाओं का हृदय से स्वागत किया जायगा।

इसके पश्चात् मैं दो बातें पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे मे कहना चाहूंगा। पहली चीज यह कि जो सेलेक्शन का तरीका है वह बहुत ही दोषपूर्ण है और वह तरीका है कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन्स का। उसमें एक बड़ी भारी कमी, जो मेरी निगाह में है, वह यह है कि इन इम्तहानों में तीन चीजों की जो सर्विसेज के लिये बहुत जरूरी होती हैं, उनमें से एक की भी परीक्षा नहीं होती। वे चीजें हैं स्टैन्डर्ड, एफिशेन्सी और एन्टीग्रेटी। मैं समझता हूं कि इन तीनों चीजों में से किसी की परीक्षा सही तौर से नहीं हो पाती है। कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन्स में तो जिस उम्मीदवार ने सब से ज्यादा रट कर अपने दिमाग में जमा कर लिया उसी को मौका मिल जाता है। मैं समझता हूं कि यह योग्यता का इम्तहान नहीं है, बल्कि रिटैंटिव पावर का है कि किसने कितना अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया है। ऐसे इम्तहानों में जो आदमी ऐसे होते हैं, जिनको सुविधा होती है या यों कहिये कि जो चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेकर पैदा होते हैं, उनको ज्यादा आसानी रहती है ज्ञान इकट्ठा करने की। लेकिन ईश्वर ने जो दिमाग दिया है वह सब के लिये बराबर दिया है। यह ठीक है कि उसमें भी फर्क है लेकिन परिस्थितियों से यह प्रतिबन्धित नहीं हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर कम्पिटीटिव एग्जामिनेशन्स की बजाय दूसरे रास्ते अख्तियार किये जायं, जिससे असलियत में उनकी इंटेलिन्जेन्स का इम्तहान हो, तो बहुत ठीक हो। जब हम हर एक को बराबर मौका देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ऊंच-नीच का भेद खत्म हो, तो मैं समझता हूं कि यह तरीका कि जिसको ज्यादा सुविधायें हों, वही सर्विसेज में आ सकें, इसमें कुछ तब्दीली करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि आज कल मनोवैज्ञानिक तरीके से इंटेलीजेन्स का टैस्ट बड़ी आसानी से हो सकता है। इस प्रकार से इंटैलीजेंस, परसोनेलिटी और स्टैंडर्ड इन तीनों का टेस्ट साइकोलोजीकल तरीके से बड़ी आसानी से हो सकता है और इस टेस्ट से जाहिर हो सकता है कि कोई उम्मीदवार किसी काम के लिये फिट है या नहीं। मेरा खयाल है कि इसी तरीके को इस्तेमाल किया जाय। साथ ही में एक बात और कही जा सकती है कि परसोनेलिटी के बारे में जो पब्लिक सर्विस कमीशन में टेस्ट होता है, उसमें भी कुछ कमी रह जाती है। मेरा ख्याल यह है कि सारी चीज इंटरव्यू के ऊपर रहती है। हमारे यहां जाति पांत का काफी बखेड़ा है। हर एक आदमी कितना ही ऊंचा क्यों न हो उसमें कास्ट कम्पलेक्शन जरूर होता है। अगर कोई इकोनामिक पढ़ा हुआ होता है तो उसमें इकनोमिक कम्पलेक्शन होता है तो इस तरह से बहुत कम्पलेक्शन लोगों में होते हैं और उसका

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

असर उम्मीदवारों पर पड़ता है और जितनी हमारी सिलेक्शन कमेटीज होती हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन में लोग इसी बात के मरीज होते हैं, और इसी हिसाब से वह उम्मीदवारों की जांच करते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से व्यक्तिगत सब्जेक्ट्स के हिसाब से इम्तहान का लिया जाना ठीक नहीं है। इसलिये इसको आब्जैक्टिव इम्तिहान में बदलना चाहिये।

दूसरी चीज माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हरिजन मेम्बरों की यह मांग रही है कि जितनी सिलेक्शन कमेटीज हैं उनमें जाति पांति का बड़ा भेदभाव रहता है, लिहाजा इसको दूर करने के लिये इन कमेटीज में एक हरिजन सदस्य रखा जाय करे। उधर पिछले दिनों में एक पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर में वृद्धि की गई है और मैं समझता हूं कि हरिजन सदस्यों की तरफ से जो मांग हुई है कि पांचवां सदस्य हरिजन बढ़ाया जाय, उनकी यह मांग पूरी होनी चाहिये।

तीसरी चीज मैं हिन्दी लिपि के बारे में कहना चाहता हूं। कुछ अर्सा हुआ एक हिन्दी की समिति में कुछ संशोधन मंजूर किये गये थे और उसमें हिन्दी के बड़े बड़े विद्वान भी आये थे, लेकिन यह सारे संशोधन किसी बक्स में ही रख दिये गये। उनमें से कुछ संशोधन तो स्वीकार करने लायक हैं जैसे इसमें "र" और "ख" का भेद मिटाया गया है। लेकिन बाकी चीजें जनता के ऊपर थोपनी नहीं चाहिये। अब किताबें नई लिपि की छापी गई हैं उसमें पढ़ने में गलती मालूम होती और दिक्कत होती है। मैं समझता हूं कि देवनागरी लिपि बहुत ही साइंटिफिक है और इससे अधिक वैज्ञानिक होना मुश्किल है। टाइप राईटिंग की दृष्टि से इसमें तब्दीली करना, मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)––श्रीमन्, वर्तमान सरकार का वह क्या ढांचा रखना चाहते है, इस संबंध में मुख्य मंत्री जी ने व्योरे में बाचतीच की। मैं फिर आंकड़े के जाल में न जाकर केवल सिद्धान्तों तक ही रहना चाहता हूं और मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा, कि वर्तमान सरकार किस गतिविधि से चल रही है, इसको वह स्वयं देखने की कृपा करें। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम पावर्स को डेलीगेट कर रहे हैं तो पावर्स को कौन डेलीगेट करेगा? वही तो करेगा जिसके पास पावर्स होंगी। हमारा प्रश्न यह नहीं है कि कोई पावर्स डेलीगेट करे और न डैमोक्रेसी का यह अर्थ ही होता है। जन तंत्र का अर्थ होता है जनता का। पावर डेलीगेट करने वाली जो हुकूमत होगी वह जब चाहेगी तब पावर वापस भी तो ले लेगी। इस लिये पावर डेलीगेट करके यदि इस ढांचे को खड़ा करके मुख्य मंत्री जी जनतंत्र की बात करेंगे तो वह सही माने में सच्चा जनतंत्र नहीं होगा नाम के लिये भले ही कहें यह बात दूसरी है।

अब मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह तो वर्तमान सरकार द्वारा जितने भी विभागीय कानून बने हैं उन तमाम कानूनों को देख डाले कि जितनी सत्ता साम्राज्यशाही हुकूमत के जमाने में सरकार के हाथ में थी उससे अधिक सत्ता आज सरकार के हाथ में आई है या नहीं। यह प्रश्न है सामने। मुझे याद है कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी का एक लेख निकला था। महात्मा गांधी ने दिया नहीं था, केवल कहा था कि जवाहर लाल जी हमारे पोलीटिकल एयर हैं। संपूर्णानन्द जी का लेख मुझे पढ़ने को को प्राप्त हुआ। उसका शीर्षक था "कांग्रेस अधिनायक शाही की ओर"। अब मै पूछना चाहता हूं कि गांधी जी ने तो अपने जज्बात का इजहार किया, उनको कोई हक नहीं था, न तो उनके पास कोई सत्ता थी कि वह जवाहरलाल जी को अपना राजनैतिक पुत्र बनाते राजनैतिक उत्तराधिकारी बनाते, मगर महज एक बात से ही 'कांग्रेस अधिनायक शाही की ओर' जा सकती थी १९४५–४६ में, लेकिन आज सत्ता को डेलीगेट करने के सारे अधिकार

[श्री राजनारायण]

भी अपने हाथ में ले कर आप यह कहते हैं कि यह जनतंत्र चल रहा है। उस जमाने के जिलाधीश के लिये बराबर महात्मा गांधी ने कहा कि यह एक छोटा गवर्नर है। आज मैं श्रीमन्, के जरिये से कहना चाहता हूं कि आज के जिलाधीश के पास पहले से क्या कम शक्ति है या अधिक शक्ति हैं? सदन के सम्मानित सदस्य ईमानदारी के साथ अपने दिलों को टटोल कर अपने जज्बात का इजहार करें। मैं समझता हूं कि आपके जिलाधीश के पास पहले से कहीं ज्यादा शक्ति है, उसके पास ज्यादा पावर है और वह पावर सरकार डेलीगेट करती है। साथ ही वह कांशस है कि जब भी हम चाहेंगे और देखेंगे कि वह हमको जरा भी आंच पहुंचाना चाहते हैं या उसकी कोशिश करते हैं तो हम उन को हटा देंगे? इस बात के लिये सरकार बराबर कांशस रहती है।

फिर म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट देखा जाय। श्रीमन्, रामनगर के चैयरमेन, म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं, कि जब मैंने कामरोको प्रस्ताव रखा तो कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन उसके दूसरे ही दिन उसको मुअत्तल कर दिया गया। उसको बिलकुल झूठे इल्जाम पर मुअत्तल कर दिया गया। गोंडा म्युनिसिपल बोर्ड जब्त कर लिया गया। पूरी ताकत लगी कांग्रेस पार्टी की कि श्री ईश्वरशरण जी के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास न हो मगर जब तक कांग्रेस पार्टी का चेयरमैन वहां रहा तब तक वहां का म्युनिसिपल बोर्ड ठीक था और जब उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया तो म्युनिसिपल बोर्ड जब्त कर लिया गया। क्यों? क्योंकि सरकार के पास ताकत थी। सरकार के पास वह सत्ता थी और इस कारण जब सरकार चाहे निरंकुश हो कर चलने लगती है और वह सब चौपट कर सकती है। तो इसलिये हमारा तो यह कहना है कि हमारे नियम और उपनियम ऐसे बनने चाहिये कि जिन के मातहत यदि सरकार अनियंत्रित हो कर जनता के लिये कोई अहित का काम करना चाहती है तो वह न कर पाये। जितने भी कानून हैं उनमें ऐसा होना चाहिये, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वायत्त शासन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सत्ता सेंट्रालाइज हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी इससे प्रसन्न हो सकते हैं और इस सदन के माननीय सदस्यों को बता सकते हैं कि हम पावर डेलीगेट करते हैं, कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में करता है डेलीगेट पावर वहीं जिसके हाथ में पावर होती है।

रूल्स आफ कंडक्ट के बारे में, मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के लिये कंडक्ट के क्या रूल्स हैं और जो रूल्स हैं वह उस साम्राज्यशाही जमाने से अच्छे हैं या बुरे? यह कसौटी हमारे सामने आनी चाहिये। आज के रूल्स में इस सरकार ने अमेंडमेंट किया है कि सरकारी कर्मचारियों के डिपेंडेंट (आश्रित) भी सरकार की नीति की आलोचना नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना है, श्रीमन्, कि कभी कभी माननीय मुख्य मंत्री जी अपने बौद्धिक ईमानदारी का परिचय यहां सदन में दे दिया करते हैं। कभी कभी वह ऐसी बातें भी कह दिया करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि जो पुलिस अधिकारी हैं वह भी तो आखिर इंसान है। अपनी रक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है और अपने भावों का इजहार करना उसका फर्ज है। मैं मानता हूं कि यह बात सही है और इस लिये मैं कहता हूं कि क्यों नहीं सरकारी कर्मचारियों को उनके एशोसियेशन बनाने की आजादी दी जाय, सरकारी कर्मचारियों को स्वतः एशोसियेशन बनाने का अधिकार होना चाहिये। उनके ऊपर जो मुसीबतें हैं, जो आपत्ति है उनके ऊपर विचार करने का उनको मौका मिलना चाहिये। श्रीमन्, १९४६ से यह विवाद खड़ा हुआ है जब कि यहां पर लालबहादुर शास्त्री जी पुलिस मिनिस्टर थे। उस समय यहां पर एक पुलिस एसोशियेशन बनाने की योजना थी। कुछ जिलों में बनाये गये थे। उन्होंने कहा था कि हम नहीं बनाने देंगे। श्रेद्धेय आचार्य जी का उस संबंध में एक लम्बा और विदेशी मुल्कों का हवाला देते हुये एक लेख निकला था। उसमें उन्होंने बताया था और सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि तनिक भी

सरकार के दिमाग में जनतांत्रिक अंश है तो प्रान्त में पुलिस को अपना एसोशियेशन बनाने का अधिकार है। यहां पर ऐसा कोई पुलिस से खतरा नहीं हो सकता। जो साधारण पुलिस है उसको अपना एसोशियेशन बनाने का अधिकार क्यों न दिया जाय और दूसरे सरकारी कर्मचारियों को एसोसियेशन बनाने का अधिकार क्यों न दिया जाय। आज क्या माननीय मुख्य मंत्री बता सकते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो ज्यादती होती है वे उनको बता सकते हैं या कह सकते हैं। अपने कष्ट को यदि वे नहीं कह सकते तो फिर आप किस मायने में जनतांत्रिक पद्धति को अपनाने की बात करते हैं। आपने रोडवेज की हालत को देखा कि आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। वह ६,७ साल से अभी तक परमानेन्ट नहीं हो पाये हैं। बिना नोटिस दिये हुए उनको निकाल दिया जाता है। जब उसका बजट आयेगा और समय मिलेगा तो उन बातों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूदा कलेक्टरीशाही को कम करने के लिये तैयार हैं? ठीक है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इशारा करते हुये हमारी तरफ संकेत किया कि जब यह प्रचार होता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है तो यह भी तो प्रचार होना चाहिए कि सरकार कुछ कर रही है। कुछ तो सरकार जरूर कर रही है। हम बराबर कहते हैं कि सरकार कुछ कर रही है। मैं कहता हूं कि सरकार बहुत सी बातें निरर्थक कर रही है। बहुत गड़बड़ कर रही है। मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर के लिये बहुत सुविधा बढ़ा रही है। सरकारी और गैरसरकारी भेद को मिटाया जा रहा है। इस तरह के यह बहुत काम कर रही है।

मगर मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जनतन्त्र की तरक्की के लिये प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा होनी चाहिये। क्या आज सरकार पत्रकारों को पथभ्रष्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है। यह सब काम सूचना विभाग के जरिये से किया जा रहा है। किसी को ५० रुपया, किसी को ३० रुपया, किसी किसी को २० रुपया लेख लिखने क लिये दिया जा रहा है। और यह १०० या २०० रुपये इनाम देने की क्या बात है। बहुत से अधिकार बहुत से लोगों को बेकार दे दिये गये हैं। अगर कोई सरकार अपने को जनतंत्र का विकास करने वाली सरकार मानती है तो उसको इस तरह के अंकुश अपने ऊपर लगाने चाहिये। मैं जानता हूं कि पैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन करने में कैसी धान्धली हो रही है। इसको देखने से मालूम हो जायगा कि बहुत से विभागों के एक मद के खर्चे को अलग अलग मद में दिखाया जाता है। वह एक जगह पर नहीं दिखायी जाती है। जब कोई माननीय मन्त्री कहीं जायंगे या यहां से बनारस जाते हैं तो पत्रकारों का जत्था मोटर पर यहां से जाता है, फिर कहा जाता है कि उनको पूरी स्वतंत्रता है।

हरिद्वार के एक माननीय सदस्य ने सोशलिस्ट पार्टी का जिक्र किया और आक्षेप भी किया। मैं आपकी आज्ञा से उसका जबाव देना चाहता हूं। हमारे पास यह पूरी लिस्ट है। जवाहरलाल, कन्हैयालाल, वेद प्रकाश, इन लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया। इनको इसलिये गिरफ्तार किया गया कि ये लोग वहां से किसान मार्च में शामिल होने के लिये आ रहे थे। रेलवे टिकट खरीद चुके थे। स्टेशन पर इनको गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी माननीय मुख्य मंत्री को होगी। क्या यह असत्य है? किसानों के दल को नष्ट भ्रष्ट करने के लिये स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। जिन दिन पंचायतों के चुनाव होते हैं उसी दिन मुकदमों की तारीख डलवाई जाती है। इन सब बातों से काम नहीं चलने वाला है। तो मैं आपके द्वारा यह कहूंगा कि शास्त्री जी ने यहां पर एक भाषण दिया लेकिन सोशलिस्ट पार्टी की मीटिंग के लिये २४ जनवरी को गया था। हरिद्वार में हमारी पब्लिक मीटिंग थी। माननीय शास्त्री जी याद करें, उन्होंने ९ और १० की बात की। २४ जनवरी की हमारी आम सभा में टैक्स का विरोध हुआ था। फिर वह कैसे कह सकते हैं कि सोशलिस्ट सदस्यों ने समर्थन किया? इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आज की सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है।

श्री दीनदयालु शास्त्री—मैंने कहा था कि ९ जनवरी को म्यूनिसिपल बोर्ड में सोशलिस्ट मेम्बरों ने मेला टैक्स का समर्थन किया था ।

श्रीराम नारायण त्रिपाठी के श्री राज्यपाल के आचरण पर आक्षेपात्मक कथन के निस्सारण की मांग

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, कुछ और कहने के पहले मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले मैं कुछ देर के लिये सदन में नहीं था। मेरी सूचना यह है कि उस समय रामनारायण जी त्रिपाठी ने किसी एक घटना का जिक्र किया। अफसोस है कि मैं यहां नहीं था उस समय, नहीं तो माननीय उपाध्यक्ष का ध्यान उस ओर आकृष्ट करता। मेरा ऐसा खयाल है कि राज्यपाल के सम्बन्ध में इस किस्म की चर्चा करना अपनी नियमावली के नियम १८२ (५) के विरुद्ध है। अब वह बात तो कही जा चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि, जो बात मैंने आपके सामने रखी है वह ठीक जचे, तो इस चीज की चर्चा हमारी प्रोसीडिन्गस में से एक्सपन्ज कर दी जाय। आप इस बात के प्रमाण हैं और इस बात को निश्चय करें कि इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिये थी या नहीं।

श्री अध्यक्ष—मैं इसके लिये देख लूंगा क्योंकि मैं भी मौजूद नहीं था ; लिहाजा प्रोसीडिन्गस देख लूं कि क्या बात है।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यदि जो कहा गया ह, वह सत्य निकले, तो फिर उस सम्बन्ध में उस सदस्य के विरूद्ध ....

श्री अध्यक्ष—यह मेरा काम है। मेरे कमरे में आकर आप सुझाव दे सकते हैं।

१९५६-५७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या १२— लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन. क कारण व्यय तथा अनुदान संख्या १३—लेखा शीर्षक २५— कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (क्रमागत)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अनुदान के सिलसिले में कई उपयोगी सुझाव दिये गये। मैं ब्यौरेवार तो उन सब सम्बन्ध में इस समय कुछ नहीं कह सकता। इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि मैं जरूर ही उन पर गौर करूंगा, और, जहां तक मुमकिन होगा, गवर्नमेंट उन्हें अमल में लाने की कोशिश करेगी। इस बात की चर्चा हुई कि सरकारी अफसरों की भावना अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिये। मैं ऐसा समझता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने ऐसा कहा, उनका मतलब सभी सरकारी अफसरों से नहीं होगा, क्योंकि मैं सुनता हूं कि कितने ही सरकारी अफसर ऐसे हैं जो श्रमदान इत्यादि दूसरे कामों में बड़ी तत्परता के साथ लगते हैं और बहुत ही लोकप्रिय हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे सरकारी अफसर हैं जिन्होंने अपनी भावना को शुद्ध नहीं किया है, जो समय है उसके अनुकूल अपने को नहीं बना सके हैं, और न बनाने का यत्न कर रहे हैं, तो हम सबके लिये अफसोस की बात है। वे लोग कभी भी सफल शासक नहीं हो सकते और वे जहां भी कहीं हों, यह भी उन्हें समझ लेना चाहिये कि आगे चल कर सर्विस में जो तरक्की की बात होती है वह भी उनके लिये निश्चय ही बन्द रहेगी। इस जमाने में इस किस्म के आदमी तरक्की नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें किसी कायदे कानून के तहत नहीं आती, फिर भी जितना बन पड़ता है हम लोग जरूर इस बात को अफसरों के सामने रखते हैं।

माननीय नारायणदत्त जी ने एक बात का जिक्र किया कि आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल ऐसी जगह हैं जहां आफीसरों की ट्रेनिंग होती है, वहां उन्हें समाजवाद की शिक्षा देनी चाहिये। एक दूसरे माननीय सदस्य ने भी कहा कि किस समाजवाद की शिक्षा दी जायगी क्योंकि उनके अनेक प्रकार हैं। वह ट्रेनिंग स्कूल एक लेक्चर रूम किसी कालेज या यूनिवर्सिटी का नहीं है जहां सोशलिज्म या मार्किज्म पर लेक्चर होते हों, लेकिन वहां यह जरूर होता है कि आज देश में, ब्योरे की बात में मतभेद हो सकता है लेकिन जो भी प्रगतिशील पार्टियां हैं उन सबने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस देश का लक्ष्य समाजवादी ढांचा है फिर भी अगर जो आफीसर लोग हैं वे समाजवाद के मुख्य मुख्य अंगों को भी न समझें, तो वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सकते और हमने ट्रेनिंग स्कूल में इसका प्रयत्न अवश्य किया है कि उसका एक रूप रख दिया जाय।

इसके साथ ही साथ माननीय नारायण दत्त जी ने एक घटना का जिक्र किया और उस घटना का जब कि मैं ट्रेनिंग स्कूल में गया था, तब हुई थी। ब्योरे से उसको यहां कहने की आवश्यकता नहीं है पर यह जरूर है कि उसमें ट्रेनिंग स्कूल का दोष नहीं है, पढ़े लिखे समझदार व्यक्तियों का दोष है। हमारे पढ़े लिखे समाज में कई बातें ऐसी होती हैं जिससे सांस्कृतिक पतन मालूम होता है। अंग्रेजी और भारतीय फिल्मों को ही ले लीजिये। अंग्रेजी फिल्मों को देख कर जो बात हमें मालूम होती है वह भारतीय फिल्मों में अभी नहीं पायी जाती। अंग्रेजी फिल्मों को देख कर जो श्रद्धा का भाव पैदा होता है, हमारी फिल्मों को देख कर वह पैदा नहीं होता। उसमें ज्यादातर विषयी लोगों का जिक्र होता है और कामुकता आदि विषयों से व्याप्त स्त्री पुरुषों के चित्र खींचे जाते हैं, और कुछ नहीं होता। यह बात मैं धार्मिकता की दृष्टि से कह रहा हूं। हमारे समाज में यह जरूरी नहीं है कि सब लोग ही धार्मिक हों, लेकिन किसी ऐसी चीज के बारे में ऐसी अशिष्ठता से उसका जिक्र नहीं किया जाना चाहिये। पढ़े लिखे लोगों में किसी धार्मिक चीज का इस प्रकार से मजाक के साथ जिक्र हो, बगैर इस बात का खयाल किये कि दूसरे लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह पढ़े लिखे आदमियों की कमी का द्योतक है। भगवद्गीता एक ऐसी चीज है जिसके लिये इस प्रकार का मजाक नहीं होना चाहिये। यूरोपीय देशों में चाहे धार्मिक हो अथवा न हो, लेकिन वह मजाक के साथ बाईबिल का जिक्र न करेगा। लेकिन अवश्य है कि अब उस संस्था में ऐसी बात न होगी और हमारे आफीसर्स समझेंगे कि जब वे धर्म और संस्कृति का जिक्र करते हैं तो उनको किस तरह से करना चाहिये।

मुझे एक चीज को सुन कर थोड़ी तकलीफ और अफसोस हुआ। माननीय गेंदासिंह जी ने पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हाल ही में नियुक्ति हुई है उसका जिक्र किया। मैं समझता कि यह उनके अनुरूप नहीं था। पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बरों की जो नियुक्तियां होता है वह उसके नियमों के अनुसार और कांस्टीट्यूशन के अनुसार होती हैं। उसमें दो सदस्य तो ऐसे होने चाहिये जो कम से कम १० वर्ष तक सरकारी नौकरी कर चुके हों। बाकी दो पब्लिक लाइफ में से लिये जा सकते हैं। पब्लिक लाइफ की तरफ हम लोग निगाह उठा कर डाले, ऐसे बहुत कम लोग पब्लिक लाइफ में मिलेंगे--उत्तर प्रदेश की बात तो मैं जानता हूं, बाहर के मुल्कों के लिये कुछ नहीं कह सकता---जिनका किसी न किसी पोलीटिकल पार्टी से सम्बन्ध न हो। वह किसी न किसी राजनैतिक पार्टी में जरूर होंगे। फिर एक बात यह भी है कि जिस आदमी को पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी जगह पर नियुक्त किया जायगा उसका कोई उच्च स्थान समाज में अवश्य हो। किसी पार्टी का साधारण स्वयंसेवक से लेकर नहीं रक्खा जा सकता है। उसके ऊपर शिकायत हो सकती है कि उसका पब्लिक लाइफ में क्या स्थान है। कांग्रेस पार्टी के मंत्री जो एक पार्टी है उसके ऊंचे पद पर वे थे। अगर वे नहीं रक्खे जा सकते, फिर किसे रक्खा जा सकता है। यही आक्षेप होगा अगर समाजवादी, प्रजा समाजवादी या किसी पोलिटिकल

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

पार्टी का कोई आदमी रखेंगे तब और अगर किसी पोलिटिकल पार्टी से न लें तो फिर कितने ऐसे आदमी उत्तर प्रदेश में मिलेंगे जो पब्लिक लाइफ में ऊंचा स्थान रखते हों और जिनका किसी पोलिटिकल पार्टी से सम्बन्ध भी न हो.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी—सूबे भर में एक तो मिल सकता था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—संभव है, हो सकता हो, लेकिन ऐसे लोग मुझे नहीं दिखलाई पड़ते। अगर ऐसा हो भी तो हमारे चुनाव का क्षेत्र बड़ा संकुचित हो जायगा और चुनाव करना बड़ा मुश्किल हो जायगा। फिर उन्होंने स्वयं कहा कि जो सज्जन चुने गये उन पर कोई उनका निजी आक्षेप नहीं है। यह ठीक है, लेकिन जहां तक चुनाव के बारे में कहा, तो आज हमको चुनाव करना है और कल किसी और को करना पड़ेगा। तो उसको बड़ी दिक्कत हो जायगी कि वह किसी पोलिटिकल पार्टी से संबंध रखने वाला व्यक्ति न हो।

एक चीज टेम्पोरेरी सर्विसेज वाली बात कही, १६ आने बात ठीक है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। लोगों को कुछ न कुछ टेम्पोरेरी सर्विसेज में लेना पड़ता है। लेकिन किसी आदमी को टेम्पोरेरी रखना सर्विस की दृष्टि से अच्छा नहीं है और उस आदमी की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सके यह टेम्पोरेरी सर्विस वाली बात खत्म हो। लेकिन कई दिक्कतें हैं। एक तो यह कि १०,१२ साल से बराबर टेम्पोरेरी सर्विस में जो लोग चले आते हैं उनको परमानेन्ट करना है, लेकिन वह पब्लिक सर्विस कमीशन की राय से ही हो सकता है। उन मामलों में पब्लिक सर्विस कमीशन का कहना होता है कि उनका एक कम्पीटेटिव एग्जामिनेशन हों। नये आदमियों के साथ ये लोग बैठें। यह बात ठीक दूसरी तरफ यह है कि जो आदमी ८,१० वर्ष सर्विस कर चुका है अब वह कम्पीटेटिव एग्जामिनेशन में बैठे नये आदमियों के साथ तो उसे बड़ी दिक्कत होगी, उसके लिये बहुत मुश्किल होगी। इम्तिहान में उसका पास होना बड़ा मुश्किल है, यह हम और आप अनुभव से कह सकते हैं, और फिर कोई चारा नहीं रहता, सिवा इसके कि वह निकाल दिया जाय। जितनी तेजी के साथ इन टेम्पोरेरी लोगों को परमानेंट करना चाहिये वह नहीं हो रहा है। चाहे कमजोरी कहिये, चाहे दया कहिये, ये ह्यूमेन फैक्टर्स हैं। लेकिन टेम्पोरेरी को परमानेंट जल्दी बनाया जा सके तो अच्छा है।

जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में माननीय गेंदासिंह जी ने कहा। उसके लिये सूचना देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि वे बिलकुल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के हाथ में हों, उनकी मर्जी पर हो कि जो डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट चाहे वैसा करे। नियम यह है कि हर जिले का डिस्ट्रिक्ट जज हर जिले के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में एक रिपोर्ट देता है और वह रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आती है। उस जुडीशियल मजिस्ट्रेट की चाहे तरक्की करनी हो या तनज्जुली करनी हो, हर चीज के बारे में जज की राय सामने आती है और अगर उसे सजा देनी हो तो पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने उस जज की राय भेजी जाती है। किसी प्रकार से जुडीशियल डिपार्टमेंट की कोई रोकथाम न हो, ऐसी बात नहीं है।

चुनाव के सिलसिले में माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने यह कहा कि गवर्नमेंट को इस बात का एश्योरेंस देना चाहिये कि अगले चुनाव में सरकारी मशीनरी का कोई उपयोग नहीं होगा। मैं उनको अपनी तरफ से और अपनी गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा एक क्षण के लिये भी ऐसा इरादा नहीं है कि हम सरकारी मशीनरी का किसी प्रकार से भी दुरुपयोग करें। या किसी तरह से भी चुनाव में उसका प्रयोग करें। सरकारी मशीनरी के उपयोग से अगर कोई पार्टी जीत कर भी आती है तो वह कभी इस बात का प्रमाण

नहीं देती कि वह लोकप्रिय है, और अगर वह लोकप्रिय है तो उसे चुनाव जीतने के लिये सरकारी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होना चाहिये। इतना ही नहीं, अगर कोई पार्टी या मिनिस्टर किसी मामले में सरकारी मशीनरी की मदद या सरकारी अफसरों की मदद लेता है तो वह अपने काम करने की क्षमता भी खोता है, क्योंकि आज अगर हम किसी का अहसान लेते हैं तो कल उस पर भी हमें अहसान करना पड़ेगा, लेकिन यह चीज शासन के लिये बहुत घातक है। इसलिये मैं समझता हूं कि किसी को इस बात का कोई अन्देशा नहीं होना चाहिये कि हमारी तरफ से या सरकार की तरफ से चुनाव में किसी तरह भी सरकारी मशीनरी का प्रयोग होगा। उन्होंने यह कहा कि सरकारी मोटरों का प्रयोग नहीं होना चाहिये। जहां तक मुझे याद है, मैं सरकारी मोटर में चुनाव के लिये नहीं घूमा, कहीं भूले से गलती भले ही हो गई हो, लेकिन मेरा सरकारी मोटर में एलेक्शन में घूमने का इरादा कभी नहीं हुआ और जहां तक मैं समझता हूं मेरे दूसरे साथी मिनिस्टरों ने भी ऐसा ही किया होगा। फिर मैं कहता हूं कि हमारा यह इरादा है, यह निश्चय है कि हम ऐसी कोई बात चुनावों में नहीं होने देंगे जिससे किसी का यह ख्याल हो कि हम अगले चुनाव में गलत चीजों के आधार पर आना चाहते हैं। अगर हमारी पार्टी लोकप्रिय है, अगर उसके सिद्धांत जनता को पसन्द हैं तो जनता हमें भेजेगी, लेकिन इस तरह की लकड़ी की टेक लगाकर कोई पार्टी नहीं आ सकती और न वह ज्यादा दिन तक जिन्दा ही रह सकती है।

एक दो चीज का और जिक्र किया गया, पोर्टफोलियोज के रेशनेलाइज्ड डिस्ट्रिब्यूशन का जिक्र किया गया। यह बात सही है कि अगर वह किसी अच्छे ढंग से हो सके तो अच्छा है, लेकिन और देशों में भी लाजिक के हिसाब से यह संभव नहीं हो सकता कि फलां चीज फला के साथ और फलां चीज फलां के साथ जरूर ही रहे. इस तरह का बटवारा नहीं हो पाता है, फिर भी अगर मुमकिन होता है तो इस दिशा में कोशिश की जाती है और अगर संभव हुआ तो जब हम सेक्रेटेरिएट का रिआर्गेनाइजेशन कर लेंगे तो हम देखेंगे कि कहां तक हम इस चीज को कर सकते हैं।

कुछ मर्ज्ड स्टेट्स के सरकारी अहलकारों का जिक्र हुआ कि इतने साल हो गये अभी उन का भविष्य निश्चित नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि अभी अगर ऐसा है और अगर माननीय सदस्य पहले से मेरा इस ओर ध्यान आकृष्ट करते, तो मैं जरूर देखता लेकिन फिर भी हम अब देखेंगे कि कौन कौन ऐसे उन रियासतों के लोग हैं जिन के ऐसे मामले हैं।

जहां तक कि अधिकारों के डिसेंट्रेलाइजेशन की बात है, मैं तो एक चीज जानता हूं वैसे इज्म तो बहुत से होंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत सोशलिज्म मैंने देखा है, उसके मुताबिक मेरा विश्वास है कि जब कभी भी किसी देश में आरम्भ में सोशलिज्म का प्रचार होगा तो गवर्नमेन्ट के पास निश्चय ही पहले से अधिक पावर्स रखनी होगी। सोशलिज्म लाने के माने हैं कि जनता के जीवन को ऐसे स्तरों में प्रवेश कराना पड़ता है, जिनमें साधारण रूप से गवर्नमेंट प्रवेश नहीं कर सकती, जैसे लोगों के रिक्रिएशन का विषय है, उसके खाने पीने का मामला है, उसके रहन-सहन के और अंग हैं। तो पावर्स ऐसे वक्त में गवर्नमेंट को ज्यादा रखनी ही पड़ती है। दुनिया में एक और इज्म "सिन्डीकेलिज्म" के नाम से चला, वह एक अलग स्कूल था, लेकिन वह दुनिया में नहीं चल सका। लेनिन ने, रूस में सन् १७ की क्रांति हुई, तो निश्चय ही गवर्नमेंट की पावर बढ़ाई थीं और उसने कहा था कि इस वक्त हमें निश्चय ही अधिक सरकारी अफसर रखने पड़ेंगे और यह जरूर साथ में ख्याल रखना होगा कि वह सरकारी अफसर ठिकाने के हों वरना बहुत गड़बड़ भी हो सकती है। हो सकता है कि दो चार सौ बरस लग जायं और कभी ऐसा समाज आ जाय कि जिसको शासन की जरूरत ही न हो जैसे कि "every man should become a law to self" लेकिन अभी कुछ दिनों तक

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

तो हमें इस ख्याल को दूर ही रखना होगा और हमें सुचारु रूप से शासन चलाने के लिये गवर्नमेंट को पावर्स देनी ही होंगी। जैसा कि हमारे दूसरे मित्रों ने कहा कि आज हम ऐसे युग में चल रहे हैं कि जब कि हमें देश का निर्माण करना है, हमें तो आशा है कि जरूर हमसे ज्यादा लायक आदमी आगे यहां पैदा होंगे और आयेंगे, जो देश को हम से ज्यादा सुखी और सम्पन्न देख सकेंगे, लेकिन आज हमारे कंधों पर नई लीक, नया रास्ता, नये कनवेन्शन्स और नई मर्यादाओं को कायम करने का भार है, अब हम ऐसे युग में चाहे देश को बनावें या बिगाड़ें।

अन्त में मुझे इतना ही कहना है कि हम में वह शक्ति होनी चाहिये कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने और उसकी प्रतिष्ठा को उठाने का प्रयत्न करते रहें, जैसा कि माननीय मदनमोहन जी ने कहा कि हम जरूर बाहर जाते हैं, तो देश की प्रतिष्ठा को रखने की कोशिश करते हैं, मैं इस बात में उनसे १६ आने सहमत हूं। हम सब को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि जिस प्रकार हम अपने प्रदेश के बाहर अपने प्रदेश की इज्जत बनाये रखने की कोशिश करते हैं, ऐसा प्रदेश सचमुच बने, जो शब्द हम बाहर कहते हैं, वह झूठे साबित न हों, सचमुच हम को कार्यरूप में परिणत करके दिखा दें कि उत्तर प्रदेश का शासन और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था सचमुच ऐसी है जो इस समय के अनुरूप है और होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि यह जो मैंने अनुदान पेश किया है वह मंजूर किया जाय।

बैठने के पहले मैं खाली चीज का जिक्र करना चाहता हूं। वह माननीय गेंदासिंह को थोड़ी सी सूचना देने की बात है। उन्होंने यहां कुछ हत्याओं का जिक्र किया। मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूं, आज भी दोहराता हूं कि किसी भी आदमी का मरना बुरा है, आबादी के लिहाज से चाहे उसका अनुपात कितना भी हो लेकिन फिर भी हम को थोड़ा सा अगर संतोष हो सकता है तो होता है। यह गवर्नमेंट आफ इंडिया की किताब "क्राइम इन इंडिया, १९५४" है। उसको देखने से लगता है कि उत्तर प्रदेश में सब बातों को देखते हुये इस संबंध में वह कुछ बहुत बुरा नहीं है। एक लाख आदमी के पीछे कितनी हत्यायें हुई, किस किस प्रदेश में, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल इन तीन प्रांतों को छोड़ कर हमारा अनुपात सब से कम है। पश्चिमी बंगाल में १.६, उड़ीसा में १.६, बिहार में २.२ है। बाकी आंध्र में ३, आसाम में ३, बम्बई में ३.६, मध्य प्रदेश में ३.२, मद्रास में २.६, पंजाब में ३.७, और उत्तर प्रदेश में २.५ है। बुरी चीज है जरूर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बुरा नहीं है, जिससे हम एक दम से घबरा उठें।

श्री जगन्नाथ मल्ल—श्रीमन्, सदन का दस मिनट समय बढ़ा दिया जाय अभी माननीय गेंदा सिंह ने जवाब नहीं दिया है।

श्री शिवनारायण—मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—पांच, दस मिनट जितना वह लें, उतना बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदन के सदस्यों की बातें सुनीं और माननीय मुख्य मंत्री जी की भी बातें सुनीं। मैंने जिन प्रश्नों को उनके सामने रखा, मैं समझता हूं कि उनमें जो मुख्य प्रश्न थे उस तरफ ध्यान माननीय मुख्य मंत्री जी का नहीं गया। सब से बड़ी बात तो यह है कि देश में एक इस तरह का व्यावहारिक कदम हमारा उठना चाहिये कि जो किसी इज्म में आता हो या न आता हो, लेकिन कम से कम उसमें ह्युमोनिज्म जरूर हो। ह्यूमोनिज्म चाहे वह सोशलिज्म में आती हो या न आती हो, सिंडिकैलिज्म में आती हो या न आता

हो, रैडिकलिज्म में आती हो या न आती हो, ह्यूमेनिज्म यह है कि जनता को रोटी कपड़ा मिले, सब इज्जत से अपनी गुजर कर सकें। माननीय मुख्य मंत्री ने बताया कि परसेंटेज हमारा कम है लेकिन मैं यह पहले से जानता था कि कितने लाख आदमियों पर कितने कत्ल दूसरे सूबों में हुये हैं। उसमें हमारा प्रतिशत कम है। लेकिन मैंने शुरू ही में कहा था कि आखिर कत्ल तो हुये, १,६०७ कत्ल हुये। जिसमें हमारे जो विधायक मार डाले गये बाराबंकी में। यह कहां हुआ, किस सूबे में कहीं हुआ? यह हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ हम को ध्यान देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता हूं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर प्रशासन की जिम्मेदारी मारने की नहीं है तो बचाने की तो है ही, बचा नहीं पाये और नहीं बचा पाये तो हमें क्या करना चाहिये, हम अपने विचार यहां रख नहीं सकते। मुझे याद है कि एक माननीय सदस्य ने आज से तीन वर्ष पहले इसी पुलिस बजट पर बहस करते हुये कहा कि हम अपनी राय साफ तौर पर यहां नहीं रख सकते, अगर रखेंगे भी तो जान के लिये खतरा है। यह बात जो है यह दूर होनी चाहिये। तो सब से बड़ी बात यह है कि ह्यूमेनिज्म जरूर हो। जिस स्त्री के मरने की खबर आयी थी कि वह मरी नहीं भूख से, मुझे तब संतोष होता जब मैं यह सुन लेता कि वह मरी नहीं। माननीय मंत्री ने सबूत के तौर पर यह भी बताया कि उसके पहले सेर भर चावल किसी आदमी ने उसके घर को दिया था, यह क्या जाहिर करता है। यह भी उन्होंने कहा कि उसके पहले १५ सेर मुफ्त गल्ला दिया था, जो खैरात बांटी जा रही थी सरकार की ओर से। तो इतने गल्ले से एक खानदान में जिसमें ३,४ आदमी हों, क्या होता है? खैराती दी गई थी, खैरात लेने की प्रथा किसमें है? गांव का किसान जिसके घर में खाने का ठिकाना है वह नहीं लेगा.....

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)––पेशेवर भी बहुत होते हैं।

श्री गेंदासिंह––मुझे बड़ी तकलीफ है कि राममूर्ति जी जैसे आदमी जो किसी जमाने में हमारा नेता बनने का दावा करते थे उसके मुंह से यह बात निकल रही है, पेशेवर। हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह विवाद दूर नहीं हो सकता। मैं किसी और को नहीं कहता सिर्फ मुख्य मंत्री जी एक दिन तकलीफ करें चलने की हमारे साथ, हम शिकायत नहीं करेंगे। पत्रकारों से भी कहेंगे कि चले चलें और हमारे राजस्व मंत्री जी चलेचलें और फिर सदन में कह दें कि कोई भूख से मृत्यु नहीं हुई। वहां की अवस्था चिन्ता से मुक्त है, मैं मान जाऊंगा। मैं दूसरों को नहीं कहता। इन पर ही छोड़ देता हूं, राजनरायण जी कह रहे हैं कमलापति जी को भी ले लिया जाय। मैं कहता हूं मैं दुनिया के हर आदमी पर विश्वास करता हूं और बेवकूफ बनने में अपनी बुराई भी नहीं मानता हूं। मैं बेवकूफ बन जाऊं कोई हर्ज नहीं। आज ह्यूमेनिज्म की पुकार है देश में। और मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि वह माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ से शुरू होनी चाहिये। जो सूबे के सबसे बड़े पद पर हो, उनसे बड़ी आशा है। आज भी आशा है, वह इस बात का दावा करते हैं, मैं भी कबूल करता हूं कि सारे देश ने उनको चुन करके यहां भेजा है और अपनी पवित्र थाती को रख करके यहां बैठा दिया। इसलिये नहीं बैठाया कि हम बैठ करके आपस में बंटवारा करें और जिनकी गाढ़ी कमाई है उनको हम भूल जायं, उनके लिये कुछ न करें, छोटे बड़े का भेद न मिटायें। रुपया इनवेस्ट नहीं होगा तो रोटी नहीं मिलेगी और भूख का सवाल हल नहीं होगा। दूसरी बात जो व्यवहार की बात है और मैंने ही नहीं कहा, ग्रामवासी जी ने भी कहा कि सरकारी अफसर किस तरह सलूक करते हैं। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस तरह का ख्याल जाहिर किया।

एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात सुझाव के तौर पर है। हिन्दी और उर्दू की बात मैंने कही थी, मेरी इस तुच्छ राय में, हिन्दी और उर्दू में भेद नहीं होना चाहिये। मैं इस पर

[श्री गेंदासिंह]
विचार करने को कहता हूं। हिन्दी और उर्दू में भेद करने को नहीं कहता हूं। मैं हिन्दी पढ़े हूं उर्दू में जानता नहीं। लेकिन हैदराबाद गया था और वहां जब फसींह उर्दू बोलने वाले लोग मिले तो महादेवसिंह जी से मैंने पूछा कि आप हमारे यू० पी० की भाषा कैसे बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि निजाम हैदराबाद ने सारे मुल्क में उर्दू पढ़ने की प्रथा चला दी, इसलिये इस जगह पर भी आज यू० पी० की जो साधारण बोलचाल की भाषा है उसे बोलने वाले हैदराबाद में आज हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर हिन्दी को लोकप्रिय बनाना है तो हमें हिन्दी और उर्दू दोनों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करनी चाहिये। जहां उर्दू में लिखने का ढंग टेढ़ा है वहां बोलने का तो एक ही है। एक ही बोली सारे देश में उर्दू और हिन्दी दोनों में बोली जाती है और हिन्दी और उर्दू को इस दृष्टि से हम धनी बनाना चाहते हैं। इससे धनी बनेगी उर्दू की शायरी। उर्दू में जो अपने ख्यालात के इजहार करने का ढंग है, उसका मैं कायल हूं। मैं उर्दू पढ़ा नहीं हूं। लेकिन उस दिन जो आचार्य जी के कंडोलेंस पर माननीय मंत्री जी, मुख्य मंत्री जी ने सुना, जो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, उस शब्द का कोई हिन्दी शब्द उपयुक्त उन्होंने समझा नहीं, वजेदारी, वजेदारी यह तो उर्दू लफ्ज है न, तो इसको उन्होंने इस्तेमाल किया। इसलिये मैं सोचता हूं कि हिन्दी और उर्दू दोनों को हमें प्रेम से देखना चाहिये और दोनों को प्रेम से देखकर ही हम सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी को सब के कंठ के नीचे उतार पायेंगे।

अन्त में अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करते हुये अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेता, लेकिन वापस इसलिये नहीं लूंगा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो भावनायें व्यक्त कीं हमने, उनमें मुख्य मंत्री जी कम से कम इतनी बात तो हमसे कहते....

श्री अक्ष्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया। (मुख्य मंत्री से) आप कुछ कहना चाहते हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। मुझें कुछ नहीं कहना है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (लेखा शीर्षक—२५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत ३,१५,३६,४०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १३—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय (लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन) के अन्तर्गत २,९०,११,३०० रु० की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी के आक्षेपात्मक कथन को समाचार पत्रों में न छापने का आदेश

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना प्रेस करस्पोंडेंट्स के लिये दे देना चाहता हूं। उस प्रश्न के संबंध में जो प्रश्न कि यहां उपस्थित हुआ कि आक्षेपात्मक कोई वाक्य यहां आये हैं रामनारायण त्रिपाठी जी के भाषण में जिनके कि हटा देने के लिये मांग की गई है, उस प्रश्न पर मैं विचार कर रहा हूं। तो जब तक मेरा फैसला न हो जाय तब तक वह बात प्रकाशित न हो।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ११ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव विधान मण्डल
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
७ मार्च, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे १५३ पृष्ठ पर)

Copy of telegram No. F.*8/30/55*-SV, dated November *30, 1955*, from Agr India to Sri K.N. Singh, Secretary Industries.

Reference your Telegram 4825S/XVIIIC. Twentyfifth November (.) Central Government Agree Reduction two Annas per Maund in Minimum Cane price 1955-56 season for cane supplied at Centres named your Letter 4349S/XVIIIC 1598/55 Twentysecond October subject condition that if Aggregate recovery in any factory from cane supplied from these centres is found higher than reduction of two annas per maund would warrant against a recovery of 9·6 percent Central Government would reserve right to order further payment by factory not exceeding two annas per maund cane (.) Expert periodical investigation of recovery from cane of these centres being arranged. Central reduction two annas applied Kashipur Factory from December First only vide you Telegram 4478S/XVIII fifth November.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६४ पर)

Statement showing the salient points raised in the Audit Inspection Report relating to the accounts of Government Cement Factory for the year 1954-55 *and replies thereto.*

Period of inspection April 7 to Aprii 29, 1955

Serial no.	Salient points raised in audit report	Reply
1	The expenditure on capital outlay of the factory has not yet been incorporated in the Accounts Book of Factory under proper classification e.g. land, leases, buildings, plant and machinery, fixtures, apparatus and preliminary expenses. Transactions taken place from the very inception of the project have not been incorporated in the double entry books and that registers giving particulars of cost of each item of plant and machinery and other assets and depreciation sustained thereon have not been prepared so far.	Capital expenditure of factory was incurred from various sources viz. from Head Quarters of Government, P.W.D. Local Self-Government Engineering Department, District Magistrate, Mirzapur and Chief Engineer and Assistant Manager. The figures of total expenditure incurred in each year since the inception of the project alongwith its split up under certain heads are being collected, scrutinized and classified under suitable heads of commercial accounting for being duly incorporated in the double entry books of account of the factory.
2	The manufacturing trading and profit loss account and balance-sheet of the factory for the year 1954-55 have not been prepared as yet and some adjustments of reconciliations are outstanding.	The Audit had inspected the accounts of the factory in April, 1955 i.e. soon after the close of the accounting year 1954-55. The final accounts of commercial enterprises are usually not ready until a few months after the close of the year. The required final accounts will be put up to Audit during their next inspection.
3	No rent, electricity and water charges have been recovered so far for residential quarters provided to the employees of the factory. Central Excise Staff, P. W. D. staff and the staff of Messrs Henry Pooley, and no orders exist for their free supply.	Steps have been taken to effect recovery from the staff of Central Excise and other department. The staff of Messrs Henry Pooley, is under agreement required to be provided rent free accommodation.
4	The correct labour requirement of the factory has not been assessed as yet as it is stated that erection work and the production operations are going on side by side.	The labour strength required by the factory has since been determined.
5	Since certain defects were noticed in the performance of Plant and Machinery as erected, a report will be awaited whether final payment has already been made to the suppliers without getting the defects rectified.	The question of defects in plant and Machinery has been vigorously persued with supplies. Some of the defects have already been rectified, while the remaining are being rectified. Full final payments have not yet been made.
6	From an examination of the Supervisory staff engaged in this factory, *Vis a vis* those engaged in a private one of similar capacity, it is seen that the factory is considerably over-staffed. There are 23 officers, whereas a private factory would not have more than 11 officers.	In giving the number of officers in private cement factories the audit seem to have had in mind only those officers who work at factory site, leaving those who work at Head Quarters of such factories e.g. officers-in charge of sales and purchases organizations and Accounts as well as those working as Directors Managing Directors or Managing Agents of the Company. Besides the staff of Messrs. Henry is also included in 23. the entire staff is usefully employed.

पी० एस० यू० पी० ए०—पी० २५७ एल० ए०—१९५६-७९६ ?